RNI REGD. NO.: DELHIN/2007/20953

कुपित हुए किसान

आखिर खेती योग्य भूमि का ही अधिग्रहण क्यों?

अब अन्ना के सहारे चलेगी कांग्रेस

ग्रामीण विकास की संभावनाएं

डाकिया आया-बीज लाया

बच्चों को कृमिमुक्त बनाएगी डी-वॉर्मिंग योजना

मोदी बनाम केजरीवाल

कृषि कर्ज की ब्याज दरों में बढ़ोतरी चाहते हैं सरकारी बैंक

गांवों के लिए मंगल कामना

मिठास के साथ संवारें भविष्य

एक व्यापक परियोजना है डिजिटल इंडिया

पॉलीहाउस में सब्जियों का उत्पादन

विदेशी सहायता पर प्रतिबंध के बहाने एनजीओ पर अंकुश

रासायनिक दुष्प्रभाव को दूर करती है जैविक खाद

समाधान को तरसता मानव-वन्यजीव संघर्ष

चीड़ से पानी होगी निजात

समावेशी विकास के लिए कौशल विकास

कृषि मूलम् जगत सर्वम्

# कृषि चौपाल

फरवरी 2015 ₹15

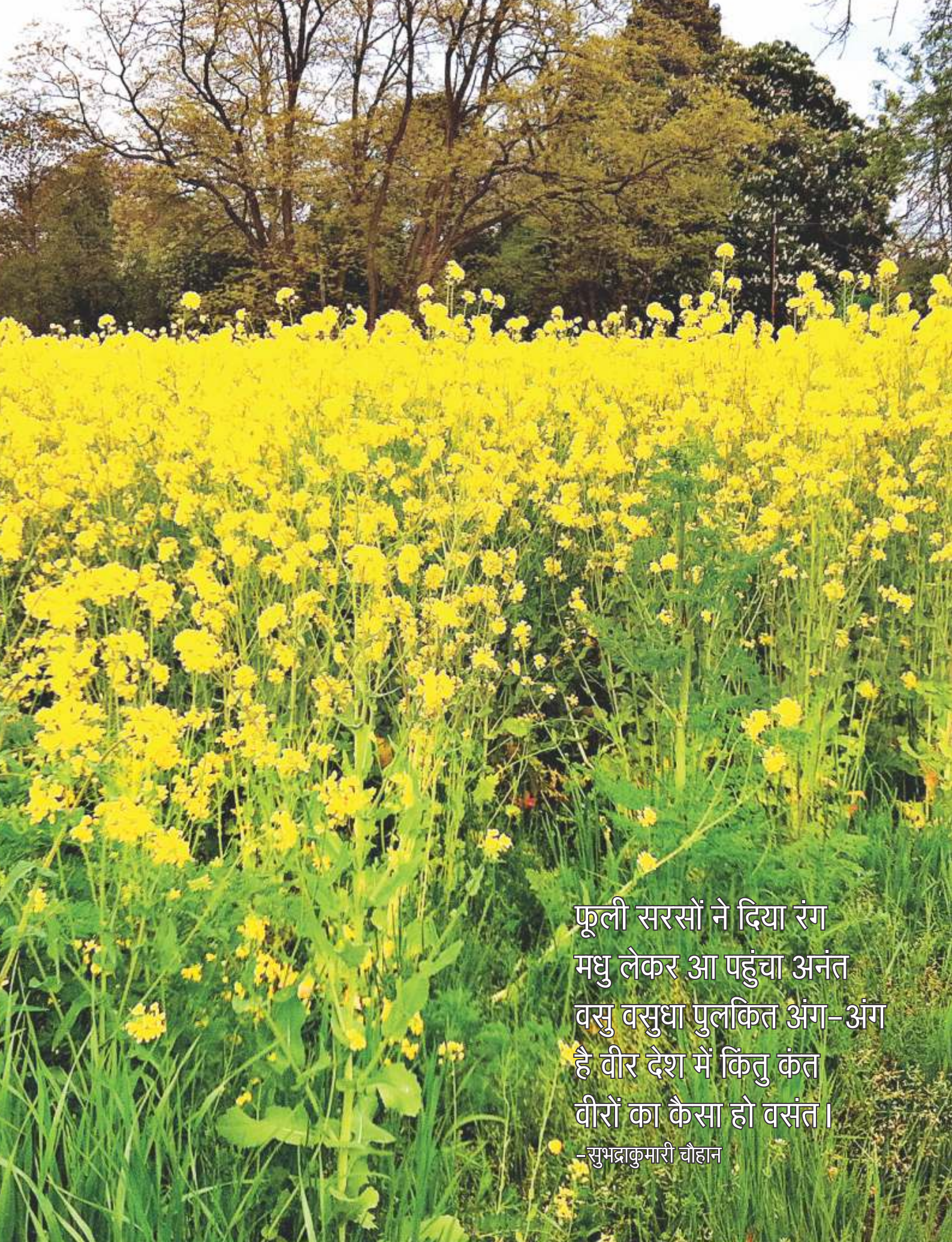

फूली सरसों ने दिया रंग
मधु लेकर आ पहुंचा अनंत
वसु वसुधा पुलकित अंग-अंग
है वीर देश में किंतु कंत
वीरों का कैसा हो वसंत।

-सुभद्राकुमारी चौहान

कृषि मूलम् जगत सर्वम्

# कृषि चौपाल

वर्ष 1 ❖ अंक 2 ❖ फरवरी 2015

संपादक
**महेन्द्र सिंह बोरा**

प्रबंध संपादक
**एस. विश्वजीत प्रसाद**

संयुक्त संपादक
**गणेश चन्द्र पांडे**

सहायक संपादक
**खुशाल सिंह**

डिजाइन
**कल्पना प्रिंटोग्राफिक्स**

मार्केटिंग
**प्रवीन जुयाल**
**सुशील कुमार राय**

डिस्ट्रीब्यूशन
**दलीप जीना**

संपादकीय कार्यालय
सी-355, तृतीय तल, गली नं. 9,
वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली-110092

संपर्क: +91 9266662378,
9716407931, 9211915538
ईमेल: krishichaupal@gmail.com

---

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक महेन्द्र सिंह बोरा द्वारा सी-355, तृतीय तल, गली नं. 9, वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली-110092 से प्रकाशित और मयंक ऑफसेट प्रोसेस, 794/95 गुरु रामदास नगर एक्सटेंशन, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 से मुद्रित।

कृषि चौपाल में प्रकाशित लेख और विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं है कि हमारा दृष्टिकोण भी वही हो।
किसी भी तरह के विवाद का निपटारा दिल्ली/नई दिल्ली की सीमा में आने वाले सक्षम न्यायालयों और फोरमों में ही किया जाएगा।

उपरोक्त सभी पद अवैतनिक हैं।

# कुपित हुए किसान

किसानों ने 24 फरवरी को जंतर-मंतर पर जिस महारैली का ऐलान किया है वह जीवन के आदर्शों के वास्ते तो है ही, वह मौजूदा सरकार को वादाखिलाफी याद दिलाने के लिये भी है। गौरतलब है कि जब प्रधानमंत्री विगत वर्ष चुनाव प्रचार करते हुए देश में जगह-जगह रैलियों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार किसानों और गरीबों के राडार पर होगी। उन्होंने अभी हाल ही में झारखंड में विधानसभा चुनाव के दौरान यह भी कहा कि उनकी सरकार आदिवासियों की जमीनों का अधिग्रहण नहीं करेगी, परंतु राजधानी दिल्ली में स्थित अपने अंत:पुर पहुंचते ही भूमि अधिग्रहण अध्यादेश जारी करवा दिया। इसी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को बदलने की मांग को लेकर भारतवर्ष के किसान काफी कुपित हैं।

वास्तव में इससे कौन इनकार कर सकता है कि किसान के खून से बने पसीने की सिंचाई से जमीनों पर अमन-चैन के गुलाब तो खिलते ही हैं और भी बहुत कुछ इस धरती की कोख से पैदा होता है, जिसका स्वाद किसान विरोधी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश जारी करने वाले भी बखूबी लेते होंगे। यह इस देश का कितना हतभाग्य है कि किसानों को खाद भी लूटनी पड़ रही है। और दूसरी ओर हमारे कृषि मंत्री किसानों को जैविक खाद तथा जैविक खेती का उपदेश दे रहे हैं। इस अध्यादेश को आज किसानों के लिए ही विनाशकारी नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसके लागू होने से भारत के जनतांत्रिक नियोजन को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री कह रहे हैं कि किसानों को मुफ्त में मृदा स्वास्थ्य कार्ड बांटे जायेंगे। लेकिन क्या वे यह बतायेंगे कि इस अध्यादेश के कानून बन जाने के बाद किसान किन जमीनों की मिट्टी का स्वास्थ जांचेगा। क्या वह उन कब्रगाहों और श्मशान भूमियों की मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच करेगा, जहां पर इस देश की किसान और कृषि विरोधी नीतियों के कारण सपरिवार आत्महत्या कर अकाल मर गये लोगों की यादें दफ्न हैं।

खबर आई है कि पूरे भारतवर्ष से किसानों, मजदूरों, मछुआरों और जनपक्षधर आंदोलनकारी ताकतों के लगभग 70 से ज्यादा संगठनों की अगुआई में इस महीने की 24 तारीख को इस भूमि अधिग्रहण कानून को बदलने की मांग को लेकर दिल्ली में संसद की चौखट जंतर-मंतर पर एक महारैली का आह्वान किया गया है। उधर सामाजिक कार्यकर्ता तथा विभिन्न समाज सुधार आंदोलनों एवं जनलोकपाल आंदोलन से देशव्यापी हुए अन्ना हजारे भी इस मुद्दे को लेकर जंतर-मंतर पर अपने समर्थकों के साथ धरना-प्रदर्शन करने का ऐलान कर चुके हैं। इस बहती गंगा में कांग्रेस भी हाथ धो लेना चाहती है। केजरीवाल एंड पार्टी को तो इस तरह के आंदोलनों को अपहृत करने में महारत हासिल रही है, भला वह कैसे पीछे रहते। पर सबसे आश्चर्यजनक है, इस प्रकार के मुद्दों पर पहलकदमी लेने का सार्वभौमिक अधिकार रखने वाली लाल राजनीतिक ताकतों का 'वॉच एंड वेट'।

और एक बार फिर सत्ता के शीर्ष प्रतिष्ठान की विद्रूपता सबके सामने है। किसानों की जमीन ही जब छिन जायेगी तो वह मृदा स्वास्थ्य कार्ड का क्या करेगा? वह किस भूमि पर जैविक खाद का प्रयोग करेगा? वह किस जमीन पर जैविक खेती करेगा? उन आदिवासियों का क्या होगा जिनके पास इस देश में आज तक एक अदद मतदाता पहचान पत्र तक नहीं है? सवाल कई हैं और जवाब सिर्फ एक ही है कि मौजूदा व्यवस्था की कोख से भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के रूप में एक और लुटेरा कानून पैदा हो गया है, जो हमें 1894 में बने भूमि अधिग्रहण कानून की ओर ले जायेगा। 70 प्रतिशत आबादी की निर्भरता और रोजगार का महत्वपूर्ण साधन भूमि भी अगर उनसे छिन जायेगी तो फिर आने वाली भुखमरी और भयावहता का सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है।

इसलिये इस महारैली से विवेकपूर्ण संदेश सरकार को दिया ही जाना चाहिये। इसलिए इसका विरोध लाजिमी है।

**महेन्द्र सिंह बोरा**
संपादक

'कृषि चौपाल' मासिक पत्रिका की सॉफ्टकॉपी प्राप्त हुई। इसके लेख खेती-किसानी की ज्वलंत समस्याओं को उठाने का सार्थक प्रयास है। आशा है खेती-किसानी की समस्याओं की गहराई से जानकारी जुटाने के लिए आपके संवाददाता ग्रामीण स्तर तक पहुंच बनाएंगे। आपके प्रयासों को साधुवाद एवं पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य की कामना।

**-जीएस कांगवा**
मुख्य प्रबंधक (कृषि सेवाएं)
राज्य कार्यालय, जयपुर

कृषि विकास का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इस समय चीन, भारत, थाइलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलीपीन्स कृषि के क्षेत्र में शोध कर रहे हैं। कृषि शोधों के मामले में चीन इस समय सबसे आगे है। आज के युग में कृषि और पर्यटन किसी भी देश की आर्थिकी की रीढ़ कहे जा सकते हैं। साथ ही यह क्षेत्र अधिकाधिक लोगों का रोजगार प्रदाता भी है, अत: कृषि के साथ पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिये ताकि अधिकाधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया जा सके।

**-जनार्दन डोंगराकोटी**
नई दिल्ली

पत्रिका का पहला अंक पढ़ा। काफी श्रम किया है आपने। प्रिंट मीडिया से गायब हो रही खेती-किसानी पर आपने जो प्रयास किया है वह सराहनीय है। आपका संपादकीय दयनीय कृषि क्षेत्र समयानुकूल है। समाचार तो सब जान लेते हैं, इसके लिए ऐसे समाचारों का चयन करें जिसके साथ कुछ विचार भी दिए जा सकें।

बाजरा, आलू की नई किस्में और कम पानी में धान की पैदावार लेख किसानों के लिए उपयोगी हैं। मगर समस्या यह है कि ये बातें किसानों तक कैसे पहुचें, इसके लिए आपकी क्या योजना हो सकती है इस पर विचार करना होगा, क्योंकि जिससे हम बात करना चाहते हैं उस तक हमारी बात का पहुंचना भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त किसानों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए भी एक स्तंभ आरंभ किया जा सकता है। पत्रिका में किसानों और कृषि विशेषज्ञों की जितनी अधिक सक्रिय भागीदारी होगी पत्रिका उतनी ही अधिक लोकप्रिय होगी। कई किसान कृषि, बागवानी और पशु पालन के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, इनकी खोज कर अन्य को इनके बारे में जानकारी दे सकेंगे तो काफी लाभकारी होगा।

**-डॉ. महर उद्दीन खां**
दादरी, जीबी नगर (उ.प्र.)

## खाद भी लूटनी पड़ रही किसानों को

बिहार के मधेपुरा जिले के मुरलीगंज कस्बे में जमा हजारों किसानों ने यूरिया खाद से भरे दो ट्रकों को लूट लिया तथा मौके पर पहुंची पुलिस पर पथराव करते हुए अनेक वाहनों को भी तोड़फोड़ डाला। बिहार में यूरिया खाद की कमी से जूझ रहे किसानों ने बीती 17 फरवरी को लगभग सात सौ बोरी यूरिया खाद लूट ली। मधेपुरा जिले के मुरलीगंज में करीब पांच हजार किसान पिछले कई दिनों से यूरिया खाद के इंतजार में इकट्ठा हो रहे थे। घटना के अनुसार क्षेत्र के किसान कई दिनों से यूरिया संकट के चलते परेशान थे। इस बीच किसानों को बांटे जाने के लिए व्यवसायी फूलचंद कुमार का दो ट्रक यूरिया पहुंचने की सूचना मिलते ही लोग रात में ही मुरलीगंज पहुंच गए और बेंगा पुल पर ट्रक को रोक लिया। मौके पर मौजूद पुलिस ने कहा कि खाद का वितरण बीएल उच्चतर विद्यालय में किया जाएगा तो सभी किसान वहीं पहुंचे। लेकिन ट्रक विद्यालय जाने के बजाय व्यवसायी के घर चला गया। इससे गुस्साए किसानों ने व्यवसायी के घर धावा बोल यूरिया लूट लिया। पुलिस के रवैये से खफा किसानों ने हंगामा करते हुए पथराव किया और मधेपुरा-पूर्णिया एनएच 107 को जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष व डीएसपी ने किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन आक्रोशित किसानों ने थाना स्थित कार्यालय, गार्ड रूम, थानाध्यक्ष आवास और वाहन को क्षति पहुंचाई। बाद में पुलिस ने लाठियां भांजकर हालात पर काबू पाया।

## जीएम फसलों के परीक्षण को स्वीकृति

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के आनुषांगिक संगठन स्वदेशी जागरण मंच के विरोध के बावजूद महाराष्ट्र की भाजपानीत सरकार ने राज्य में जीएम फसलों के परीक्षण की स्वीकृति दे दी है। भाजपानीत फड़नवीस सरकार ने बैंगन, मक्का, धान, चना और कपास की जीएम फसलों पर खेतों में परीक्षण के लिए संबंधित कंपनियों को अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी कर दिया है। इसी क्रम में बीटी राइस और चावल की दो अन्य किस्मों के भी जमीनी परीक्षण की अनुमति प्रदान कर दी गई है। ध्यान रहे कि महाराष्ट्र के अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और आंध्र प्रदेश में एनओसी हासिल करने के बाद इस तरह के जमीनी परीक्षण की इजाजत है। जबकि भाजपा शासित मध्य प्रदेश और राजस्थान में इस तरह के परीक्षण पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं।

जीएम फसलों पर परीक्षण करने के राज्य सरकार के फैसले की जानकारी सीडी मायी ने दी। मायी उस समिति के सदस्य हैं जो महाराष्ट्र सरकार को जीएम फसलों पर सलाह देती है। उनके अनुसार 'रबर को छोड़कर बैंगन, मक्का, धान, चना और कपास के मामले में जमीनी परीक्षण के लिए एनओसी दे दी गई है।' मायी ने बताया कि गुरुवार को समिति के प्रमुख अनिल काकोदकर की अध्यक्षता में हुई बैठक में जीएम फसलों के जमीनी परीक्षण को हरी झंडी दी गई।

## भू-अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ जंतर-मंतर पर किसानों की महारैली

हालिया जारी भू-अधिग्रहण आदेश के दूरगामी तथा किसानों पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों के मद्देनजर आगामी 24 फरवरी को संसद की चौखट जंतर-मंतर पर अनेक मजदूर किसान संगठनों व जनपक्षधर संगठनों ने इस अध्यादेश को तत्काल रद्द करने की मांग के साथ एक विशाल महारैली आहूत की है। महारैली का आह्वान करते हुए महारैली के आयोजन से जुड़े सभी संगठनों ने एकराय से यह माना है कि मौजूदा भूमि अधिग्रहण अध्यादेश-2014 मूल जनतांत्रिक नियोजन को खत्म कर देगा।

उन्होंने महारैली का आह्वान करते हुए कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया भू-अर्जन अध्यादेश एक ओर जहां विकास के

कॉरपोरेटीकरण को बढ़ावा देगा वहीं दूसरी ओर देश के लिए खाद्यान्न सुरक्षा संकट भी उत्पन्न कर देगा। उनके द्वारा यह अध्यादेश संविधान की मूल भावना के खिलाफ करार दिया गया है। महारैली के आयोजक संगठनों ने इस अध्यादेश की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि गरीबों के लिये सस्ते आवासों के निर्माण के नाम पर रियल एस्टेट बनाने तथा इससे मुनाफा कमाने हेतु किसानों की जमीनें उन से छीनकर भवन निर्माताओं को दी जा रही हैं। मौजूदा केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि इस सरकार के ऐजेंडे में मजदूर-किसान और गांव नहीं हैं, इसीलिये सरकार केवल स्मार्ट सिटियों के निर्माण की वकालत कर रही है। गांवों के विकास पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है।

महारैली का आह्वान करते हुए उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस अध्यादेश को रद्द किया जाये, संसद द्वारा इसे पारित न किया जाय, किसानों और मछुआरों से भूमि छीनना बंद किया जाय और शासन तथा विकास के कॉपोरेटीकरण पर तत्काल रोक लगायी जाय। जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय (एनएपीएम), अखिल भारतीय वन श्रमजीवी मंच, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन, एकता परिषद् युवा क्रांति, जन संघर्ष समन्वय समिति, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन, जनपहल किसान संघर्ष समिति, संयुक्त किसान संघर्ष समिति, इन्साफ, घर बचाओ-घर बनाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, अखिल भारतीय किसान सभा, किसान मंच आदि जनपक्षधर संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस महारैली में अधिकाधिक लोगों से शिरकत करने की अपील की गयी है।

## मसालों की खेती को बढ़ावा

किसानों की आमदनी बढ़ाने तथा कृषि क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा सरकार ने मसालों की खेती को और अधिक सघन करने का फैसला लिया है। इससे एक ओर जहां किसानों की आमदनी बढ़ेगी वहीं दूसरी ओर विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जा सकेगी। परंपरागत कृषि के साथ अतिरिक्त आमदनी के लिए मसालों की खेती को सरकार प्रोत्साहन देगी। मसालों के भरोसे विदेश में भारत की ब्रांड वैल्यू को मजबूत बनाया जाएगा। इसके लिए जल्दी ही सरकार राष्ट्रीय मसाला नीति बनाने पर विचार करेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने यह जानकारी दी। श्री सिंह ने मसालों के विकास व निर्यात पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए ये विचार व्यक्त किये।

जलवायु परिवर्तन और मिट्टी की घटती उर्वरता के चलते फसलों की उत्पादकता में गिरावट ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। सरकार ने विविधीकरण के सहारे मसाले जैसी फसलों को प्रोत्साहन देने का फैसला किया है। इसके साथ खेती में और निवेश लाकर, राष्ट्रीय विकास योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन और खाद्य सुरक्षा मिशन जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से खेती की उत्पादकता को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

श्री सिंह ने कहा कि भारत में उगाए जाने वाले 75 मसालों की लंबी सूची है। लेकिन इसमें मिर्च, कालीमिर्च, अदरक, हल्दी, इलायची, लौंग, धनिया, केसर और जीरा व्यावसायिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण हैं। मसाला व्यापार में भारत दुनिया के बड़े देशों में शुमार है। मसाले के निर्यात से सालाना 13,600 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। मसालों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए बागवानी मिशन के तहत कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं। बागवानी के साथ कृषि व्यवसाय के लिए किसानों को खेती के अन्य विकल्प दिए जाएंगे, ताकि उनकी आय को बढ़ाया जा सके। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फल और सब्जी उत्पादक देश है। 30 लाख हेक्टेयर खेतों से लगभग 60 लाख टन मसाले की सालाना पैदावार होती है, जो विश्व में सर्वाधिक है।

देश के प्रत्येक राज्य में कोई न कोई मसाला पैदा होता है। मसाला उत्पादन व व्यापार से विदेशी मुद्रा तो मिलती ही है, लाखों किसानों, खेतिहर मजदूरों और व्यापारियों को रोजगार भी हासिल होता है। देश की अर्थव्यवस्था में भारी योगदान कर मसालों ने अहम भूमिका निभाई है।

## श्रीनगर में उग रही है यूरोप की ब्रोकली

गढ़वाल विश्वविद्यालय के औद्यानिकी विभाग के विशेषज्ञों ने श्रीनगर जैसी घाटी में ब्रोकली के उत्पादन को अपनी मेहनत से सफल कर दिखाया है। गौरतलब है कि ब्रोकली यूरोप के देशों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उत्पादित होने वाली सब्जी है। विश्वविद्यालय के शोध केंद्र द्वारा गुजरे साल में लगभग तीन कुंतल स्प्राउटिंग ब्रोकली की पैदावार की गयी। शीतोष्ण जलवायु में उगने वाली सब्जी स्प्राउटिंग ब्रोकली अब श्रीनगर गढ़वाल जैसे घाटी क्षेत्र में भी उत्पादित हो सकेगी। गढ़वाल विश्वविद्यालय के उद्यानिकी विभाग के सब्जी विशेषज्ञों ने विभागाध्यक्ष प्रो. एसएस रावत के दिशा निर्देशन में शोध तकनीक के आधार पर यह उपलब्धि हासिल की। एक समय 200 से 300 रुपए प्रति किलो बिकने वाली ब्रोकली सब्जी अब सीजन के दौरान 50 से 60 रुपए प्रति किलो के दाम पर आसानी से मिल जाती है।

गढ़वाल विश्वविद्यालय उद्यानिकी विभाग के सब्जी विशेषज्ञ डॉ. दीपक राणा ने बताया कि अगस्त-सितंबर महीने में विभाग की नर्सरी में बीज बोया। जिसके बाद 70 से 80 दिनों में ब्रोकली तैयार हो गई। एक पौधे से डेढ़ से दो किलो तक ब्रोकली मिल जाती है। डॉ. दीपक राणा ने कहा कि एक ही ब्रोकली के पौधे से दो बार सब्जी प्राप्त होती है। प्रथम बार ब्रोकली के मुख्य फूल के बाद लगभग 10 से 15 दिनों के बाद उसी पौधे के अगल-बगल से छोटे-छोटे ब्रोकली के 10 से 15 तक फूल मिल जाते है। सब्जी के अलावा सलाद के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है।

## हरित क्रांति के बाद पंतनगर विवि रेडियो क्रांति की ओर

पंतनगर विश्वविद्यालय की सामुदायिक रेडियो सेवा, पंतनगर जनवाणी, के साढ़े तीन वर्ष के सफल संचालन के उपरान्त पंतनगर जनवाणी के अंतर्गत प्रदेश के सभी 13 जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र के साथ मिलकर सामुदायिक रेडियो केन्द्र चलाने की महत्वकांक्षी परियोजना सरकार की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत हुई है। यह देश में अपने प्रकार का एक अभिनव प्रयास व परियोजना है जिसके द्वारा प्रत्येक जिले को सामुदायिक रेडियो केन्द्र से आच्छादित करने का वृहद् प्रयास किया जा रहा है। यह परियोजना सामुदायिक रेडियो के संयुक्त निदेशक (संचार) डॉ. एस.के. कश्यप के निर्देशन में संचालित की जायेगी।

7.5 करोड़ की इस परियोजना की प्रथम चरण की राशि मार्च तक उपलब्ध करा दी जायेगी। इसके साथ ही साथ उत्तराखंड के समस्त 13 कृषि विज्ञान केन्द्रों में सामुदायिक रेडियो केन्द्र की स्थापना का क्रम भी शुरू कर दिया जायेगा। उन्होंने यह भी बताया कि

सभी कृषि विज्ञान केन्द्रों पर स्थापित सामुदायिक रेडियो केन्द्रों का नाम पंतनगर जनवाणी के नाम पर ही होगा और इन कृषि विज्ञान केन्द्रों पर स्थापित रेडियो केन्द्रों से वहां के समुदाय को कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य शिक्षा, रोजगार के साथ-साथ सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं के बारे में समुचित जानकारी समय-समय पर प्राप्त हो पायेगी, तथा प्राकृतिक आपदा प्रबंधन एवं मौसम संबंधित सूचनाओं के प्रसार में भी इन सामुदायिक रेडियो केन्द्रों का महत्वपूर्ण योगदान होगा।

संचार निदेशक डॉ. वीर सिंह ने कहा कि इस रेडियो क्रांति से उत्तराखण्ड के सभी जिलों में सूचना का प्रचार-प्रसार आसानी से हो पायेगा साथ ही उत्तराखण्ड की संस्कृति और भाषा का विकास भी होगा तथा लोगों को अपनी बात कहने के लिए एक मंच भी प्राप्त होगा।

## गेहूं में करनाल बन्ट रोग का नियंत्रण अवश्य करें

पंतनगर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किसानों को इस मौसम में गेहूं की फसल में लगने वाले करनाल बन्ट रोग का नियंत्रण करने की सलाह दी है। गेहूं में 'करनाल बन्ट' रोग फफूंदी-निओवेसिया इण्डिका के प्रकोप, संक्रमित बीज तथा मिट्टी द्वारा फैलता है। इस रोग से गेहूं की बाली के दानों के अन्दर काला चूर्ण बन जाता है तथा भ्रूण भाग नष्ट हो जाता है। दाना अन्दर से खोखला हो जाता है और उसकी अंकुरण क्षमता कम हो जाती है। रोगी दानों के उपयोग से कर्क रोग होने की सम्भावना रहती है। बालियों में फूल आते समय वातावरण में आर्द्रता (80-100 प्रतिशत) तथा 20 डिग्री सेन्टीग्रेड से अधिक तापमान होने और इसी समय हल्की वर्षा होने से रोग का संक्रमण अधिक होता है।

वैज्ञानिकों ने बताया है कि रोग के नियंत्रण हेतु फरवरी माह के मध्य में जब गेहूं की बालियों में फूल बनना शुरू हो तब फफूंदनाशक प्रोपीकोनाजोल 25 ई.सी. (टिल्ट 25 ई.सी.) या टेबुकोनाजोल 250 ई.सी. (फोलिकर 250 ई.सी.) नामक 500 मि.ली. दवा का 500-600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हैक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इस दवा का छिड़काव गेहूं की फसल में आने वाले पीला एवं भूरा रतुआ रोग के नियंत्रण में भी लाभकारी होता है। वैज्ञानिकों ने किसानों को यह भी सलाह दी है कि बीज हेतु बोई गई गेहूं की फसल में उपर्युक्त छिड़काव अवश्य करें जिससे अगली फसल में करनाल बन्ट रोग का प्रकोप न हो सके।

## बकाया बढ़ने से गन्ना किसान फिर मुश्किल में

चालू पेराई सत्र में चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का बकाया एक बार फिर बढ़ने लगा है और इसी के साथ किसानों की मुश्किलें भी बढ़ने लगी हैं। किसानों का बकाया बढ़ने के लिए चीनी मिलें नकदी के अभाव को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। किसानों का बकाया अदा करने के लिये अब चीनी मिलों को कच्ची चीनी के निर्यात की सब्सिडी का आसरा है। एक अनुमान के मुताबिक इस पेराई सीजन (अक्टूबर 2014 से सितंबर 2015) में गन्ना मूल्य का बकाया 13,000 करोड़ रुपये की सीमा को भी पार कर सकता है। चीनी मिलों के संगठन इस्मा ने गन्ना एरियर बढ़ने की वजहें भी गिनाई हैं। 31 जनवरी तक चीनी का उत्पादन पिछले सीजन के 1.17 करोड़ टन के मुकाबले 135 लाख टन हो चुका है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और बिहार में चीनी उत्पादन पिछले सालों के मुकाबले अधिक हुआ है। कुल उत्पादन में भी वृद्धि होने का अनुमान है।

चीनी स्टॉक बढ़ने की वजह से बाजार में कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना नहीं के बराबर है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) का कहना है कि इससे मिलें घाटे की ओर बढ़ेंगी। केंद्र सरकार के ढीले रवैये के चलते भी बाजार में सुधार नहीं होने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने कच्ची चीनी के निर्यात के लिए दी जाने वाली सब्सिडी का मसौदा तैयार कर लिया है, लेकिन इसे अभी तक मंजूरी नहीं मिली है।

चालू सीजन में पिछले साल के मुकाबले 15 फीसद अधिक चीनी का उत्पादन हुआ है। इस सीजन में 31 जनवरी तक 508 मिलों में पेराई हो रही थी। जबकि पिछले सीजन की इसी अवधि तक 491 मिलों में ही पेराई हो रही थी। महाराष्ट्र जैसे राज्य में 175 मिलों में हुई पेराई से कुल 54 लाख टन चीनी का उत्पादन हो चुका है। पिछले साल 151 मिलों ने 41.50 लाख टन चीनी का उत्पादन किया था। यानी इस बार वहां 30 फीसदी अधिक चीनी के उत्पादन का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में चालू सीजन में अब तक 118 मिलों से कुल 33.50 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है। पिछले साल 119 मिलों ने 27.84 लाख टन चीनी का उत्पादन किया था। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने 14 लाख कच्ची चीनी के निर्यात पर प्रति टन 4,000 रुपये की दर से सब्सिडी देने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस खबर से घरेलू बाजार में चीनी के मूल्य में मामूली सुधार जरूर हुआ है। लेकिन प्रस्ताव पर मंजूरी मिलने में देरी होने की दशा में इसका फायदा मिलों को नहीं मिल पायेगा।

## पूसा कृषि विज्ञान मेला 10 मार्च से

आगामी 10 मार्च को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली द्वारा संस्थान के परिसर में कृषि विज्ञान मेला आयोजित किया जा रहा है। गौरतलब है कि पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा 1972 से प्रतिवर्ष कृषि मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में किसानों को संस्थान द्वारा विकसित की गयी नवीनतम कृषि प्रोद्योगिकी की जानकारियां प्रदान की जाती हैं। साथ ही किसानों की प्रतिक्रियाएं भी गौर से सुनी जाती हैं ताकि भविष्य में अनुसंधान की दिशा एवं आवश्यकताएं तय की जा सकें। मेले का मुख्य विषय 'समग्र विकास के लिए पूसा संस्थान की प्रोद्योगिकियां' है।

10 मार्च से 12 मार्च तक चलने वाले इस तीन दिवसीय कृषि मेले में विभिन्न स्टॉल भी लगाये जायेंगे तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के संस्थानों और निजी कंपनियों द्वारा विकसित विभिन्न कृषि उपकरणों का प्रदर्शन एवम् बिक्री भी की जायेगी। मेले में शामिल होने वाले किसानों को संस्थान का भ्रमण कराया जायेगा तथा मिट्टी और पानी के नमूनों की नि:शुल्क जांच की जायेगी। इस मेले में सब्जियों और फूलों की संरक्षित खेती का प्रदर्शन, उन्नतशील किस्मों के बीजों एवं पौधों की बिक्री, विभिन्न कृषि उत्पादों, जैव उर्वरकों और कृषि रसायनों का प्रदर्शन तथा विक्रय, उन्नत सिंचाई तकनीकों का प्रदर्शन और किसान गोष्ठी का आयोजन किया जायेगा।

मेले में नवोन्मेषी किसानों द्वारा उत्पादित किये गये विभिन्न उत्पादों का प्रदर्शन करने के साथ-साथ उनकी बिक्री भी की जायेगी। महिला

सशक्तीकरण कार्यक्रमों का आयोजन, मेलार्थियों को मेला स्मारिका पत्रिका एवं कृषि साहित्य का नि:शुल्क वितरण करने के साथ-साथ नवोन्मेषी किसान सम्मेलन में किसानों को सम्मानित भी किया जायेगा। संस्थान द्वारा मेले में स्टॉल लगाने की इच्छुक विभिन्न कृषि कंपनियों तथा अन्य संस्थाओं को स्टॉल की बुकिंग हेतु सम्पर्क करने हेतु आमंत्रित किया गया है।

## पंतनगर किसान मेला 13 मार्च से

पंतनगर विवि के किसान मेले की सलाहकार समिति की बैठक में आगामी 13 मार्च से 16 मार्च तक 97वें किसान मेले के आयोजन का निर्णय लिया गया। शिक्षा प्रसार निदेशक डॉ. वाई.पी.एस. डबास ने बैठक में सर्वप्रथम पिछले मेले की बैठकों का विवरण रखा जिसकी पुष्टि की गयी। तत्पश्चात होने वाले मेले के कार्यक्रमों एवं समितियों के गठन एवं व्यवस्था संबंधी विभिन्न प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया। इस मेले में विशेष व्याख्यान माला के अंतर्गत दिये जाने वाले व्याख्यानों के विषय भी बैठक में सुझाये गये तथा कृषि यंत्रिकरण-समय की आवश्यकता, पशु प्रबंधन तथा फल-सब्जी की प्रसंस्करण विधियां विषयों पर व्याख्यान दिये जाने का निर्णय लिया गया। मेले के बजट, सुरक्षा व्यवस्था, रात्रि विश्राम हेतु आवसीय व्यवस्था, इत्यादि पर भी विचार-विमर्श हुआ। मेले में स्वच्छता की ओर विशेष ध्यान दिये जाने की सभी उपस्थित सदस्यों ने आवश्यकता जताई तथा गंदगी के लिए जिम्मेदार स्टाल धारक पर उचित जुर्माना लगाये जाने की संस्तुति की गयी।

डॉ. कुमार ने कहा कि पंतनगर किसान मेला विश्वविद्यालय की पहचान बन चुका है तथा इसमें किसानों का विश्वास लगातार बना हुआ है। उन्होंने कहा कि इस मेले को भी पूर्व के मेलों की भांति सुचारू रूप से आयोजित किया जाना चाहिए। मेले में आने वाले किसानों को अधिक सुविधाएं दिये जाने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने की भी उन्होंने आवश्यकता बतायी। भविष्य में किसान मेले के आयोजन के लिए चुने गये स्थान के विकास के लिए योजना बनाये जाने तथा उसके लिए आवश्यक धन का मांग-पत्र तैयार किये जाने के आवश्यक निर्देश भी डॉ. कुमार द्वारा दिये गये हैं। इस बैठक में सभी अधिष्ठाता, निदेशक व मेले के आयोजन से संबंधित सभी विभागों के विभागाध्यक्ष उपस्थित थे। संपन्न बैठक की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. जे. कुमार द्वारा की गयी तथा संस्थान के प्रसार शिक्षा निदेशक डॉ. वाई. पी. डबास ने बैठक में उपस्थित सभी लोगों का आभार व्यक्त किया।

## पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने का फार्मूला तैयार

वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ाने के लिये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने फार्मूला तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में सरकारी स्तर पर गतिविधियां बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश के लिए ग्लोबल निवेशकों का एक सम्मेलन अगले माह होने जा रहा है।

इधर मंत्रालय ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय उपायों के साथ-साथ इस क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए पैकेज देने का कैबिनेट नोट तैयार कर लिया है। इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट में पेश किया जाएगा। पवन ऊर्जा परियोजनाओं को दिए जाने वाले वित्तीय प्रोत्साहनों में एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन (एडी) संबंधी प्रावधान, दस वर्ष का कर अवकाश (टैक्स हॉलीडे) उपकरणों के लिए आयात शुल्क में छूट, विंड टर्बाइन और अन्य उपकरणों के उत्पादन पर उत्पाद शुल्क से मुक्ति और इस क्षेत्र से जुड़े विभिन्न प्रकार के अध्ययनों और सेवाओं पर शून्य सेवा कर जैसे उपायों पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा इन परियोजनाओं की स्थापना के लिए सर्वेक्षण पोत (सर्वे वैसल) और स्थापना पोत (स्टालेशन वैसल) उपलब्ध कराने की भी योजना है।

इसके अलावा मोदी सरकार अक्षय ऊर्जा के उत्पादन की लागत घटाने के लिए अक्षय ऊर्जा के साथ-साथ पारंपरिक तरीकों से बिजली उत्पादन को मिलाकर उत्पादन करने (बंडलिंग) की छूट देने पर भी विचार कर रही है। इससे गैर पारंपरिक ऊर्जा की कीमतें घटने के साथ-साथ उसकी स्वीकार्यता भी बढ़ेगी।

हालांकि यह गैर आवंटित ब्लॉकों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। पवन ऊर्जा के उत्पादन को आगे बढ़ाने के लिए एमएनआरई अपतटीय पवन ऊर्जा ब्लॉकों का सर्वेक्षण भी शुरू करने जा रहा है। इसके तहत शुरुआती दौर में संसाधनों के आकलन के साथ-साथ समुद्री तल का सर्वेक्षण आदि शामिल है। ऐसे सर्वेक्षणों को जल्द शुरू करने का मंत्रालय की ओर से प्रस्ताव है। इसके काम को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए निजी फर्मों और विदेशी कंपनियों को परियोजनाओं की जरूरतों को देखते हुए (केस टू केस बेसिस) अध्ययन और सर्वेक्षण करने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि इस छूट के बावजूद अध्ययन के लिए सर्वेयर को जहां आवश्यक हो, वहां रक्षा मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय से भी अलग से मंजूरी लेनी होगी। इसके अलावा इन मामलों में सर्वेक्षण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जहाजों और अन्य उपकरणों का रक्षा मंत्रालय द्वारा निरीक्षण भी किए जाने का प्रावधान लागू होगा। इसके अलावा इन परियोजनाओं के लिए निविदाएं जारी करने से पहले गृह विदेश और अंतरिक्ष मंत्रालय से भी सैद्धांतिक मंजूरी लेनी होगी।

पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ब्लॉकों का चिन्हीकरण करते वक्त अपतटीय क्षेत्रों में मौजूद खनिज, तेल व गैस के भंडार जलीय जीवों और समुद्री बनावटें व पुरातत्वीय पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाएगा। इन ब्लॉकों के आवंटन के लिए खुली अंतरराष्ट्रीय नीलामी (आईसीबी) की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ●

## जनसरोकारों के लिए प्रतिबद्ध पिता–पुत्र का जाना

'रीजनल रिपोर्टर' के संपादक भवानी शंकर थपलियाल (42) और उनके पिता उमाशंकर थपलियाल (75) के असामयिक और दुखद निधन से समूचा पत्रकार जगत स्तब्ध है। गत 17 फरवरी को जनसरोकारों को समर्पित पत्रकार भवानी शंकर थपलियाल का हृदयगति रुक जाने से श्रीनगर (गढ़वाल) स्थित बेस अस्पताल में निधन हो गया। उनके पिता डॉ. उमाशंकर थपलियाल ने जब अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुना तो वह सदमे के कारण मूर्च्छा में चले गये और आधे घंटे के गहन उपचार के बाद उन्होंने भी यह भौतिक संसार त्याग दिया। गौरतलब है कि दोनों पिता-पुत्र जनसरोकारों के लिए प्रतिबद्ध पत्रकारिता के लिए जाने जाते थे।

उत्तराखंड के पत्रकार जगत ने डॉ. उमाशंकर थपलियाल और उनके पुत्र भवानी शंकर थपलियाल के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए इसे एक अपूर्णीय क्षति बताया है। कृषि चौपाल परिवार इस दुखद अवसर पर गहन संवेदना व्यक्त करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि वह डॉ. उमाशंकर थपलियाल और भवानी शंकर थपलियाल के परिजनों को गहन दुख को सहने की सामर्थ्य प्रदान करें।

# आखिर खेती योग्य भूमि का ही अधिग्रहण क्यों?

**सत्ता का यह कैसा विद्रूप चेहरा है कि एक ओर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के चुनाव प्रचार अभियान में आदिवासियों की जमीनें अधिग्रहीत नहीं करने की बातें करते हैं और दूसरी तरफ दिल्ली पहुंचकर एक झटके में भूमि अधिग्रहण अधिनियम को परिवर्तित करते हुए अध्यादेश के रूप में लागू कर देते हैं।**

**महेन्द्र बोरा**

भारत में पहला भूमि अधिग्रहण कानून सन् 1894 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था। स्पष्ट है कि जब कोई साम्राज्य विस्तारवादी सरकार भूमि अधिग्रहण जैसा कानून बनायेगी तो वह एक तरह से भूमि की लूट जैसा ही होगा और हुआ भी ऐसा ही। अंग्रेजी शासन के दौरान गुलाम भारत के लिए लंदन से ब्रिटिश हुकूमत द्वारा जो भी अधिनियम या कानून बनाये गये वे ब्रिटिश हुकूमत के अधिकाधिक हितों को ही ध्यान में रखकर बनाये गये थे। केवल भूमि अधिग्रहण कानून ही नहीं अपितु भारतीय पुलिस अधिनियम-1861, प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, भारतीय टॉल अधिनियम, भारतीय मत्स्य अधिनियम, वन संरक्षण, साइमन कमीशन आदि अनेक ऐसे कानून बनाये गये जिनसे तत्कालीन भारत औद्योगिक और आर्थिक रूप से कमजोर होता चला गया। साथ ही भूमि अधिग्रहण के नाम पर किसानों की जमीनें लूट ली गयीं और किसानों तथा जंगलों पर निर्भर समुदायों से उनके हक-हकूक छीन लिए गये। मछुआरों से उनके तट और अन्य अधिकार जबरन छुड़वा दिये गये। परंतु नवाबों, रजवाड़ों, जमींदारों और थोकदारों आदि की लगान वसूली तथा जमीनें और हक-हकूक बहाल रखे गये। यह तो हुई गुलाम भारत की बात।

अब जबकि भारत स्वतंत्र, संप्रभु संविधान धारक और पूर्ण लोकतांत्रिक देश है, फिर भी आज अनेक कानून तथा प्रावधान ऐसे हैं जो हमें सत्ता के शीर्ष प्रतिष्ठान की प्रताड़ना सहने को विवश करते हैं। मसलन पुलिस शासन अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, भारतीय टॉल अधिनियम, श्रम अधिनियम और भूमि अधिग्रहण अधिनियम आदि ऐसे ही कानून हैं जिनके जरिये आज भी भारतवासियों को 'इंडिया' द्वारा डराना-धमकाना और लूटना जारी है।

मौजूदा केन्द्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून में भारी फेरबदल करते हुए इसे बतौर अध्यादेश लागू कर दिया है और बहुत संभावना है कि इसी वर्ष बजट-सत्र के दौरान इसे कानून के रूप में पारित करवाने के पुरजोर प्रयास किये जायेंगे। सत्ता का यह कैसा विद्रूप चेहरा है कि एक ओर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखण्ड के चुनाव प्रचार अभियान में आदिवासियों की जमीनें अधिग्रहीत नहीं करने की बातें करते हैं और दिल्ली पहुंचकर एक झटके में भूमि अधिग्रहण अधिनियम को परिवर्तित करते हुए अध्यादेश के रूप में लागू कर देते हैं। जिस कानून को बदलकर यह अध्यादेश लागू किया गया है उसके लिए भी किसानों, मजदूरों, मछुआरों और तमाम जन पक्षधर संगठनों ने एक लम्बी लड़ाई लड़ी। मौजूदा सरकार के नुमाइंदे यह भूले नहीं

होंगे कि जब 2010 में खेती योग्य जमीनों को बड़े पैमाने पर तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौड़ियों के दाम अधिग्रहीत कर अपने चहेते उद्योगपतियों और औद्योगिक घरानों को दिया जा रहा था, तब इस अधिग्रहण के खिलाफ किसानों ने 'किसान संघर्ष समिति' के बैनर तले कड़ा विरोध किया था। सरकार की हठधर्मिता के चलते यह आंदोलन कई जगहों पर उग्र हिंसक प्रदर्शनों तक जा पहुंचा और किसान-पुलिस टकराव के कारण कई लोगों की जानें भी चली गयीं। तब भी वास्तविकता यह थी कि भूमि अधिग्रहण कानून की आड़ में किसानों की काश्तयोग्य जमीनें सरकार द्वारा सस्ते दामों में खरीदकर या यूं कहें कि हथिया कर सरकार द्वारा अपने चहेते औद्योगिक घरानों को दी जा रही थीं, और औद्योगिक घराने इन जमीनों को सौ-सवा-सौ गुनी ऊंची कीमतों में बेचकर दोनों हाथों से मुनाफा बटोर रहे थे। भूमि अधिग्रहण कानून-2013 में बदलाव की कुछ मांगों को शामिल किया गया था। हालांकि भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव की मांग करने वाले जनांदोलनों की अधिकांश मांगों को इस भूमि अधिग्रहण कानून के दायरे में नहीं लिया गया था।

लेकिन अब नये अध्यादेश ने मूल जनतांत्रिक नियोजन को ही खतरे में डाल दिया है। यह अध्यादेश निजी परियोजनाओं हेतु भी भूमि अधिग्रहण के मामले में किसानों की सहमति को जरूरी नहीं मानता है और खेती-बाड़ी की बहुफसली जमीनों को भी सरकारी तथा निजी उद्योगों हेतु देने का प्रावधान करता है। जबकि भूमि अधिग्रहण कानून-2013 में जनांदोलनों की मांग पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) की परियोजनाओं से प्रभावित होने वाले 70 प्रतिशत किसानों से भूमि अधिग्रहण हेतु सहमति लेने, खाद्यान्न सुरक्षा की दृष्टि से बहुफसली जमीनों का अधिग्रहण न करने व ग्राम पंचायतों की सहभागिता से परियोजनाओं के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों के आंकलन का अध्ययन करने तथा केवल प्राकृतिक आपदा जैसी हालत में ही अर्जेंसी धारा का उपयोग करने के प्रावधान सम्मिलित किये गये थे। जबकि नये अध्यादेश में कंपनियों के लिए हर प्रकार की शासकीय तथा पीपीपी परियोजनाओं, निजी अस्पतालों तथा स्कूलों आदि जैसी संस्थाओं के लिए भी जमीनों के अधिग्रहण की छूट शामिल की गयी है।

इससे पूर्व के भूमि अधिग्रहण कानून में विस्थापितों के पुनर्वास को भूमि अधिग्रहण से जोड़ा तो जरूर गया था, परंतु प्रभावितों के वैकल्पिक आजीविका के सवाल को छोड़ दिया गया था। सिर्फ सिंचाई परियोजनाओं से विस्थापित होने वाले अनुसूचित जाति व जनजातीय परिवारों

**यह कानून न सिर्फ किसानों के लिये नुकसानदेह है, बल्कि यह देशव्यापी स्तर पर खाद्यान्न सुरक्षा को भी गंभीर खतरे में डाल देगा। एक ऐसा देश जिसकी अधिकांश आबादी आज भी कुपोषण का शिकार है, यदि उसकी खाद्यान्न सुरक्षा संकट में पड़ जाती है तो हालात और भी बुरे हो सकते हैं।**

को ढाई एकड़ जमीन तथा अन्य (सामान्य) परिवारों को एक एकड़ जमीन यदि संभाव्यता हो तो प्रभावित परिवारों के नौकरी योग्य व्यक्ति को संबंधित परियोजना में नौकरी देने तथा नौकरी के बदले पांच लाख रुपये देने के प्रावधानों को सम्मिलित किया गया था। पुराने अधिग्रहण कानून में अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा बाजार भाव अथवा सरकारी भाव से दो से चार गुना तक बढ़ाकर देने का प्रावधान शामिल किया गया। उस कानून में एक खास प्रावधान यह भी शामिल किया गया था कि जहां पांच या अधिक साल पहले भूमि अधिग्रहीत की गयी हो परंतु जमीन मूल मालिक के कब्जे में ही हो और उसने मुआवजा भी स्वीकार नहीं किया हो, तो उसे जमीन वापस की जा सकती है। भूमि अधिग्रहण संबंधी नये अध्यादेश में हालांकि पुनर्वास के लिये मुआवजा देने का प्रावधान बनाये रखा गया है, परंतु यह एक कड़वी सच्चाई है कि बढ़ा हुआ मुआवजा भी आजीविका का विकल्प नहीं हो सकता है।

यह अपने आप में कम आश्चर्यजनक नहीं है कि एक दूरगामी कानून को जो हालांकि औपनिवेशिक कानून का ही एक अल्प संशोधित रूप था, एकबारगी अध्यादेश के जरिये विस्थापित कर देने की सरकार को इतनी जल्दबाजी क्यों रही। वर्तमान में देश की कुल 10 करोड़ 80 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेतीबाड़ी होती है। खेती की जमीन के अधिग्रहण के कारण यह रकबा भविष्य में और सिकुड़ेगा। नये अध्यादेश के समर्थन में एक बात यह प्रचारित की जा रही है कि किसानों को सस्ते मूल्य पर आवास उपलब्ध कराने के लिए भी भूमि का अधिग्रहण कर पीपीपी प्रणाली से आवासों का निर्माण किया जायेगा। लेकिन सच तो यह है कि किसानों को सस्ते आवास मिलें या न मिलें परंतु पीपीपी की आड़ में रीयल एस्टेट के कारोबारी जरूर चमकेंगे। क्या श्री मोदी यह बता सकते हैं कि जिन किसानों को सस्ते आवास देने की आड़ में भूमि अधिग्रहण कानून अध्यादेश की शक्ल में लागू कर दिया गया है, क्या इस अध्यादेश या कानून से किसानों की आत्महत्या को रोका जा सकेगा? और साथ ही अधिग्रहण से होने वाले सामाजिक और पर्यावरणीय नुकसानों को किसके भले के लिये नजरअंदाज किया जा रहा है?

जब भी किसी योजना या परियोजना के लिए जमीनों के अधिग्रहण की बात आती है, तो सरकार सबसे पहले किसानों की काश्तयोग्य भूमि पर ही डाका क्यों डालती है, यह समझ से परे है। जबकि सरकार के पास वनभूमि है, बंजर भूमि है, देश में अनेक बंद पड़े विशाल कारखानों के पास करोड़ों एकड़ जमीन बेकार पड़ी हुई है। आश्चर्य की बात यह है कि इन कारखानों के मालिकों ने सरकारी सब्सिडी के रूप में भी करोड़ों रुपये डकारे हुए हैं। यदि अधिग्रहण की ही आवश्यकता है तो सरकार को वनभूमि, बंजर भूमि और इन बंद पड़े कारखानों की जमीनों का इस्तेमाल करना चाहिये। यदि यह अध्यादेश कानून का रूप ले लेता है तो किसानों के लिए हितकारी नहीं होगा। एक अध्ययन के अनुसार जिन भारी-भरकम औद्योगिक कॉरीडोरों के निर्माण की सरकार सोच रही है, उनमें से केवल दिल्ली-मुंबई कॉरीडोर के लिए ही लगभग चार लाख वर्ग हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि किसानों से छिन जायेगी। अत: अनुमान लगाया जा सकता है कि भविष्य में इस कानून से किस हद तक किसानों को अपनी जमीनों से हाथ धोना पड़ेगा। आज सरकार द्वारा जो स्मार्ट सिटीज बनाने का सपना देखा जा रहा है, उसके लिये भी काश्त योग्य भूमि का भारी पैमाने पर अधिग्रहण होगा।

वास्तविकता यह है कि यह कानून न सिर्फ किसानों के लिये नुकसानदेह है, बल्कि यह देशव्यापी स्तर पर खाद्यान्न सुरक्षा को भी गंभीर खतरे में डाल देगा। एक ऐसा देश जिसकी अधिकांश आबादी आज भी कुपोषण का शिकार है, यदि उसकी खाद्यान्न सुरक्षा संकट में पड़ जाती है तो हालात और भी बुरे हो सकते हैं। यहां यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत की अधिकतर आबादी को अच्छा इलाज भी मयस्सर नहीं है। इस कानून के लागू होने से अनेक किसान मजबूरी में मजदूर बनेंगे और वह भी अकुशल मजदूर होंगे और इन सस्ते मजदूरों का लाभ भी अंतत: कॉरपोरेट जगत को ही होगा। सरकार को अपने फैसले पर पुन: विचार करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की हार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने है। यह एक अच्छा मौका है कि वह ठहरकर अपने 'मेक इन इंडिया' की अवधारणा पर भलीभांति सोच-विचार कर सकते हैं। ●

# अब अन्ना के सहारे चलेगी कांग्रेस

**सामाजिक कार्यकर्ता और अनेक जनपक्षधर संगठनों का नेतृत्व कर चुके अन्ना हजारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वर्तमान में काफी कुपित हैं। उन्होंने श्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि मौजूदा सरकार के शासनकाल में केवल उद्योगपतियों के अच्छे दिन आए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री पर यह भी आरोप लगाया है कि वह केवल उद्योगपतियों और औद्योगिक घरानों के बारे में ही चिंतन करते हैं तथा किसानों और गरीबों के बारे में कुछ नहीं सोचते।**

**कृषि चौपाल**

एक ओर भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता और जनपक्षधर आंदोलनों के अगुआ अन्ना हजारे सहित अनेक किसान-मजदूर एवं जनपक्षधर संगठन सरकार के खिलाफ देशव्यापी स्तर पर लामबंदी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विलुप्ति के कगार पर खड़ी कांग्रेस अब किसानों के बहाने मौजूदा केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस अब भावी बजट सत्र के मद्देनजर अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए राज्यों से विरोध की आवाज उठाने की तैयारी कर रही है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि आगामी संसद सत्र के दौरान राज्यों की राजधानियों में किसानों की तरफदारी में व्यापक प्रदर्शन आयोजित किये जायेंगे। इन प्रदर्शनों के माध्यम से भूमि अधिग्रहण, यूरिया की कमी आदि जैसे ज्वलंत मुद्दों पर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस अन्ना हजारे के आंदोलन को समर्थन देते हुए भाजपा की खिलाफत करती नजर आयेगी।

गौरतलब है कि विख्यात समाजसेवी तथा जनपक्षधर आंदोलनों के अगुआ अन्ना हजारे विगत दिसंबर माह में जारी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लेकर दिल्ली में तीन दिवसीय धरने का ऐलान कर चुके हैं। धरने के पहले दिन हालांकि राजनीतिक दलों व शख्सियतों को अन्ना के मंच से दूर रखा जायेगा। परंतु अन्य दो दिनों में इस तरह की मनाही नहीं होगी। आजकल अन्ना के करीबी माने जा रहे कर्नल (सेनि.) दिनेश ने बताया है कि अन्ना हजारे अपने आंदोलन को राजनीतिक उठापटक से दूर रखना चाहते हैं, इसलिये आंदोलन के पहले दिन अन्ना तथा किसानों से जुड़े संगठन ही मंच पर कमान संभालेंगे।

उधर मुद्दा विहीन हो चली राजनीति में अचानक ज्वलंत मुद्दे के तौर पर आये भूमि अधिग्रहण कानून की खिलाफत के बहाने आगामी संसद सत्र में कांग्रेस भी मौका ताड़ रही है। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस मुद्दे पर आंदोलन की कमान कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी को सौंपी गयी है। पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश इस आंदोलन की व्यूह-रचना कर रहे हैं। सूत्रों ने यह भी बताया कि आंदोलन के पहले दिन कांग्रेस के तमाम प्रदेश संगठन अपने-अपने राज्यों में धरना-प्रदर्शन करेंगे वहीं अगले दिन पार्टी जंतर-मंतर पर जुटे अन्य संगठनों के साथ उपस्थिति दर्ज कराने का मन बना चुकी है।

सामाजिक कार्यकर्ता और अनेक जनपक्षधर संगठनों का नेतृत्व कर चुके अन्ना हजारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वर्तमान में काफी कुपित हैं। उन्होंने श्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि मौजूदा सरकार के शासनकाल में केवल उद्योगपतियों के अच्छे दिन आए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री पर यह भी आरोप लगाया है कि वह केवल उद्योगपतियों और औद्योगिक घरानों के बारे में ही चिंतन करते हैं तथा किसानों और गरीबों के बारे में कुछ नहीं सोचते।

22 से 24 फरवरी तक दिल्ली में जंतर-मंतर पर हालिया जारी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश की खिलाफत के लिए किये जा रहे धरना-प्रदर्शन से ठीक पहले अन्ना ने यह बयान दिया है। गौरतलब है कि इस धरना-प्रदर्शन में देशभर के 70 से ज्यादा मजदूर-किसान और जनपक्षधर संगठन शिरकत कर रहे हैं। धरना-प्रदर्शन की बावत एक अखबार के साथ बातचीत करते हुए अन्ना ने यह भी कहा कि जो नीतियां मौजूदा सरकार द्वारा लागू की जा रही हैं, उनसे देश का भविष्य उज्ज्वल नहीं होगा। श्री हजारे ने श्री मोदी पर यह भी आरोप लगाया कि वह प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद से केवल उद्योगपतियों और धन कुबेरों के कल्याण के लिये नीतियां बना रहे हैं।

भ्रष्टाचार के खिलाफ संचालित आंदोलनों में अन्ना के सहयोगी रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हालांकि उन्होंने तारीफ की और कहा कि उनके (केजरीवाल) जैसे लोगों के मन में जनकल्याण की भावना रहती है। और समय मिलने पर यह भावना समाज को बदलने की दिशा में उठाये गये कदमों के रूप में दिखायी देगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है।

अभी कांग्रेस को केंद्र की सत्ता से बेदखल हुए लगभग एक साल भी नहीं हुआ है कि उसे आर्थिक मोर्चे पर भारी किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। राजनीतिक परिदृश्य से लगभग अदृश्यता की ओर जा रही कांग्रेस की आर्थिक मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं, जिसने पार्टी के आलाकमान के माथे पर पर शिकन डाल दी हैं। आलाकमान की फिक्र का अंदाजा पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा के उस पत्र से चलता है जिसे उन्होंने पार्टी मुख्यालय को भेजा है। इस पत्र में श्री वोरा ने पार्टी कार्यकर्त्ताओं से पार्टी की आर्थिक मदद करने की अपेक्षा करते हुए यह सुझाव दिया है कि पार्टी का प्रत्येक सदस्य कम से कम 250 रुपया सालाना पार्टी कोष में प्रदान करे। ●

# ग्रामीण विकास की संभावनाएं

**सांसद आदर्श ग्राम योजना जमीनी स्तर के विकास में सांसदों की व्यावहारिक तथा प्रत्यक्ष भूमिका को लेकर उत्सुकता तो जगाती है, परंतु ग्राम पंचायतें वर्तमान में जिस कदर अधिकार विहीन हैं तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाने वाला कृषि क्षेत्र जितना उपेक्षित है, उसको ध्यान में रखते हुए इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर संदेह उत्पन्न होना भी स्वाभाविक है।**

**कृषि चौपाल**

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से ग्रामीण विकास की संभावनाएं जागना स्वाभाविक है। उन्होंने सांसद आदर्शग्राम योजना का सूत्रपात कर एक नयी परंपरा की शुरुआत की है। परंतु इस योजना का तकनीकी पक्ष इस लिये कमजोर आंका जा रहा है, क्योंकि इसके लिये अलग से किसी प्रकार की नयी निधि का प्रावधान नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में भी यह कहा था कि उनकी सरकार ग्रामवासियों और किसानों के राडार पर होगी। सांसद आदर्श ग्राम योजना जमीनी स्तर के विकास में सांसदों की व्यावहारिक तथा प्रत्यक्ष भूमिका को लेकर उत्सुकता तो जगाती है, परंतु ग्राम पंचायतें वर्तमान में जिस कदर अधिकार विहीन हैं तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाने वाला कृषि क्षेत्र जितना उपेक्षित है, उसको ध्यान में रखते हुए इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर संदेह उत्पन्न होना भी स्वाभाविक है।

इस योजना के प्रारंभ में ही यह विवाद प्रकाश में आ रहा है कि प्रधानमंत्री सहित गृहमंत्री आदि द्वारा जिन गांवों को इस योजना के अंतर्गत गोद लिया गया है, उन गांवों में अल्पसंख्यक आबादी ना के बराबर है या फिर वह गांव हिन्दू आबादी बहुल हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि स्थानीय सरकारी तंत्र तथा ग्रामीण समुदायों की दिलचस्पी, निवेश तथा सक्रिय भागीदारी के समन्वय के बिना गांवों के लिये बनायी जाने वाली परियोजना सफल नहीं हो सकती है।

तकनीकी रूप से सांसद आदर्श ग्राम योजना यानि एसएजीवाइ सरकारी संस्थाओं और चयनित किये गये गांव के समुदायों की ग्राम पंचायतों की प्रगति के जरिये आदर्श गांव या समृद्ध गांव की स्थापना करने का एक मौका देती है। इस योजना की अवधारणा यह है कि सशक्त आदर्श ग्रामों के निर्माण द्वारा दीर्घकालिक विकास का मॉडल तैयार किया जा सकेगा। जिसे कि अन्य गांव अपनायेंगे। साथ ही यह योजना मुख्यत: किसी परियोजना को योजनाबद्ध करने और उसके संचालन में प्राय: आने वाली समस्याओं के समाधान की कोशिश भी करती है। गौरतलब है कि सांसदों का विगत तीन दशकों से यह प्रयास रहा है कि वे अपने ही द्वारा बनायी गयी नीतियों को अमली जामा पहनाने में भी बड़ी भूमिका निभायें। सांसद आदर्श ग्राम योजना के अस्तित्व में आने से पहले भी जिला स्तरीय सतर्कता बैठक समिति के जरिये सांसदों ने यह प्रयास किये हैं। सतर्कता बैठक समिति के माध्यम से सांसद द्वारा जिला स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन पर निगाह रखी जाती है। परंतु अब सांसद इस योजना के माध्यम से योजनओं के क्रियान्वयन पर ही निगाह नहीं रखेंगे बल्कि उसमें सक्रिय भूमिका भी निभा सकेंगे। यानि कि सांसद आदर्श ग्राम योजना, विभिन्न योजनाओं-परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सांसदों की सक्रिय भूमिका का विस्तार कही जा सकती है।

गांव के विकास की जिम्मेदारी सांसदों को सौंपकर, यह योजना चयनित प्रतिनिधियों तथा स्थानीय सरकारी संस्थाओं के मध्य संबंधों को विकसित करने और उनमें समन्वय स्थापित करने का प्रयास भी करती है। स्पष्ट है कि जब सांसद क्रियान्वयन समूह का हिस्सा हो जायेंगे तो यह समूह एक साथ मिलकर काम करने, सहयोग करने और परियोजना को सफल बनाने के लिये और भी ज्यादा कारगर हो जायेंगे। विकास के लिये गोद लिये जाने वाले गांव को चिन्हित करने, योजना के लिये धन जुटाने और योजना को सक्रियता प्रदान करने में सांसदों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसा कि हमने शुरू में ही कहा है कि किसी गांव के निवासी ही उस गांव की जरूरतों को भलीभांति समझ सकते हैं, और उनकी पहचान कर सकते हैं। स्पष्ट है कि सांसदों के पास अनेक विचार हो सकते हैं परंतु विचारों का भौतिक रूप में क्रियान्वयन तो तभी संभव होगा जबकि गांव के निवासियों

को उसमें शामिल किया जायेगा। यदि हम इसे केवल परामर्शदात्री योजना मानकर चलते हैं तो यह हमारी भूल होगी। वास्तविकता यह है कि यह योजना सांसदों को स्थानीय नेताओं के साथ विकास के लिए एक नए मॉडल को तैयार करने का मौका मुहैया कराती है। यह सांसदों को ग्रामीण समुदाय की सेवा करने का अवसर प्रदान करती है। लेकिन इस सारी कवायद से सकारात्मक परिणाम तभी प्राप्त करे जा सकते हैं जबकि हम यह मान लें कि वर्तमान में भारत के सभी गांव विकास के लिये तरस रहे हैं। और इन परिस्थितियों में किसी एक गांव का चयन करना भी आसान नहीं है। जैसा कि हम प्रारंभ में ही कह चुके हैं कि अनेक सांसदों पर गांवों के चयन के मामले में भी पक्षपात के आरोप लग रहे हैं। जाहिर है कि किसी गांव को चुनते समय धन की उपलब्धता तथा संबंधित स्थानीय निकायों से सक्रिय समर्थन हासिल करना भी अपने आप में एक चुनौती है। यह समर्थन इसलिये भी जरूरी है ताकि पक्षपात के आरोपों का सामना करा जा सके। क्योंकि प्रभावी तथा बेदाग स्थानीय जन प्रतिनिधियों की राय और समर्थन के बिना विकास के किसी भी मॉडल को स्थानीय स्तर पर स्थापित नहीं किया जा सकता है।

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु पृथक से कोई वित्तीय प्रावधान नहीं अपनाये गये हैं। सांसदों द्वारा आदर्श ग्रामों का चयन और अपने ही चुनावी क्षेत्र में सांसद निधि में से ही धन का आवंटन सांसदों के लिये काफी कठिन कार्य होगा। क्योंकि इस योजना के अनुसार प्रत्येक सांसद को 2016 तक एक तथा 2019 तक दो एवं 2024 तक कुल आठ ग्राम पंचायतों के विकास का लक्ष्य हासिल करना होगा। यहां पर यह सुझाव हो सकता है कि या तो सांसद निधि में इस योजना के लिए अलग से धन आवंटित हो या फिर इस योजना के लिये अलग से वित्तीय प्रावधान अमल में लाये जायें।

गांवों के विकास के बारे में हमें यह याद रखना होगा कि आज भी 'स्मार्ट सिटी' बनाने की कवायद तो हो रही है लेकिन स्मार्ट विलेज के निर्माण की बात कहीं नजर नहीं आ रही है। कहने का अभिप्राय यह है कि किसी भी गांव का विकास तभी संभव है जबकि हम उस गांव की सरकार को अर्थात् ग्राम पंचायतों को भी अधिकार संपन्न तथा आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर जोर दें। इस योजना से तभी लाभ प्राप्त किया जा सकता है जब ग्रामवासी स्वयं इस योजना में भागीदारी करने की पहलकदमी लें तथा इसके क्रियान्वयन पर पैनी निगाह रखते हुए अपने सांसद से संवाद कायम करते रहें। ●

# डाकिया आया बीज लाया

**इस सेवा के पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि जहां एक ओर दूर–दराज के किसानों तक खेतीबाड़ी की नयी तकनीकें पहुंचेंगी वहीं उन्हें अच्छा बीज भी प्राप्त होगा जिससे कि किसानों की फसलों की उत्पादकता तथा आमदनी भी बढ़ेगी।**

**कृषि चौपाल**

खेती-किसानी से विमुख हो रहे किसानों को पुन: कृषि की ओर उन्मुख करने के लिये सरकार द्वारा किये जाने वाले नये प्रयासों के तहत अब कृषि डाक प्रसार सेवा परियोजना का खाका तैयार किया गया है, जो बहुत जल्द अमल में भी आ जायेगा। इस योजना के तहत दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों तक किसानों को आधुनिक प्रोद्योगिकी तथा बीज मुहैया कराया जायेगा।

गौरतलब है कि भारत की कृषि प्रसार की स्थिति अत्यंत दयनीय है। अभी केवल छ: राज्यों के पास गांव स्तर तक और 11 राज्यों के पास पंचायत स्तर तक अपनी प्रसार व्यवस्था तो है, परंतु वह भी बरायनाम तथा लुंज-पुंज अवस्था में है। अब डाक के जरिये दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों के किसानों तक प्रसार व्यवस्था के तंत्र को विस्तारित करने के उद्देश्य से कृषि डाक प्रसार सेवा की भारत के 14 राज्यों के 100 जिलों मे शुरुआत की जा रही है। इसके तहत किसानों को बीजों की पहली खेप मुफ्त उपलब्ध करायी जायेगी। इस सेवा के पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि जहां एक ओर दूर-दराज के किसानों तक खेतीबाड़ी की नयी तकनीकें पहुंचेंगी वहीं उन्हें अच्छा बीज भी प्राप्त होगा जिससे कि किसानों की फसलों की उत्पादकता तथा आमदनी भी बढ़ेगी। हालांकि यह सेवा भी काफी लागत प्रभावी है। देशव्यापी स्तर पर इसको लागू करने से पहले बतौर आजमाईश इसे उत्तर प्रदेश के सीतापुर, बिहार में बक्सर, मध्य प्रदेश के शिवपुर और राजस्थान में सिरोही तथा जम्मू और कश्मीर के जम्मू जिले में लागू किया गया था। तब इसके परिणाम काफी उत्साहजनक रहे थे और इन जिलों में जिन फसलों के लिये इसे आजमाया गया उन फसलों के उत्पादन में 11 से 30 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी पायी गयी। इन परिणामों से उत्साहित होकर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने इस योजना को विस्तारित करने का मन बनाया और उन्नत बीजों को डाक के माध्यम से चयनित गांवों के किसानों तक पहुंचाने का उद्देश्य निर्धारित किया।

यानि कि अब हमारे किसान उस पुराने मशहूर गाने को कुछ इस प्रकार भी खेतों में काम करते हुए गा सकते हैं- 'डाकिया आया डाकिया आया, साथ में बीज लाया।' सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस योजना को भलीभांति संपादित करने के लिये ग्रामीण इलाकों में कार्यरत पोस्ट मास्टरों को बाकायदा इसके लिये ट्रेनिंग दी जायेगी तथा उन्हें इस योजना के तहत एजेंट बना दिया जायेगा। इस योजना के क्रियान्वयन के शुरुआती चरण में किसानों को मुफ्त में बीज दिये जायेंगे और तब इन बीजों के प्रयोग से जो किसान संतुष्ट होंगे उन्हें अगले चरण में बीज तथा डाक के खर्चों में हिस्सेदार बनाया जायेगा। स्थानीय डाकघरों के साथ-साथ इस योजना के क्रियान्वयन तथा विस्तारीकरण में कृषि विज्ञान केंद्रों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। किसानों को बीज का पहला पैकेट तो मुफ्त पहुंचेगा, उसके बाद बीज के अगले पैकेटों को 'अभी बुक करें बाद में अदा करें' स्कीम के अंतर्गत प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही कृषि मंत्रालय की मदद से खेती-बाड़ी की नयी तकनीकों को भी किसानों तक पहुंचाया जायेगा। ●

# बच्चों को कृमिमुक्त बनाएगी डी-वॉर्मिंग योजना

**विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार भारत में एक से 14 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 24 करोड़ बच्चों को आंतों में पलने वाले परजीवी कृमियों से प्रभावित होने का जोखिम है। इसे गंभीरता से लेते हुए सरकार ने नई डी–वॉर्मिंग योजना की शुरुआत कर दी है।**

**कृषि चौपाल**

मानव और पशुओं को राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, फ्लूक और टेप वॉर्म जैसे परजीवी कृमियों से बचाने के लिए एंटी हेलमिंटिक दवा दी जाती है। स्कूली बच्चों के सामूहिक डी-वॉर्मिंग अभियान के तहत हेलमिनथिएसिस की रोकथाम और उपचार के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मिट्टी के संपर्क से पैदा होने वाला हेलमिनथिएसिस भी शामिल है। बच्चों का उपचार बेनडेजॉल और एलबेनडेजॉल से किया जा सकता है। एलबेनडेजॉल की एक गोली से बच्चों को परजीवी कृमियों से बचाया जा सकता है। परजीवी कृमि बच्चे की आंतों में रहते हैं और मानसिक स्वास्थ्य तथा शारीरिक विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को अपना आहार बनाते हैं। यह गोली संक्रमित और गैर संक्रमित बच्चों के लिए सुरक्षित है, साथ ही इसका स्वाद बहुत अच्छा है।

हेलमिंथ्स परजीवियों का एक समूह है जिन्हें कृमि के रूप में जाना जाता है। इनमें सिस्टोसोम्स और मिट्टी के संपर्क से पैदा होने वाले हेलमिंथ्स शामिल हैं। यह संक्रमण विकासशील देशों के आम संक्रमणों में से एक है। मामूली संक्रमण पर प्रायः ध्यान नहीं जाता, लेकिन गंभीर कृमि संक्रमण होने पर पेट में दर्द, कमजोरी, आयरन की कमी से पैदा होने वाली रक्त अल्पता, कुपोषण, शारीरिक विकास का रुकना जैसे गंभीर रोग हो सकते हैं। संक्रमणों के कारण मानसिक कमजोरी हो सकती है तथा ऊतकों का नुकसान भी संभावित है, जिसके लिए शल्य चिकित्सा आवश्यक होती है।

कृमि संक्रमण को कम करने के लिए महामारी क्षेत्रों में रहने वाले स्कूल जाने की आयु वाले बच्चों के इलाज के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने समय आधारित औषध उपचार की सिफारिश की है। संगठन का कहना है कि पूरी दुनिया में स्कूल जाने की आयु वाले संक्रमित बच्चों की संख्या लगभग 600 मिलियन है, जिनकी डी-वॉर्मिंग करने से स्कूलों में उनकी उपस्थिति बढ़ेगी, उनका स्वास्थ्य ठीक होगा और वे सक्रिय होंगे। अधिकतर प्रकार के कृमि मुंह से लेने वाली दवा से मर जाते हैं। यह दवा बहुत सस्ती है और इसकी एक ही डोज दी जाती है।

इस तरह देखा जाये तो डी-वॉर्मिंग उपचार कठिन और महंगा नहीं है। इसे स्कूलों के जरिए आसानी से किया जा सकता है और उपचार के बाद बच्चों को बहुत फायदा होता है। पूरी दुनिया में अभी भी हजारों, लाखों बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कृमि संक्रमण का जोखिम है। इनके उपचार के लिए स्कूल आधारित डी-वॉर्मिंग उपचार की नीति बनाई जानी चाहिए ताकि स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास में तेजी आ सके।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कार्यक्रम में यह प्रावधान किया गया है कि वर्ष में दो बार निर्धारित अवधि में राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों के आधार पर डी-वॉर्मिंग की जायेगी। बिहार में विश्व की सबसे बड़ी स्कूल आधारित डी-वॉर्मिंग पहल की शुरुआत की गई थी। दिल्ली सरकार ने भी इसी तरह के अभियान चलाये थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार एक से 14 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 24 करोड़ बच्चों को आंतों में पलने वाले परजीवी कृमियों से प्रभावित होने का जोखिम है।

नई योजना के तहत एक से 19 वर्ष की आयु वर्ग के स्कूल पूर्व और स्कूली आयु के बच्चों (पंजीकृत और गैर पंजीकृत) के डी-वॉर्मिंग करने का स्वास्थ्य मंत्रालय ने लक्ष्य निर्धारित किया है। पहले चरण के दौरान असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादर एवं नागर हवेली, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और त्रिपुरा जैसे 11 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के 14 करोड़ बच्चों को रखा गया है। दूसरे चरण के दायरे में लगभग 10 करोड़ बच्चों को रखा गया है। 10 फरवरी 2015 को राष्ट्रीय डी-वॉर्मिंग दिवस पर पहले चरण की शुरुआत की जायेगी। इसके तहत सभी लक्षित बच्चों को एलबेनडेजॉल की गोलियां दी जायेंगी। इसके बाद एक से दो वर्ष के बच्चों को इसकी आधी गोली और 2 से 19 वर्ष के बच्चों को इसकी पूरी गोली खिलाई जायेगी।

सरकार की कोशिश है कि भारत को पोलियोमुक्त करने के बाद अब बच्चों में व्याप्त आंत में पलने वाले परजीवी कृमियों का इलाज करके देश को कृमिमुक्त भी बनाया जायेगा। लेकिन इस पहल के लिए जरूरी है कि स्वच्छता और स्वास्थ्य में सुधार किया जाये तथा सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाये ताकि कृमि का जोखिम कम हो सके। इसके लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और जल एवं स्वच्छता मंत्रालय की सक्रिय भागीदारी और साझेदारी आवश्यक है। डी-वॉर्मिंग पहल से प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत के स्वप्न को पूरा किया जा सकता है। ●

# मोदी बनाम केजरीवाल

**आप पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राजनीतिक विश्लेषक योगेन्द्र यादव ने एक टीवी चैनल पर कहा कि हमारी लड़ाई वर्गीय संघर्ष नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम अमीरों से छीन कर गरीबों को देने की बात कर रहे हैं। आप पार्टी चाह रही है कि दिल्ली की सत्ता अमीर और गरीब मिल कर चलायें। यह कैसे संभव है कि बाघ और बकरी साथ–साथ चलें, और वह भी बिना किसी को नुकसान पहुंचाए!**

**सुनील कुमार**

दिल्ली का चुनाव परिणाम आ चुका है, आप पार्टी की सरकार बन चुकी है। इस चुनाव परिणाम से तीनों पार्टियां भाजपा, आप और कांग्रेस खुश हैं और दुखी भी हैं। भाजपा खुश है कि उसका 'कांग्रेस मुक्त भारत' का नारा दिल्ली में सफल रहा। आप पार्टी की खुशी है कि उसको 95 प्रतिशत विधायकों के साथ पांच साल तक शासन करने का चिर प्रतीक्षित सुअवसर मिल गया। कांग्रेस खुश है कि मोदी के विजय-रथ को विराम लग गया। भाजपा दुखी है कि उसको शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी दुखी है कि वह अपना खाता भी नहीं खोल पाई।

आप पार्टी इतने स्पष्ट बहुमत से आयी है कि वह अब अपने वादे पूरे नहीं कर पाने का कोई बहाना भी नहीं बना सकती है। आप का इस तरह बहुमत में आना लगभग वर्षभर पुरानी मोदी सरकार की याद को ताजा करता है। जिस तरह मोदी को पूर्ण बहुमत की उम्मीद नहीं थी, उसी तरह आप पार्टी को 67 सीट पाने की उम्मीद नहीं थी। दिल्ली की इस ऐतिहासिक जीत में मोदी सरकार के लगभग वर्षभर पुराना कामकाज मुख्य रहा है। मोदी ने सुशासन, भ्रष्टाचार, सुरक्षा और रोजगार को लेकर जो सपने दिखाये थे, वे 8 माह में हवा-हवाई हो गये। उसकी जगह मोदी की विदेश यात्राएं, उनका 10 लाख का सूट जिसे बाद में अंतत: उनके विरोधी नीलाम करवाकर ही माने। उनका पूंजीपतियों के सामने नतमस्तक होना आदि ही अखबार में छाये रहे। इसके अलावा पार्टी व सरकार में मोदी व अमित शाह का तानाशाह रवैया भी कुछ हद तक जिम्मेदार रहा।

आम आदमी पार्टी की भ्रष्टाचार की राजनीतिक समझ बहुत कमजोर है। केजरीवाल एंड कम्पनी के लिए भ्रष्टाचार वही है जो सीधा (डायरेक्ट) घूस लिया जाता है। वह सरकारी कर्मचारी व पुलिस के तथाकथित घूस या कमीशनखोरी तक को ही भ्रष्टाचार मानते हैं जो कि अप्रत्यक्ष (इनडायरेक्ट) लूट से बहुत कम है। दिल्ली में असंगठित क्षेत्र के 50 लाख ऐसे मजदूर हैं जिनको न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है और न ही किसी प्रकार का श्रम कानून उनके कार्यस्थल पर लागू किया जाता है। इन मजदूरों से न्यूनतम मजदूरी से आधे पर काम करवाया जाता है, जबरन ओवर टाइम करवाया जाता है और कई जगह तो ओवर टाइम का पैसा भी नहीं दिया जाता है। इस तरह प्रत्येक मजदूर से हर माह 5 से 7 हजार रुपये की लूट की जाती है। अगर प्रति मजदूर 6 हजार रुपये की लूट मान कर चलें तो 50 लाख मजदूरों से प्रत्येक माह तीन हजार करोड़ रुपयों की लूट इन कंपनियों द्वारा की जाती है। इस भ्रष्टाचार पर केजरीवाल

**आप ने अपने घोषणा पत्रा में 70 वादे किये हैं लेकिन उनके वादे में यह कहीं नहीं है कि दिल्ली में श्रम कानून लागू करायेंगे। जिन बिजली कंपनियों की खाते की लूट की जांच करवाना चाहते हैं उनके ठेका मजदूरों को न्यूनतम वेतन तक नहीं मिलता है।**

सरकार कुछ नहीं बोलती है।

केजरीवाल घोषणा करते हैं कि जब मैं दिल्ली का 49 दिन के लिए मुख्यमंत्री था तो व्यापारियों पर छापे मारने की पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि छापा मारकर अफसर घूस लेते थे। लेकिन वे एक भी असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी को पूरा वेतन नहीं दिला पाये। वे एक भी व्यापारी या फैक्ट्री मालिक पर इस लूट के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सके। उनके मुख्यमंत्री काल में मुंडका और शाहपुर जट में आग लगी जिनमें अनेक मजदूरों की मौत हुई, वे उन मजदूरों के परिवार वालों को न्याय नहीं दिला पाये।

केजरीवाल हमेशा नीयत की बात करते हैं कि नीयत सही होने से हर काम हो जायेगा। इस नीयत के बल पर वह शेर और बकरी को एक घाट पर पानी पिलाने का सपना दिखाते हैं। मैं आप पार्टी की नीयत जानना चाहता हूं। आप ने अपने घोषणा पत्र में 70 वादे किये हैं लेकिन उनके वादे में यह कहीं नहीं है कि दिल्ली में श्रम कानून लागू करायेंगे। जिन बिजली कंपनियों की खाते की लूट की जांच करवाना चाहते हैं उनके ठेका मजदूरों को न्यूनतम वेतन तक नहीं मिलता है। ओवर टाइम तो उसमें लागू ही नहीं है। चाहे जितना घंटा काम करें, कर्मचारियों को निश्चित तनख्वाह मिलती है। आप पार्टी के वादे वहां नहीं दिखते हैं तो क्या यह मान लिया जाये कि आप पार्टी की नीयत ठीक नहीं है?

आप पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राजनीतिक विश्लेषक योगेन्द्र यादव ने एक टीवी चैनल पर कहा कि हमारी लड़ाई वर्गीय संघर्ष नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम अमीरों से छीन कर गरीबों को देने की बात कर रहे हैं। आप पार्टी चाह रही है कि दिल्ली की सत्ता अमीर और गरीब मिल कर चलायें। यह कैसे संभव है कि बाघ और बकरी साथ-साथ चलें, और वह भी बिना किसी को नुकसान पहुंचाये! अमीर व्यक्ति अमीर तभी तक रहता है जब तक वह दूसरों के हिस्से को लूटता रहता है। यानी लुटाने वाला कोई शिकवा-शिकायत न रखे और लूटने वाले के साथ चले! इससे अधिक लुटेरों की और क्या सेवा हो सकती है? यह सेवा हो भी क्यों नहीं, आप पार्टी के 67 विधायकों में से 41 करोड़पति हैं और इनमें 50 लाख से ऊपर वालों को जोड़ा जाये तो 48 विधायक हो जायेंगे। लोकसभा में 82 प्रतिशत सांसद करोड़पति हैं, दिल्ली विधान सभा में 63 प्रतिशत विधायक करोड़पति हैं।

### मोदी और केजरीवाल सरकार के गुणधर्म की समानताएं

केन्द्र की मोदी सरकार व दिल्ली की केजरीवाल सरकार में कई समानताएं हैं, जैसे कि-

- मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव में बड़े-बड़े वादे किये, लेकिन सत्ता में आने के बाद कोई भी वादा पूर्ण होता दिखाई नहीं दे रहा है। विधान सभा चुनाव में आप पार्टी ने भी बड़े-बड़े वादे किये हैं।
- सुरक्षा, सुशासन, रोजगार व भ्रष्टाचार का अंत दोनों पार्टियों के मुख्य वादे रहे हैं।
- दोनों ने मजदूरों के मुद्दे को नहीं छूने पर ही अपनी भलाई समझी। ठेकेदारी और निजीकरण के मुद्दों पर दोनों ही मौन धारणा किये हुए हैं।
- दोनों ने अपने को व्यापारी बताया। एक ने कहा कि मैं गुजराती हूं, हमारे खून में व्यापार है, तो दूसरे ने अपने को उस जाति से ही जोड़ दिया। दोनों व्यापारी वर्ग और पूंजीपति वर्ग की सेवा करना चाहते हैं।
- दोनों घोर आस्तिक हैं, दोनों को ईश्वर में पूरा भरोसा है। इस तरह के लोग यह मानते हैं कि जो हो रहा है वह तो होना ही था, जैसा कि गीता में भी लिखा हुआ है- कर्म किये जाओ, फल की चिंता मत करो। यही उपदेश मोदी और केजरीवाल भी देने की कोशिश करते हैं। इसलिए एक भाग्य की बात करते हैं तो दूसरा हर बात का जबाब नीयत की आड़ में देते हैं।
- दोनों का टैक्नोलॉजी पर बहुत जोर है, हर चीज को वे टैक्नोलॉजी से जोड़ना चाहते हैं-गोया कि भारत की सारी पढ़ी-लिखी और अनपढ़ जनता के पास कंप्यूटर और इंटरनेट हो गया है, सभी बहुत अच्छी अंग्रेजी जानते हैं। अभी तक ये अपनी पार्टी की वेबसाइट तक को हिन्दी में नहीं कर पाये हैं। लेकिन भारत की दो प्रतिशत जनता जो अंग्रेजी जानती है, उसके लिए सब कुछ कंप्यूटर पर लाकर पारदर्शिता बनाने का ढोंग कर रहे हैं।
- एक 60 माह मांग रहे थे तो दूसरे ने 5 साल मांगे। एक का नारा है 'सबका साथ, सबका विकास' तो दूसरे 'स्वराज' की बात कहकर सबको लपेट रहे हैं। 'सबका साथ, सबका विकास' में मोदी दावा करते हैं कि सभी को साथ लेकर चलना है, संघीय ढांचे को मजबूत बनाना है। जो व्यक्ति अपनी पार्टी के लोगों को साथ लेकर नहीं चल पाता, वह देश की जनता को कैसे लेकर चल पायेगा। दूसरे 'स्वराज' और मोहल्ला कमिटी बनाकर हाशिये पर पड़े लोगों को भी साथ लेने की बात करते हैं। आप पार्टी की मोहल्ला कमिटी में वही लोग शामिल हो रहे हैं जो कि चुनाव के वक्त उनको वोट दे चुके हैं।

दिल्ली विधान सभा चुनाव में साम-दाम-दंड-भेद का प्रयोग तीनों पार्टियों द्वारा किया गया। सभी पार्टियों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपहारों का सहारा लिया। इससे यह जाहिर हो जाता है कि ये उम्मीदवार अपनी पूंजी समाज सेवा के लिए नहीं, निवेश के तौर पर खर्च करते हैं। सत्ता में आने के बाद निवेश की गयी पूंजी को सूद समेत वापस पाने की कोशिश हमेशा से की जाती रही है। लब्बोलुआब यह है कि सत्ता में जो भी आयें, वे एक खास वर्ग के लोगों की सेवा ही करेंगे। जिस तरह केन्द्र में मोदी सरकार के आने के बाद जनता की समस्याएं बनी हुई हैं, उसी तरह केजरीवाल की सरकार बनने के बाद दिल्ली के आम आदमी की हालत सुधरेगी, यह नहीं कहा जा सकता। ●

# कृषि कर्ज की ब्याज दरों में बढ़ोतरी चाहते हैं सरकारी बैंक

**वर्तमान में कृषि कर्ज पर ब्याज की दर सात फीसद है। परंतु सब्सिडी के कारण तीन लाख रुपये तक के कर्जों पर केवल चार प्रतिशत ब्याज लिया जाता है। बैंकों का मानना है कि इस प्रक्रिया के कारण उनकी कर्ज देने की लागत पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए बैंक चाहते हैं कि उनको कर्ज पर ब्याज दर तय करने का अधिकार होना चाहिए।**

**कृषि चौपाल**

पिछले दिनों महाराष्ट्र के पुणे नगर में बैंकिंग सुधारों पर आयोजित दो दिवसीय बैठक के दौरान तमाम सकारी बैंकों ने कृषि कर्ज को और महंगा करने पर जोर दिया। गौरतलब है कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्तमंत्री अरुण जेटली द्वारा बैंकों के कामकाज में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करने का वादा किया गया था। ज्ञान संगम नाम से आयोजित बैकों की इस बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने सरकार को साफ संकेत दे दिया है कि उन्हें कर्ज से संबंधित कारोबार में पूरी आजादी चाहिए। बैंक चाहते हैं कि उन्हें तीन लाख तक के कर्जों के मामले में ब्याज दर तय करने का हक मिलना चाहिए।

अब सवाल यह पैदा होता है कि यदि सरकार द्वारा बैंकों की यह मांग मान ली जाती है तो स्वाभाविक है कि बैंकों द्वारा व्याज दरों में बढ़ोत्तरी की जाएगी। बैंकों का तर्क है कि उनके द्वारा दिये जाने वाले कर्ज का औसतन 25 फीसद कृषिक्षेत्र के लिए दिया जाता है। परंतु इस पर व्याज की दरें बैंकों को सरकार के निर्देशों पर रखनी पड़ती हैं। वर्तमान में कृषि कर्ज पर ब्याज की दर सात फीसद है। परंतु सब्सिडी के कारण तीन लाख रुपये तक के कर्जों पर केवल चार प्रतिशत ब्याज लिया जाता है। बैंकों का मानना है कि इस प्रक्रिया के कारण उनकी कर्ज देने की लागत पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए बैंक चाहते हैं कि उनको कर्ज पर ब्याज दर तय करने का अधिकार होना चाहिए।

बैंकों ने इस दो दिवसीय बैठक के दौरान सरकार को यह भी संदेश देने का प्रयास किया है कि हर साल कितना कर्ज कृषिक्षेत्र को दिया जाएगा, यह तय करने का अधिकार भी बैंकों को दिया जाना चाहिए।

गौरतलब है कि जारी वित्तवर्ष के लिए सरकार द्वारा आठ करोड़ रुपये कृषि कर्ज हेतु देने का लक्ष्य सरकारी बैंकों के लिए तय किया गया है। पिछले पांच सालों के दौरान सरकार द्वारा कृषि कर्ज में दोगुने से भी ज्यादा बढ़ोत्तरी की गयी है। और सरकार द्वारा तय किये गये लक्ष्य को प्राप्त करने का बैंकों पर दबाव भी बनाकर रखा जाता है। अभी तक हालांकि बैंक सरकारी निर्देशों के अनुसार ही कृषि कर्ज नीति पर कार्य करते आये हैं। परंतु अब समस्या इस रूप में बैंकों के सामने आयी है कि बैंकों द्वारा वितरित कर्जों का एक बड़ा भाग कर्जदारों पर बकाये के रूप में फंस गया है। जारी वित्तवर्ष के पहली छमाही में बैंकों ने तय किये गये लक्ष्य के सापेक्ष कुल 6,46,241 करोड़ रुपये का कृषि कर्ज दिया है जिसमें से लगभग छह प्रतिशत कर्ज की राशि फंसे हुए कर्ज के रूप में (एनपीए) परिवर्तित हो चुकी है। इस फंसे हुए

### इन बातों पर है बैंकों को एतराज

1. कृषि क्षेत्र में फंस चुके (एनपीए) कर्ज की समस्या के कारण हो रही है दिक्कतें।
2. तीन लाख रुपये तक के ऋणों पर ब्याज दर सरकार तय करती है।
3. खेती-बाड़ी के लिए दिये जाने वाले ऋण की वसूली प्रक्रिया भी है वजह।
4. प्रतिवर्ष सरकार कर्ज देने के लक्ष्य में कर देती है बढ़ोत्तरी।
5. बैंकों को नहीं है आजादी ब्याज दर और ऋण लक्ष्य तय करने की।

| कृषि कर्ज | 2012 | 2013 | 2014-सितंबर | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| कर्ज दी गयी पूंजी | 4,72,447 | 5,34,289 | 6,40,993 | 6,46,241 |
| कुल एनपीए | 22,662 | 28,025 | 31,792 | 38,703 |
| एनपीए अनुपात | 4.80 | 5.25 | 4.96 | 5.99 |
| (कर्ज की पूंजी करोड़ रुपये में) | | | | |

कर्ज की समस्या के कारण ही बैंकों की कर्ज लागत भी आनुपातिक रूप से बढ़ जाती है। यही कारण है कि सरकारी बैंकों ने दो दिवसीय ज्ञान संगम में इस मामले पर विस्तार से चर्चा की।

इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बैंकों के कामकाज में दखल नहीं करने का जो आश्वासन बैंकों को दिया उसके परिप्रेक्ष्य में यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या भविष्य में कृषिक्षेत्र के कर्जों पर भी उनका यह आश्वासन लागू होगा। और यदि ऐसा होता है तो पहले से ही कर्ज में जी रहे किसानों के लिए मौजूदा सरकार एक और चुनौती खड़ी करने जा रही है। जबकि दूसरी ओर सरकार कृषिक्षेत्र के लिए आगामी बजट में कृषिक्षेत्र के लिए राशि में दोगुनी वृद्धि करने का प्रचार करते नहीं अघा रही है।

**गांवों को देना होगा और अधिक कर्ज**

नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) को ग्रामीण वित्त बाजार में वित्त की कमी को पूरा करने की कोशिश को बनाये रखने की सलाह देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भविष्य की खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि क्षेत्र में दीर्घकालिक निवेश की आश्वयकता है। नाबार्ड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को संबोधित करते हुए श्री जेटली ने ग्रामीण क्षेत्र में आवास बनाने के लिए कर्ज देने की जरूरत पर जोर देते हुए रिफाइनेंस के जरिए 3,000 करोड़ रुपये आवांटित करने में नाबार्ड के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने नाबार्ड को वित्तीय समावेशन, छोटे और सीमांत किसानों को कृषि कर्ज मुहैया कराने में अपनी अग्रणी भूमिका को जारी रखने की सलाह दी। वित्त मंत्री ने इस बात का खास तौर पर उल्लेख किया कि नाबार्ड ने बजट में आवंटित लांग टर्म रूरल क्रेडिट फंड (एलटीआरसी निधि) की 5,000 करोड़ रुपये की शुरुआती पूंजी का प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किया है।

इस अवसर पर उन्होंने दो नाबार्ड समर्थित ई-कॉमर्स पोर्टल्स ई-क्राफ्टइंडिया और शिल्पक्राफ्ट लांच किया। ये दोनों पोर्टल स्वयं सहायता समूह के हस्तशिल्प और बुनकरों के उत्पाद की मार्केटिंग के लिए हैं। इस मौके पर देशभर के स्वयं सहायता समूहों को कंप्यूटर से जोड़ने का रोडमैप भी पेश किया गया। मौजूदा समय में देशभर में 73 लाख स्वयं सहायता समूह हैं और इन समूहों को कंप्यूटर से जोड़ने से इसके सदस्य जन-धन योजना में बेहतर तरीके से भागीदारी सुनिश्चित करा सकेंगे। ●

# उत्तराखंड के बैंक किसानों को कर्ज देने में कर रहे हैं कंजूसी

**बकौल हरीश रावत राज्य सरकार कृषि क्षेत्रा में क्लस्टर पफार्मिंग, खाद्य प्रसंस्करण के लिये नयी योजनाएं लेकर आ रही है और यही वह क्षेत्र है जहां बैंकों का प्रदर्शन निराशजनक है।**

एक ओर कृषि क्षेत्र को और अधिक मजबूत करने की बातें सत्ता के शीर्ष प्रतिष्ठान द्वारा प्रचारित-प्रसारित की जा रही हैं। और दूसरी ओर उत्तराखण्ड के बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र की अनदेखी जारी है। हालिया राज्य स्तरीय वैंकर्स समिति की बैठक में यह खुलासा हुआ है कि राज्य के बैंक कृषिक्षेत्र को ऋण देने के मामले में काफी उपेक्षा बरत रहे हैं। इस बैठक में गुजरी छमाही के काम-काज की समीक्षा के दौरान यह सामने आया कि कृषि क्षेत्र को कर्ज देने के मामले में 5 प्रतिशत की कमी आयी है।

जहां विगत वर्ष मार्च 2014 में प्रदेश के बैंकों का ऋण-जमा अनुपात 63 तक पहुंच गया था वहीं दिसंबर 2014 में यह घटकर 58 प्रतिशत रह गया जोकि रिजर्व बैंक द्वारा इस मामले में तय किये गये मानकों से भी दो फीसद कम है। ऋण जमा अनुपात को साधारणत: इस प्रकार समझा जा सकता है कि जब बैंक 100 रुपये जमा करते हैं तो उसके एवज में कितना कर्ज देते हैं। जैसे कि यदि यहां पर विगत वर्ष 2014 के मार्च माह में बैंकों द्वारा 100 रुपये जमा के अनुपात में 63 रुपये कर्ज दिये गये तो इसे ऋण-जमा अनुपात की भाषा में ऋण-जमा अनुपात 63 कहा जाएगा। जहां ग्रामीण क्षेत्र में यह अनुपात 56, अर्द्धशहरी क्षेत्र में 71 और शहरी क्षेत्र में 61 रहा, वहीं दिसंबर में यह घटकर ग्रामीण क्षेत्र में 59, अर्द्धशहरी क्षेत्र में 64 तथा शहरीक्षेत्र में 61 प्रतिशत रह गया।

संपन्न बैठक के नतीजों पर कुपित होते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी काफी निराशा व्यक्त की है। बकौल हरीश रावत राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में क्लस्टर फार्मिंग, खाद्य प्रसंस्करण के लिये नयी योजनाएं लेकर आ रही है और यही वह क्षेत्र है जहां बैंकों का प्रदर्शन निराशजनक है। साथ ही ऋण-जमा अनुपात में जिलावार भी काफी अंतर है जो कि बैंकों की कृषि ऋण वितरण प्रणाली और प्रक्रिया पर भी प्रश्न चिन्ह आरोपित करता है। ●

### ऋण/जमा अनुपात में अंतर की जिलावार स्थिति

| जिलों का नाम | ऋण/जमा अनुपात |
|---|---|
| अल्मोड़ा | 24 |
| पौड़ी | 26 |
| बागेश्वर | 28 |
| चंपावत | 29 |
| रूद्रप्रयाग | 29 |
| टिहरी | 30 |
| चमोली | 31 |
| पिथौरागढ़ | 33 |
| देहरादून | 35 |
| उत्तरकाशी | 41 |
| नैनीताल | 43 |
| हरिद्वार | 47 |
| यूएस नगर | 95 |

# गांवों के लिए मंगल कामना

**अब यह जरूरी हो गया है कि हमारी विज्ञान नीति ऐसी हो जो गांवों से जुड़ी हो। मंगलयान पर पहुंचने वाले वैज्ञानिक अगर प्रधानमंत्री की वाहवाही के पात्र हों तो लोक विज्ञानी को भी उसी श्रेणी में रखा जाए और उसे भी राष्ट्रीय सम्मान की दृष्टि से देखा जाए।**

**डॉ. अनिल प्रकाश जोशी**

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों गांवों की बदलती तस्वीर में वैज्ञानिकों की भूमिका पर टिप्पणी कर देश में संस्थानों के दायित्वों की तरफ अहम इशारा किया है। यह बात पूरी तरह सच है कि ये संस्थान इस देश को इंडिया बनाने में ज्यादा चिंतित रहे, न कि भारत। आज भी हमारे देश का बड़ा हिस्सा गांवों में ही बसता है। साढ़े छह लाख गांवों में देश की 70 प्रतिशत आबादी रहती है। इस बड़ी आबादी के वे सभी अधिकार उतने ही महत्वपूर्ण और जरूरी हैं जितने कि शहरी आबादी के। बड़ी बात तो यह है कि देश में जो भी आर्थिक गतिविधियां हैं उनका मूल स्रोत गांव ही तो हैं। वर्तमान आर्थिक तंत्र का 90 प्रतिशत हिस्सा गांवों के संसाधनों पर ही आधारित है। यह विडंबना ही है कि संसाधनों से सबल गांव स्वतंत्रता के बाद पिछड़ते ही चले गए। देश में शायद ही ऐसे गांव हों जो आज आर्थिक स्वतंत्रता का दम भर सकते हों। एक समय गांवों में सतत् विकास दिखता था। सब कुछ गांवों में ही होता था। श्रम व संसाधनों का बड़ा गहरा गठजोड़ था, लेकिन नई तकनीकें गांवों में पैठ नहीं बना सकीं। आज गांवों में शहरी उत्पादों ने पूरी जगह बना ली है।

असल में नए विज्ञान ने गांवों के ज्ञान को विस्थापित किया है। इसका उद्देश्य होना चाहिए था कि गांवों की दक्षता को नए विज्ञान के साथ जोड़कर मजबूत करे, लेकिन हुआ इसके विपरीत। देश में आज गांव मात्र उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं। दूसरी ओर शहर गांवों में उत्पादित वस्तुओं का शोधन कर लाभ कमा रहे हैं। अब खेती में ही देखिए, गेहूं, धान, मक्का व अन्य कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी गरीब व मझोले किसानों को नहीं मिलता, क्योंकि दो–चार बोरी अनाज को मंडी तक ले जाने की उसकी क्षमता नहीं होती। इसका लाभ बिचौलिये उठा लेते है। शहरी उद्योग इन्हीं कृषि उत्पादों का शोधन कर और अधिक लाभ उठाते हैं। इससे उत्पादक और उपभोक्ता, दोनों ही दुखी हैं। एक को कम दाम मिलते हैं और दूसरे को ज्यादा दाम देने पड़ते हैं और यह सब इसलिए ही संभव हुआ, क्योंकि हमने विज्ञान को ग्रामोन्मुखी नहीं बनाया। देश के बड़े संस्थान चाहे वे कृषि से जुड़े हों या फिर अन्य संसाधनों से, गांवों से अभी भी बहुत दूर ही हैं। देश का सबसे बड़ा हिस्सा खेती में जुटा है और इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व इसके 105 संस्थान व 55 कृषि विश्वविद्यालय गांवों के लिए ही समर्पित होने चाहिए थे। पर क्या देश में खेती व किसान के हालात बेहतर कहे जा सकते हैं? प्रौद्योगिकी व उद्योग शोध परिषद यानी सीएसआइआर और इससे जुड़े 20 से अधिक संस्थान ग्राम्य तकनीक पर काम करने का दावा करते हैं। ऐसे ही देश में आइआइटी व एनआइटी व सैकड़ों विज्ञान संस्थान कार्यरत हैं, लेकिन गांवों के हालात बद–से–बदतर ही हुए हैं। विज्ञान संस्थानों और लाखों वैज्ञानिकों से भरा ये देश मंगल पर तो चला गया, पर गांवों में मंगल कार्य आज तक अछूते ही रहे।

ऐसे में प्रधानमंत्री का विज्ञान कांग्रेस में वैज्ञानिकों का आह्वान बहुत महत्व रखता है। दुर्भाग्य से हमारे देश में कागजी शोध का बड़ा महत्व है। हमारे वैज्ञानिक अपने विज्ञान काल में कितने शोध–पत्र छापते है। उनके लिए शोधपत्र का प्रकाशन ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, न कि यह कि वह शोध कितना जमीन पर उतरा। यही हमारे देश के विज्ञान संस्थानों व वैज्ञानिकों की ज्यादा बड़ी कमी रही है। देश के सभी संस्थानों में होने वाले शोध अधिकतर अव्यावहारिक होते हैं। बाकी जो शोध ठीक–ठाक होते भी हैं तो उनमें से कई कभी बाहर ही नहीं निकले। और जो कुछ निकल कर आए भी तो उनमें से कई तो जमीन पर उतरे ही नहीं। इसका बड़ा कारण हमारी शोध करने की संकुचित पहल है। किसी भी तरह के शोध को दिशाविहीन व अव्यावहारिक नहीं होना चाहिए। हमारे वैज्ञानिक संस्थानों व वैज्ञानिकों के पास स्पष्ट संदेश होना चाहिए कि शोध व्यावहारिकता के आधार पर तय हो, न कि शोध पत्रों पर।

विज्ञान व वैज्ञानिकों का एक बड़ा दायित्व है कि वे विज्ञान में असमानता से बचें और ग्रामोन्मुखी विज्ञान को प्राथमिकता दें। हमें नहीं भूलना चाहिए कि विज्ञान के पहले हकदार गांव हैं, जहां से मूल उत्पादन की नींव पड़ी है। अगर उनका दायित्व मात्र उत्पादन के रूप में ही देखा जाएगा तो वे बड़े लाभ के हिस्सेदार नहीं बन पाएंगे और लाभ ही तय करेगा कि उनका झुकाव कृषि या अन्य उत्पादों की तरफ विश्वास के योग्य है भी या नहीं। गत दो–तीन दशकों में गांव व किसानों की अपनी खेती और उत्पादों के प्रति विश्वास में कमी आई है। कारण साफ है कि स्थानीय उत्पादों से लाभ लागत के भी नीचे पहुंच गया है। मजबूरी व विकल्प का अभाव उन्हें इस श्रम से जोड़े हुए है। वरना जिन्हें अवसर मिला उन्होंने अक्सर इसे त्यागना ही बेहतर समझा। लेकिन अगर जल्दी सब कुछ नहीं संभला तो हम बड़े संकट में घिर जाएंगे। गांवों का शहरों की तरफ रुख हमारे प्राथमिक उत्पादन पर बड़ा विपरीत असर डालेगा।

अब यह जरूरी हो गया है कि हमारी विज्ञान नीति ऐसी हो जो गांवों से जुड़ी हो। मंगलयान पर पहुंचने वाले वैज्ञानिक अगर प्रधानमंत्री की वाहवाही के पात्र हों तो लोक विज्ञानी को भी उसी श्रेणी में रखा जाए और उसे भी राष्ट्रीय सम्मान की दृष्टि से देखा जाए। गांवों में कार्य करने वाले वैज्ञानिकों को उत्साहित करना होगा। बड़े–बड़े संस्थानों में कार्य करने वाले वैज्ञानिकों को ही प्राथमिकता न मिले, बल्कि ग्रामीण विज्ञान के कार्य को भी बड़े स्तर का योगदान माना जाए। अंतरिक्ष, न्युक्लियर जैसे बड़े शोध, जिनका घर–गांव से सीधा संबंध नहीं है, आज प्रमुखता से जाने जाते हैं। इनके विज्ञानी ही प्रधानमंत्री कार्यालय की शोभा बढ़ाते हैं। दूसरी तरफ लोकविज्ञानी को ऐसा सम्मान नहीं मिलता। हम जब तक ग्राम विज्ञान की आवश्यकता को देश के अन्य विज्ञान की आवश्यकताओं के समानांतर नहीं देखेंगे तब तक विज्ञान को ग्रामोन्मुखी नहीं बना पाएंगे। अब देखना यह है कि देश के विज्ञान संस्थान व वैज्ञानिक प्रधानमंत्री की इस सलाह को कितनी गंभीरता से लेते हैं। ●

*–साभार: दैनिक जागरण*

# मिठास के साथ संवारें भविष्य

**कृषि चौपाल**

बसंत के साथ ही भारत में त्योहारों की शुरूआत हो जाती है। होली हमारे देश का सांस्कृतिक त्योहार होने के साथ-साथ रंगों का और एक-दूसरे की आवाभगत करने का त्योहार भी है। आजकल त्योहारों के मौकों पर मिठाइयों के अलावा पेस्ट्री, केक, बेकिंग फूड उत्पादों की भी भारी मांग रहती है। बात चाहे स्वयं खाने की हो या दूसरों को खिलाने की दोनों ही मौकों पर बेकरी के उत्पाद आजकल काफी पसंद किये जाने लगे हैं। बाजार में भी बेकरियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। रेस्टोरेंट्स, होटल, स्टोर्स आदि में भी बेकिंग उत्पादों की खासी खपत होती है। आप भी बेकिंग और पेस्ट्री मेकिंग इंडस्ट्री का हिस्सा बनकर अपने करियर में मिठास घोल सकते हैं। बेकिंग उद्योग के अंतर्गत केक, पाइज, पेस्ट्रीज, कपकेक्स, कुकीज, बेक्डट्रीट्स, टार्ट्स आदि अनेक खाद्य उत्पादों का निर्माण किया जाता है। बेकिंग उत्पाद बनाने वाले अपनी कल्पनाशक्ति का अच्छा उपयोग करके ब्रेड रोल्स, बन्द, पेस्ट्री, केक जैसे तमाम उत्पादों का निर्माण करने के साथ-साथ उन्हें डिजाइन भी करते हैं।

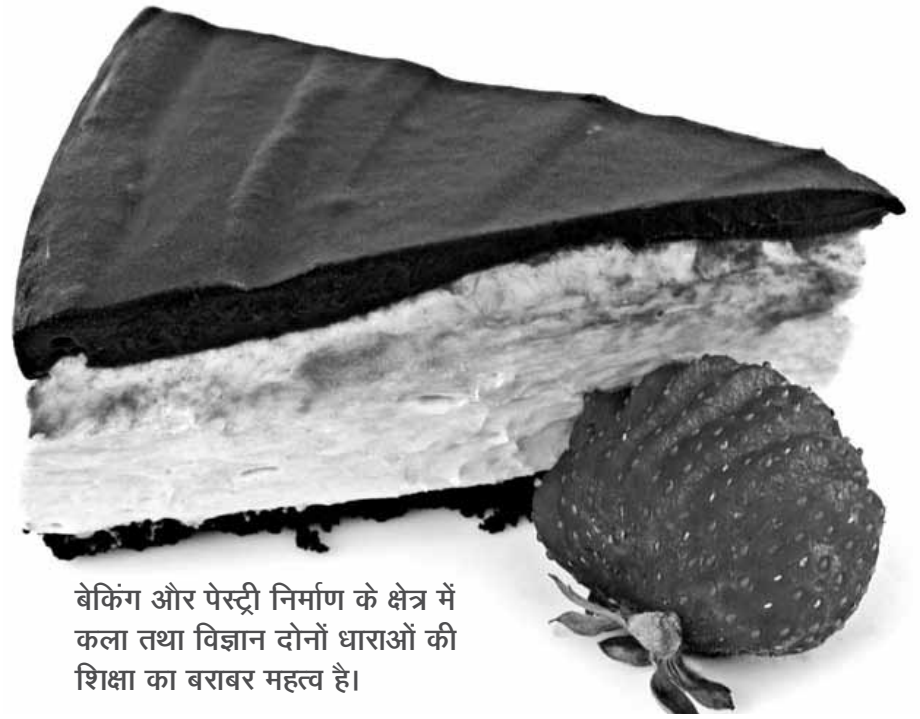

बेकिंग और पेस्ट्री निर्माण के क्षेत्र में कला तथा विज्ञान दोनों धाराओं की शिक्षा का बराबर महत्व है।

### मूलभूत योग्यताएं

बेकिंग तथा पेस्ट्री मेकिंग में भविष्य बनाने के लिये विश्लेषण क्षमता के साथ-साथ संवाद स्थापित करने का कौशल भी होना चाहिये। और फटाफट काम करने की आदत भी होनी चाहिये। साथ ही प्रेजेंटेशन की कला भी आनी चाहिये ताकि उपभोक्ता को उत्पाद के बारे में भलीभांति समझाया जा सके। जो बेकर स्वाद के साथ नये-नये प्रयोग करते हुए कुछ नई रेसिपी खोजता रहता है उसकी सफलता के अवसर बढ़ जाते हैं।

### न्यूनतम अकादमिक योग्यता

बेकिंग और पेस्ट्री निर्माण के क्षेत्र में कला तथा विज्ञान दोनों धाराओं की शिक्षा का बराबर महत्व है। इसलिये इस क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं-युवतियों को विज्ञान वर्ग की शिक्षा के साथ-साथ 10+2 के अलावा कम से कम डिप्लोमा कोर्स करना आवश्यक होता है, जो छह माह से लेकर 18 महीने तक की अवधि का होता है। हालांकि स्नातक अथवा परास्नातक करने के बाद भी इस क्षेत्र में करियर बनाया जा सकता है। इसके अलावा बेकिंग तथा पेस्ट्री मेकिंग में पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की जा सकती है। भारत में अनेक निजी संस्थान बेकिंग तथा पेस्ट्री मेकिंग में कोर्स संचालित करते हैं। यदि माली हालत अच्छी हो तो किसी विदेशी संस्थान से भी यह कोर्स किया जा सकता है।

### प्रशिक्षण का फायदा

बेकिंग इंडस्ट्री में प्रगति करने के लिये व्यावसायिक उपाधि के साथ-साथ प्रशिक्षण बहुत जरूरी होता है। यानि तकनीकी शिक्षा, कार्य करते हुए प्रशिक्षण, अनुभव औद्योगिक प्रमाणपत्र सभी बेहद मायने रखते हैं। कार्य करते हुए प्रशिक्षण के साथ प्रशिक्षणार्थियों को बेकिंग, आइसिंग, मिक्सिंग, न्यूट्रीशन, डेको रेटिंग के अतिरिक्त बेकरी इन्ग्रीडिएंट्स चुनने साफ-सफाई के मानकों और नियमों तथा व्यापार की अवधारणा को समझने तथा विकसित करने का अवसर भी मिलता है।

### आजीविका के अवसर

वर्तमान में बेकिंग उद्योग आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में काफी विकसित अवस्था में है। 60 प्रतिशत बेकिंग उत्पादों का निर्माण असंगठित क्षेत्र में होता है। एक अनुमान के मुताबिक 2015 में भारतीय बेकिंग उत्पादों के व्यापार के 7.5 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना जतायी जा रही है। केक और पेस्ट्री का क्षेत्र 19 से लेकर 21 फीसदी की दर से प्रतिवर्ष प्रगति कर रहा है। बेकिंग और पेस्ट्री निर्माण के उद्योग जगत में सेल्स, बेकिंग तथा प्रबंधन, कारपोरेट सहायक, पेस्ट्री शेफ, बेकर्स, फूड सर्विस मैनेजर, केक डेकोरेटर, बेकरी तकनीशियन, बेकरी स्वच्छता प्रबंधक आदि के तौर पर काम मिलता है। सेवन स्टार, फाइव स्टार होटलों के अलावा बेकरीज, क्रूज शिप्स (पानी के जहाज) आदि में भी अच्छे ओहदों पर काम करने का मौका होता है। पेस्ट्री विशेषज्ञ या केक विशेषज्ञ के तौर पर भी काम किया जा सकता है। बेकिंग उद्योग में रिटेल बेकरी, इंप्रूव्ड पैकेजिंग हेल्थ फूड्स टेस्ट अपील और तकनीकी रुझान काफी अहम माने जाते हैं। यदि नौकरी करने का मन न हो तो स्वयं की बेकरी भी स्थापित की जा सकती है। और अपना भविष्य संवारा जा सकता है।

### शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए कुछ महत्वपूर्ण संस्थान

1. गुजरात टेक्नॉलॉजिकल यूनिवर्सिटी अहमदाबाद
2. नेशनल इंस्ट्रीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कोलकाता
3. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलीनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट, नई दिल्ली
4. इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एंड न्यूट्रीशन, नई दिल्ली
5. जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी, गुड़गांव ●

# डिजिटल इंडिया
# एक व्यापक परियोजना

**कृषि चौपाल**

केन्द्र सरकार ने भारत को डिजिटल क्षेत्र में सशक्त समाज व ज्ञान अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने के उद्देश्य से 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। डिजिटल इंडिया एक छतरी जैसा कार्यक्रम होगा जिसमें कई सारे सरकारी मंत्रालय और विभाग आएंगे। कई विचार और मत एक साथ गुंथे होंगे, व्यापक दृष्टि होगी, ताकि इनमें से सभी को एक बड़े लक्ष्य के हिस्से के रूप में लागू किया जा सके। हर एक तत्व का अपना वजूद होगा, लेकिन साथ ही वह सरकार का भी हिस्सा होगा। डिजिटल इंडिया को सभी सरकारों द्वारा लागू किया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) इसका संयोजन करेगा।

डिजिटल इंडिया की सोच के केंद्र में तीन मुख्य क्षेत्र हैं- 1) प्रत्येक नागरिक के रूप में सुविधा के लिए बुनियादी ढांचा, 2) गवर्नेंस व मांग आधारित सेवाएं, 3) नागरिकों का डिजिटल सशक्तीकरण। डिजिटल इंडिया का लक्ष्य विकास क्षेत्रों के निम्न नौ स्तंभों के जरिये इस बहु प्रतीक्षित आवश्यकता को उपलब्ध कराने का है-

**1) ब्रॉडबैंड हाइवेज**

इसमें तीन उप तत्व शामिल होंगे, जिनके नाम हैं- सभी गांवों के लिए ब्रॉडबैंड, सभी शहरों के लिए ब्रॉडबैंड, और राष्ट्रीय सूचना ढांचा।

सभी गांवों के लिए ब्रॉडबैंड के अंतर्गत दिसंबर, 2016 तक 250 हजार ग्राम पंचायतें इसके दायरे में लाई जाएंगी। दूरसंचार विभाग, नोडल विभाग होगा और इस परियोजना की संभावित लागत करीब 32,000 करोड़ रुपये होगी। सभी शहरों के लिए ब्रॉडबैंड के अंतर्गत वास्तविक नेटवर्क ऑपरेटर्स सेवा उपलब्ध कराने का फायदा उठा सकते हैं और नये शहरी विकास व भवनों में संचार ढांचे को शामिल किया जाएगा।

राष्ट्रीय सूचना ढांचा को स्वान (एसवाईएएन), एनकेएन व एनओएफएन जैसे नेटवर्क्स, साथ ही साथ राष्ट्रीय व राज्य डाटा केंद्रों के साथ एकीकृत किया जाएगा। इसमें राज्य, जिला, प्रखंड, व पंचायत स्तर के क्रमशः 100, 50, 20 व 5 सरकारी कार्यालयों/सेवा केंद्रों पर क्षैतिज कनेक्टिविटी का भी प्रावधान होगा। डीईआईटीवाई नोडल विभाग होगा और इस परियोजना की संभावित लागत तकरीबन 15,686 करोड़ रुपये होगी जिसमें इसे दो साल तक लागू करने व 5 साल तक इसका रखरखाव व सहयोग भी शामिल है।

**2) मोबाइल सेवा का सबको लाभ**

इस पहल का लक्ष्य नेटवर्क की पहुंच बढ़ाने व देश में कनेक्टिविटी की कमी को दूर करने का होगा। अभी तक मोबाइल कनेक्टिविटी से वंचित सभी 42,300 गांवों में सर्वव्यापी मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचाई जाएगी। दूरसंचार विभाग नोडल विभाग होगा और इस परियोजना की लागत वित्त वर्ष 2014-18 के दौरान तकरीबन 16,000 करोड़ रुपये होगी।

**3) जन इंटरनेट कार्यक्रम**

सार्वजनिक सेवा केंद्र व बहु-सेवा केंद्रों के रूप में डाकघर, ये पब्लिक इंटरनेट संपर्क कार्यक्रम के दो सहायक हिस्से होंगे। सार्वजनिक सेवा केंद्रों को और सशक्त बनाया जाएगा व इनकी संख्या जो वर्तमान में करीब 1,35,000 है, को बढ़ाकर 2,50,000 या हर एक ग्राम पंचायत में एक सीएससी तक किया जाएगा। सीएससी को सस्ता व सरकारी व व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करने के मद्देनजर बहु-संचालित बनाया जाएगा। डीईआईटीवाई इस योजना को लागू करने के लिए नोडल विभाग होगा। कुल 1,50,000 डाकघरों को बहु-सेवा केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है। डाक विभाग इस योजना को लागू करने के लिए नोडल विभाग होगा।

**4) ई-गवर्नेंस तकनीक द्वारा सरकार के कामकाज में सुधार**

इसके अंतर्गत सरकारी व्यावसायिक प्रक्रिया को आईटी का इस्तेमाल करते हुए पुनर्निर्मित कर ट्रांजेक्शन को सुधारना, पूरी सरकार को सुधारने के लिए अति आवश्यक है और इसलिए जरूरी है कि इसे सभी मंत्रालय/विभागों द्वारा लागू किया जाए। तकनीक के जरिये सरकार सुधार के दिशानिर्देशक सिद्धांत हैं- क) आवेदन को आसान बनाना व कागजी औपचारिकताओं को कम करना- आवेदन पत्र को आसान व इस्तेमाल करने वाले के लिए सुगम बनाया जाना चाहिए। केवल जरूरी व न्यूनतम सूचनाएं ही मांगी जानी चाहिए। ख) ऑनलाइन आवेदन, उनकी स्थिति की जांच व विभागों के बीच इंटरफेस उपलब्ध कराना चाहिए। ग) ऑनलाइन संग्राहक का इस्तेमाल जैसे कि स्कूली प्रमाणपत्र, मतदाता पहचान पत्र आदि को ऑनलाइन स्वीकार किया जाना चाहिए ताकि नागरिकों को इन दस्तावेजों की कॉपी भौतिक रूप से जमा न करनी पड़े।

**इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस**- सभी आंकड़े व सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप में होनी चाहिए न कि हस्तचालित।

**सरकारी कामकाज स्वचालित हो**- सरकारी विभागों व एजेंसियों के अंदर का कामकाज स्वचालित होना चाहिए जिससे कि सरकारी प्रक्रिया को सक्षम बनाया जा सके व इस प्रक्रिया को नागरिकों के लिए भी देख सकने योग्य बनाया जाना चाहिए।

**जन शिकायत निवारण**- दीर्घकालीन समस्याओं का जवाब देने, सुलझाने, उनकी पहचान के लिए आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल स्वचालित बनाने के लिए किया जाना चाहिए।

**5) ई-क्रांति (एनईजीपी 2.0)-सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक आपूर्ति**

ई-गवर्नेंस परियोजना जीवनचक्र के विभिन्न चरणों में 31 मिशन मोड परियोजनाएं हैं। एपेक्स कमेटी ऑन नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान (एनईजीपी) द्वारा 18 मार्च 2014 को कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद आगे 10 नई एमएमपी भी ई-क्रांति में जोड़ी गई है।

**शिक्षा के लिए तकनीक अर्थात ई-एजुकेशनः** सभी स्कूलों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा।

सभी माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक स्कूलों (करीब 250,000 स्कूल शामिल होंगे) में मुफ्त वाई-फाई उपलब्ध कराया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल साक्षरता का एक कार्यक्रम चलाया जाएगा। एमओओसी- मैसिव ऑनलाइन ओपेन कोर्स तैयार किया जाएगा और ई-एजुकेशन के लिए इसका इस्तेमाल होगा।

**स्वास्थ्य के लिए तकनीक अर्थात ई-हेल्थकेयरः** ई-हेल्थकेयर में ऑनलाइन चिकित्सकीय परामर्श, ऑनलाइन मेडिकल रिकॉर्ड, ऑनलाइन दवा पहुंचाना, समग्र-भारत के मरीजों की सूचनाओं का आदान-प्रदान शामिल होगा। प्रायोगिक परीक्षण 2015 में किया जाएगा और अगले तीन सालों में इसे पूरी तरह से उपलब्ध कराया जाएगा।

**किसानों के लिए तकनीकः** इसके जरिये किसानों को वास्तविक समय के आधार पर मूल्य सूचना, ऑनलाइन निवेश की मांग व ऑनलाइन कैश, ऋण व मोबाइल बैंकिंग के साथ सहायता राशि की सुविधा मुहैया कराई जाएगी।

**सुरक्षा के लिए तकनीकः** नागरिकों को वास्तविक समय के आधार पर मोबाइल आधारित आपात सेवा व आपदा संबंधी सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी ताकि समय रहते बचाव के कदम उठाए जा सकें व जान माल के नुकसान को कम से कम किया जा सके।

**आर्थिक समावेशन (इनक्ल्यूजन) के लिए तकनीकः** मोबाइल बैंकिंग, माइक्रो-एटीएम कार्यक्रम व सीएससी/डाकघरों का इस्तेमाल करते हुए आर्थिक समावेशन को सुदृढ़ किया जाएगा।

**न्याय के लिए तकनीकः** ई-कोर्ट, ई-पुलिस, ई-जेल व ईब-प्रोस्यूकेशन का इस्तेमाल करते हुए आदान-प्रदान योग्य अपराध न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा।

**योजना के लिए तकनीकः** प्रोजेक्ट की योजना, संकल्पना, डिजाईन व विकास के लिए निर्णय प्रक्रिया को जीआईएस आधारित बनाने के लिए राष्ट्रीय जीआईएस मिशन मोड प्रोजेक्ट लागू किया जाएगा।

**साइबर सुरक्षा के लिए तकनीकः** देश में सुरक्षित व महफूज साइबर-स्पेस सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा कोआर्डिनेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा।

### 6) सूचना सबके लिए

खुला डेटा प्लेटफार्म व सूचनाओं तथा दस्तावेजों की ऑन लाइन होस्टिंग से नागरिकों के लिए सूचनाओं तक पहुंच को खुला व आसान बनाने में मदद मिलेगी। नागरिकों को सूचित करने के लिए सरकार सोशल मीडिया व वेब आधारित मंचों के जरिये अति सक्रिय होगी। विचारों और सुझावों के लिए माईगोव डॉट इन वेबसाइट पहले ही जारी की जा चुकी है। यह नागरिक व सरकार के बीच दोतरफा संचार का काम करेगी। विशेष अवसरों तथा कार्यक्रमों पर नागरिकों को ईमेल व एसएमएस के जरिये ऑनलाइन संदेश दिया जाएगा। उपरोक्त कामों के लिए मौजूदा संसाधनों का इस्तेमाल किया जाएगा और इसके लिए अतिरिक्त संसाधनों की बहुत सीमित जरूरत होगी।

### 7) सकल शून्य आयात का लक्ष्य

सकल शून्य आयात का लक्ष्य इस प्रयोजन को असाधारण रूप से दर्शाता है। इस महात्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए कई सारे मोर्चों पर गतिविधियों को समायोजित करने की जरूरत होगी। जैसे कि- कराधान, प्रोत्साहन, किफायत की अर्थव्यवस्था, लागत में अनुचित बढोत्तरी को खत्म करना आदि।

एफएबीएस, फेब-लेस डिजाईन, सेटटॉप बॉक्स, वीसैट्स, मोबाइल, कंज्यूमर एंड मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट एनर्जी मीटर, स्मार्ट कार्ड्स, माइक्रो एटीएम, इन्क्यूबेटर्स, क्लस्टर्स, कौशल विकास, सरकारी खरीददारी।

कई सारे ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं जो कि इसमें बेहतर तरीके से शामिल किये जा सकते हैं। मौजूदा ढांचा इन लक्ष्यों के लिए उपयुक्त नहीं है और इसे सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

### 8) नौकरियों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल

छोटे शहरों व गांवों के एक करोड़ छात्रों को 5 सालों में आईटी क्षेत्र की नौकरियों के लिए तैयार किया जाएगा। इस योजना के लिए डीईआईटीवाई नोडल विभाग होगा। हर उत्तर-पूर्व के राज्य में बीपीओ स्थापित किया जाएगा जिससे कि इन राज्यों में आईसीटी आधारित विकास किया जा सके। आईटी सेवाओं के लिए सक्षम व्यावसायिक आपूर्ति के लिए कौशल विकास के हिस्से के रूप में 3 लाख सेवा प्रदाता एजेंटों को प्रशिक्षित किया जाएगा। टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा उनकी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए 5 लाख ग्रामीण श्रमशक्ति को प्रशिक्षित किया जाएगा। दूरसंचार विभाग इस योजना के लिए नोडल विभाग होगा।

### 9) अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स

डीईआईटीवाई द्वारा व्यापक स्तर पर संदेश भेजने के लिए एक एप्लीकेशन तैयार किया गया है जिसके दायरे में सभी चुने हुए प्रतिनिधि व सभी सरकारी कर्मचारी आएंगे। 1.36 करोड़ मोबाइल व 22 लाख ईमेल इस डेटाबेस का हिस्सा होंगे।

सरकारी शुभकामनाओं के लिए ई-ग्रीटिंग्स का गुलदस्ता तैयार किया गया है। माईगोव पोर्टल के जरिये ई-ग्रिटिंग्स का क्राउड सोर्सिंग सुनिश्चित किया गया है। ई-ग्रीटिंग्स पोर्टल ने 14 अगस्त 2014 से काम करना शुरू कर दिया है। दिल्ली में केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों व डीईआईटीवाई में पहले से बायोमीट्रिक का संचालन शुरू हो चुका है और शहरी विकास विभाग में भी ऐसी पहल की जा रही है। दूसरे विभागों में भी बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली शुरू की जा रही है।

**सभी विश्वविद्यालयों में वाई-फाईः** नेशनल नॉलेज नेटवर्क (एनकेएन) के तहत सभी विश्वविद्यालयों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस योजना को लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय होगा। ईमेल संचार का प्राथमिक तरीका होगा। 10 लाख कर्मचारियों का पहले चरण में उन्नतीकरण हो चुका है। दूसरे चरण में मूलभूत ढांचे में और सुधार होंगे जिसके दायरे में मार्च 2015 तक 50 लाख कर्मचारी आएंगे जिसकी लागत 98 करोड़ रुपये होगी। डीईआईटीवाई इस योजना के लिए नोडल विभाग होगा।

**सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट्सः** डिजिटल शहरों को बढ़ावा देने के लिए एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों व पर्यटक केंद्रों पर सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट मुहैया कराया जाएगा। इस योजना को दूरसंचार विभाग व शहरी विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा।

**स्कूली किताबें ईबुक्स होंगीः** सभी किताबों को ईबुक्स में तब्दील किया जाएगा। एचआरडी मंत्रालय/डीईआईटीवाई इस योजना के लिए नोडल एजेंसी होंगी।

**एसएमएस आधारित मौसम सूचना, आपदा चेतावनियांः** मौसम की सूचनाएं व आपदा चेतावनियां एसएमएस के जरिये दी जाएंगी। डीईआईटीवाई की मोबाइल सेवा प्लेटफार्म पहले ही तैयार हो चुका है और इस काम के लिए उपलब्ध है। एमओईएस (आईएमडी)/एमएचए (एनडीएमए) इस योजना को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी होंगे।

**खोए-पाए बच्चों के लिए नेशनल पोर्टलः** इसके जरिये खोए-पाए बच्चों से संबंधित सूचनाएं वास्तविक समय के आधार पर जुटाई व साझा की जा सकेंगी और इससे अपराध को रोकने में मदद मिलेगी व त्वरित कार्रवाई में सुधार होगा। इस परियोजना के लिए डीईआईटीवाई/ डीओडब्ल्यूसीडी नोडल एजेंसी होंगे। ●

# पॉलीहाउस में सब्जियों का उत्पादन

**कृषि चौपाल**

पॉलीहाउस (प्लास्टिक के हरित गृह) ऐसे ढांचे हैं जो परम्परागत कांच घरों के स्थान पर बैमौसमी फसलोत्पादन के लिए उपयोग में लाये जा रहे हैं। ये ढांचे बाह्य वातावरण के प्रतिकूल होने के बावजूद भीतर उगाये गये पौधों का संरक्षण करते हैं और बेमौसमी नर्सरी तथा फसलोत्पादन में सहायक होते हैं। साथ ही पॉलीहाउस में उत्पादित फसल अच्छी गुणवत्ता वाली होती है।

### पॉली हाउस की संरचना

ढांचे की बनावट के आधार पर पॉलीहाउस कई प्रकार के होते हैं। जैसे- गुंबदाकार, गुफानुमा, रूपान्तरित गुफानुमा, झोपड़ीनुमा आदि। पहाड़ों पर रूपान्तिरित गुफानुमा या झोपड़ीनुमा डिजायन अधिक उपयोगी होते हैं। ढांचे के लिए आमतौर पर जीआई पाइप या एंगिल आयरन का प्रयोग करते हैं जो मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं। अस्थाई तौर पर बांस के ढांचे पर भी पॉलीहाउस निर्मित होते हैं जो सस्ते पड़ते हैं। आवरण के लिए 600-800 गेज की मोटी पराबैगनी प्रकाश प्रतिरोधी प्लास्टिक शीट का प्रयोग किया जाता है। इनका आकार 30-100 वर्गमीटर रखना सुविधाजनक रहता है। निर्माण लागत तथा वातावरण पर नियंत्रण की सुविधा के आधार पर पॉलीहाउस तीन प्रकार के होते हैं।

1. **लो कास्ट पॉलीहाउस या साधारण पॉलीहाउसः**- इसमें यंत्रों द्वारा किसी प्रकार का कृत्रिम नियंत्रण वातावरण पर नहीं किया जाता।
2. **मीडियम कास्ट पॉलीहाउसः**- इसमें कृत्रिम नियंत्रण के लिए (ठंडा या गर्म करने के लिए) साधारण उपकरणों का ही प्रयोग करते हैं।
3. **डाई कास्ट पॉलीहाउसः**- इसमें आवश्यकता के अनुसार तापक्रम, आर्द्रता, प्रकाश, वायुसंचार आदि को घटा-बढ़ा सकते हैं और मनचाही फसल किसी भी मौसम में ले सकते हैं।

### सब्जियों का चुनाव

पॉलीहाउस में बेमौसमी उत्पादन के लिए वही सब्जियां उपयुक्त होती हैं। जिनकी बाजार में मांग अधिक हो और वे अच्छी कीमत पर बिक सकें। पर्वतीय क्षेत्रों में जाड़े में मटर, पछेती फूलगोभी, पातगोभी, फ्रेंचबीन, शिमलामिर्च, टमाटर, मिर्च, मूली, पालक आदि फसलें तथा ग्रीष्म व बरसात में अगेती फूलगोभी, भिण्डी, बैंगन, मिर्च, पातगोभी एवं लौकी वर्गीय सब्जियां ली जा सकती हैं। फसलों का चुनाव क्षेत्र की ऊंचाई के आधार पर कुछ भिन्न हो सकता है। वर्षा से होने वाली हानि से बचाव के लिए अगेती फूलगोभी, टमाटर, मिर्च आदि की पौध भी पॉलीहाउस में डाली जा सकती है। इसी प्रकार ग्रीष्म में शीघ्र फलन लेने के लिए लौकीवर्गीय सब्जियों टमाटर, बैंगन, मिर्च, शिमलामिर्च की पौध भी जनवरी में पॉलीहाउस में तैयार की जा सकती है।

### उन्नत किस्में

**टमाटरः** *सामान्य किस्में*- पंत टी-3, पूसा गौरव *संकर किस्में*- रूपाली, नवीन, एमटीएच-15, अविनाश-2, मनिषा, नूतन

**बैंगनः** *सामान्य किस्में*- पंत सम्राट, पंत ऋतुराज, पूसा, उत्तम *संकर किस्में*- पंत संकर

बैंगन-1, पूसा हाईब्रिड-5, पूसा हाईब्रिड-6, पूसा हाईब्रिड-9

**शिमला मिर्चः** *सामान्य किस्में*- केलिफोर्निया वंडर, योलोवंडर, बुलनोज, चायनीज जायंट *संकर किस्में*- भारत, इन्दिरा, लैरियो, हीरा, ग्रीनगोल्ड, डीएआरएल-202

**मिर्चः** पंत सी-1, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, पंजाब सुर्ख, अग्नि

**मटरः** आर्किल, पंत सब्ली मटर-3, पूसा प्रगति, वीएल मटर-7

**फ्रेंचबीनः** पंत अनुपमा, पंत बीन-2, वी एल बौनी बीन-1, पूसा पार्वती, कन्टेंडर

**भिण्डीः** परभनी क्रान्ति, पंजाब-7, अरका, अनामिका

**खीराः** *सामान्य किस्में*- प्वाइनसेट, जापानी लौंग ग्रीन, फुले शुभांगी *संकर किस्में*- पंत संकर खीरा, प्रिया डीएआरएल-101, यूएस-6125, मालनी

**लौकीः** *सामान्य किस्में*- पूसा नवीन, कल्याणपुरा हरी लम्बी *संकर किस्में*- पंत संकर लौकी-1 व 2, पूसा हाईब्रिड-1

**करेलाः** पंत करेला-1, कल्याणपुर बारामासी, पूसा दोमौसमी

## सस्य क्रियायें एंव देखभाल

पॉलीहाउस के भीतर उगाई जाने वाली सब्जियों में वे सभी सस्य क्रियायें करनी पड़ती हैं जिन्हें खुले खेत में अपनानते हैं। गोबर की खाद का भरपूर उपयोग करना चाहिए। बीच-बीच में मिट्टी का निर्जमीकरण आवश्यक होता है जिसके लिए फार्मेलडिहाइड तथा अन्य रसायन या प्लास्टिक शीट बिछाकर सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। प्रति इकाई क्षेत्र में पौधों की संख्या बढ़ाकर पौधों की उचित छटाई व ट्रेनिंग द्वारा बेलदार फसलों से अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। साधारण पॉलीहाउस में दिन में उचित वायुसंचार का प्रबंध अत्यावश्यक है।

## उपज तथा आय की संभावनाएं

पंतनगर विश्वविद्यालय में किये गये परीक्षणों में जाड़े में लौकी, खीरा, करेला आदि की बुवाई करके प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र से 18-17 किलोग्राम सब्जियों की पैदावार मिली है। नवंबर के प्रारंभ में लगाये गये टमाटर से 15-20 किलोग्राम तथा सितंबर में लगाई गई शिमला मिर्च से 4-10 किलोग्राम की पैदावार मिली है। उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथ फसल की गुणवत्ता में भी काफी सुधार मिला है। एक 100 वर्गमीटर का एंगिल आयरन का साधारण पॉलीहाउस बनाने में लगभग 30,000 रुपये का खर्च आता है। विवेकपूर्ण फसलों के उत्पादन से प्रथम दो वर्ष

**पंतनगर विश्वविद्यालय में किये गये परीक्षणों में जाड़े में लौकी, खीरा, करेला आदि की बुवाई करके प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र से 18–17 किलोग्राम सब्जियों की पैदावार मिली है। नवंबर के प्रारंभ में लगाये गये टमाटर से 15–20 किलोग्राम तथा सितंबर में लगाई गई शिमला मिर्च से 4–10 किलोग्राम की पैदावार मिली है। उत्पादकता में वृद्धि के साथ–साथ फसल की गुणवत्ता में भी काफी सुधार मिला है।**

के भीतर ही लागत वसूल हो सकती है। उसके बाद के वर्षो में केवल उत्पादन लागत तथा 4 वर्षों में प्लास्टिक शीट बदलने का खर्चा शेष रहने से काफी मुनाफा कमाने की संभावना रहती है।

## पर्वतीय क्षेत्र में पॉलीहाउस

ऐसे पहाड़ी क्षेत्र जहां पर ठंड अधिक पड़ती है तथा ओला एवं विपरीत परिस्थितियां भी रहती है। वहां पर खुली दशाओं में सब्जियों का उगाना संभव नहीं होता है। साथ ही वर्षा ऋतु में अधिक फसल को नुकसान होता है। इन स्थानों के लिए 'पाली हाउस व ग्लास हाउस' के अंदर फसल उगाना काफी लाभप्रद पाया जाता है तथा इससे कृषक अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। पाली हाउस में विभिन्न सब्जियां जैसे- टमाटर, शिमला मिर्च, खीरा, पत्ता गोभी, मिर्च, लौकी आदि सफलतापूर्वक उगाई जा सकती हैं।

**टमाटरः** निचले पहाड़ी क्षेत्र (घाटियों में) अक्टूबर। मध्य व ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र-अगस्त में।

**शिमला मिर्चः** निचले पहाड़ी क्षेत्र (घाटियों में) अगस्त-सितंबर। मध्य व ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र-मार्च-अगस्त में।

**खीराः** निचले पहाड़ी क्षेत्र (घाटियों में) अक्टूबर मध्य व ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र- फरवरी-अगस्त में।

टमाटर की रोपाई हेतु पॉलीहाउस के अन्दर भूमि से लगभग 15 सेंटीमीटर उठी हुई क्यारियां बनानी चाहिए। इन क्यारियों का आकार 1.0 मीटर चौड़ा व 0.15 मीटर ऊंचा तथा लम्बाई आवश्यकतानुसार रखी जा सकती है। पौध से पौध की दूरी 50 सेंटीमीटर व लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर रखी जा सकती है। एक क्यारी में दो लाइन होनी चाहिए। एक क्यारी से दूसरी क्यारी के बीच की दूरी 70 सेंटीमीटर से कम नहीं रखनी चाहिए। क्यारियां समतल हों जिससे सिंचाई में आसानी होती है। क्यारियां तैयार करने के पश्चात् फार्मोलिन का 0.2 प्रतिशत (2 मिलीलीटर) का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। पॉलीहाउस को एक दिन के लिए बंद रखें। यह छिड़काव पौध लगाने से लगभग 20 दिन पूर्व करना चाहिए। इसके द्वारा फफूंदी से लगने वाली बीमारियों की रोकथाम हो जाती है। टमाटर की फसल के लिए 35 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेअर तथा 150:100:80 किलोग्राम एनपीके खेत की तैयारी के समय डालें। रासायनिक उर्वरकों को पूरे फसल चक्र में तीन भाग बनाकर डालें। उपरोक्त मिश्रण का लगभग 15 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से रोपाई के पहले प्रत्येक कूड़ में दें। रोपाई के 20 दिन बाद 20 ग्राम प्रति पौधा व 50-50 दिन बाद पुनः 10 ग्राम प्रति पौधा देकर फसल की अच्छी तरह से गुड़ाई करनी चाहिए।

## बुवाई एवं रोपण की दूरी

टमाटर (अ)- 60 गुणा 50 सेंटीमीटर (डण्डों के सहारे पौधों को साधना शाखाओं की कटाई न करने पर) (ब) 50 गुणा 15-20 सेंटीमीटर (प्रत्येक पौधे के केवल मुख्य तनों को रस्सी के सहारे साधने पर)। शिमला मिर्च - 15 गुणा 50 सेंटीमीटर। खीरा-100 गुणा 50 सेंटीमीटर।

## खाद एवं उर्वरक

प्रत्येक वर्ष प्रति वर्ग मीटर 3 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद मिट्टी में मिलायें। इसके अतिरिक्त उपरोक्त फसलों में 12-15 ग्राम नत्रजन, 6-9 ग्राम फास्फोरस तथा 6-9 ग्राम पोटाश प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में दें।

## पौधों की काट-छांट व सहारा देना

टमाटर की अल्प परिमित तथा अपरिमित के सघन रोपण में केवल मुख्य तने को पतली रस्सी की डोरी के सहारे बढ़ने दिया जाता है। शाखाओं को समय-समय पर छांटते रहना चाहिए। किसी भी बेलवाली सब्जी को डण्डे तथा सुतली के सहारे साधना आवश्यक है।

## तापक्रम पर नियंत्रण

साधारण पॉलीहाउस में ठंड के समय रात में खिड़की दरवाजे बंद रखे जाते हैं जबकि ग्रीष्म में तापक्रम न बढ़ने देने के लिए दिन रात खुला रखने की आवश्यकता पड़ती है।

## पॉलीहाउस के अन्द फसल चक्र

विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा में किये गये परीक्षण में टमाटर-टमाटर-पालक, शिमला मिर्च- टमाटर-पालक एवं विलायती कद्दू-फ्रेंचबीन-टमाटर-पालक फसल-चक्र अत्यन्त लाभकारी मिला है। ●

# विदेशी सहायता पर प्रतिबंध के बहाने
# एनजीओ पर अंकुश

**गौरतलब है कि विश्व के अनेक देशों में एनजीओ द्वारा विभिन्न प्रकार के राहत कार्य किये गये हैं। खासकर गृह युद्धग्रस्त देशों में और अकाल आदि से पीड़ित देशों में अनेक एनजीओ द्वारा मानव राहत एवं पुनर्वास के सराहनीय कार्य आज भी जारी हैं। चाहे वह अफगानिस्तान हो, या रवांडा हो, या फिर मिस्र, सीरिया जैसे देश हों, हर जगह अनेक सेवा संगठन मानव कल्याण के कार्यों में संलग्न हैं।**

■ **कृषि चौपाल**

यह बहुत आश्चर्य की बात है कि गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठनों को सूचना का अधिकार कानून के दायरे में चुपचाप क्यों लाया गया। जब सूचना का अधिकार कानून बना था तब इस प्रकार की कोई बहस सामने नहीं आयी थी। परंतु अब जबकि यह कानून भारत जैसे भ्रष्टता में आकंठ डूब चुके लोकतंत्र को उबारने के लिये एक पतवार बनकर सचेत नागरिकों और नागरिक संस्थाओं द्वारा प्रयोग में लाया जाने लगा है तो इसके दायरे में भ्रष्ट सरकारी संस्थाओं को तो नहीं लाया गया बल्कि इन भ्रष्ट संस्थाओं का भंडाफोड़ करने वाली गैर सरकारी संस्थाओं को इसके दायरे में शामिल कर लिया गया है।

गौरतलब है कि सूचना का अधिकार कानून बनाने में जनपक्षधर आंदोलनकारी ताकतों के अलावा अनेक गैर सरकारी संस्थाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आज यह लड़ाई जन लोकपाल विधेयक तक आ पहुंची है। दरअसल गैर सरकारी संगठनों द्वारा नागरिक हितों, तथा स्वच्छ शासन और पारदर्शी व्यवस्था को चुनौती दिये जाने के प्रयासों से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनेक भ्रष्ट स्तंभों को निपटने में मुश्किलें पेश आ रही थीं। जो लोग जो इस भ्रष्ट व्यवस्था की पैदाइश हैं, उनके खिलाफ आरटीआई को एक हथियार मानकर जो लोग लड़ रहे थे, उन्हें विगत एक दशक के दौरान बड़ी बेरहमी से कुचलने के प्रयास हुये हैं। देशभर में आरटीआई कार्यकर्त्ताओं की हत्याएं इस बात का सबूत हैं। परंतु सूचना के अधिकार का संगठित प्रयास करने वाली संस्थाओं पर नकेल कसने में मौजूदा भ्रष्ट व्यवस्था को अनेक प्रकार की कठिनाइयां आ रही थीं। अन्ना के उभार के बाद अनेक एनजीओ जनलोकपाल

के निर्माण के लिये चलाये जा रहे आंदोलन के जरिये मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ लामबंद हो गये। यहां पर यह नहीं भूलना चाहिये कि जनलोकपाल, सूचना के अधिकार कानून का ही एक परिशोधित और विस्तारित तथा व्यापक स्वरूप है। इन्हीं सब परिस्थितियों के बीच विगत दिनों सरकार को दिये गये इंटेलीजेंस ब्यूरो के एक प्रतिवेदन ने एनजीओ और सरकार की मुश्किलों को और बढ़ाने का काम किया। प्रतिवेदन कहता है कि भारत में सक्रिय अनेक गैर सरकारी संस्थाओं को देश के विकास में बाधा डालने के लिये विदेशों से पूंजी उपलब्ध करायी जा रही है। इस प्रकार के आरोप जिन गैर सरकारी संगठनों पर लगाये गये हैं उनमें ग्रीनपीस का नाम सबसे ऊपर है। गौरतलब है कि यह संस्था वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करती है। भारत में कोयला तथा परमाणु बिजली परियोजनाओं का निरंतर विरोध कर रही संस्था ग्रीनपीस पर सरकार ने विदेशी सहायता प्राप्त करने पर रोक लगा दी थी।

गौरतलब है कि विश्व के अनेक देशों में एनजीओ द्वारा विभिन्न प्रकार के राहत कार्य किये गये हैं। खासकर गृह युद्धग्रस्त देशों में और अकाल आदि से पीड़ित देशों में अनेक एनजीओ द्वारा मानव राहत एवं पुनर्वास के सराहनीय कार्य आज भी जारी हैं। चाहे वह अफगानिस्तान हो, या रवांडा हो, या फिर मिस्र, सीरिया जैसे देश हों, हर जगह अनेक सेवा संगठन मानव कल्याण के कार्यों में संलग्न हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इनमें से अधिकांश देश विदेशी सहायता से वित्तपोषित हैं। भारत में भी वर्तमान में अनेक संस्थाएं स्वास्थ्य, शिक्षा, मानवाधिकार बालश्रम उन्मूलन, महिला कल्याण और कृषि के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन विडंबना यह है कि अनेक संस्थाएं विदेशी धन का उपयोग देश की सुरक्षा को कमजोर करने में कर रही हैं। मुंबई के 26/11 काण्ड की जांच में यह तथ्य उजागर हुए हैं कि इस काण्ड को अंजाम देने में विदेशी धन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एनजीओ की आड़ में अनेक देशों में उन देशों की नकली मुद्रा भी प्रचलित कर अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के प्रयास किये गये हैं। हालांकि हमारे देश के कानूनी प्रावधानों के अनुसार इस प्रकार के कार्य आपराधिक कृत्य हैं। इन कार्यों से केवल व्यक्तिगत क्षति ही नहीं अपितु संपूर्ण देश को क्षति कारित होती है। स्पष्ट है कि इन कार्यों के लिए विदेशी धन को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

गौरतलब है कि अनेक देशों की सरकारों को अस्थिर करने के लिए अन्य देशों द्वारा आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है। जैसे कि अमेरिका द्वारा वेनेजुएला की सत्तारूढ़ सरकार को अस्थिर करने के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता रहा है।

इसी प्रकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तत्कालीन जापान सरकार द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करने के लिए सहयोग दिया गया था। इसी तरह सन् 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में भारत ने मदद पहुंचायी थी। श्रीलंका में चरमपंथी तमिलों के खिलाफ लड़ने में श्रीलंका सरकार को भारत ने शांति सेना के रूप में सैन्य मदद दी थी। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंगसान सू क्यी को म्यांमार में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिये अहिंसक संघर्ष संचालित करने के लिये विदेशी सहायता उपलब्ध कराये जाने की चर्चा रही है। परंतु यहां पर यह गौर करने वाली बात है कि प्रत्येक प्रकार की विदेशी मदद को एक ही नजर से नहीं देखा जा सकता है। यदि किसी तानाशाह को अपदस्थ करने के लिये सहायता उपलब्ध करायी जाती है तो इसे उचित ही कहा जायेगा।

नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित संस्था एमनेस्टी इंटर नेशनल द्वारा विश्व के अनेक देशों में तानाशाही शासन के विरोध के लिये आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती रही है। गौरतलब है कि कुछ वर्ष पूर्व अमेरिका के सिएटल शहर में विश्व व्यापार संगठन के खिलाफ अनेक संस्थाऐं विश्व स्तर पर लामबंद हो गयी थीं और उन्होंने उस सम्मेलन को स्थगित कराने में सफलता भी प्राप्त की। अब यहां पर यह विचारणीय है कि इन सहायताओं को लेकर पक्ष और विपक्ष हो सकता है। एक वर्ग यह कह सकता है कि बांग्लादेश को मदद पहुंचाना सही है दूसरा वर्ग इसे गलत भी कह सकता है। सुभाष चंद्र बोस को तत्कालीन जापान सरकार द्वारा मदद पहुंचाया जाना जहां भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले वर्ग के लिये सही हो सकता है, वहीं इसे अंग्रेजी शासन का समर्थन करने वाला वर्ग गलत भी कह सकता है।

स्पष्ट है कि विदेशी सहायता से पोषित संस्थाएं यदि जनता के खिलाफ कार्य करती हैं तो इसका विरोध होना चाहिये, और इसकी शुरूआत जनता को ही करनी चाहिये। यहां पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि विदेशी संस्थाऐं जब किसी संस्था को धन मुहैया कराती हैं तो इस सहायता को प्राप्त करने वाली संस्था दानदाता संस्था के ही ऐजेंडे को आगे लागू करती है। इस प्रक्रिया में विदेशी संस्थाएं स्वदेशी संस्थाओं से वह सब करवाने में कामयाब होती दिखायी देती हैं, जोकि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ की श्रेणी में आता है। ●

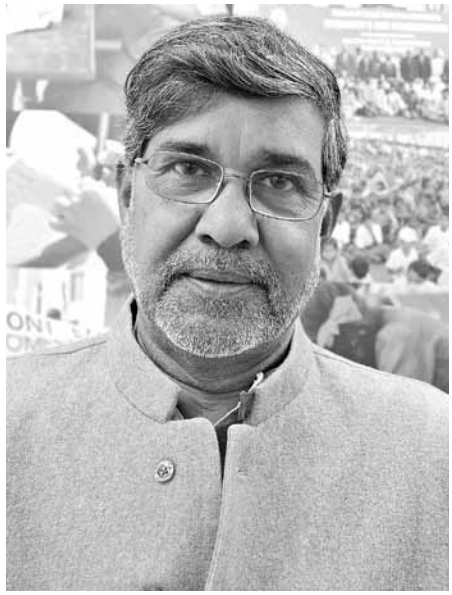

# बाल अधिकारों की लड़ाई अधूरी है अभी

नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने कहा कि समाज के उपेक्षित बच्चों को मुख्यधारा में लाने के लिए मीडिया और युवा वर्ग को काम करना चाहिए। अभी बाल अधिकारों की लड़ाई पूरी नहीं हुई है। यह विचार कैलाश सत्यार्थी ने गत दिनों इंदिरा गांधी कला केन्द्र में आयोजित एक मीडिया फेस्ट में व्यक्त किये। जहां उन्हें सम्मानित भी किया गया।

गौरतलब है कि कैलाश सत्यार्थी बाल मजदूरी के खिलाफ लड़ने वाले गैर सरकारी सेवा संगठन 'बचपन बचाओ आंदोलन' (बीबीए) के संस्थापक और प्रणेता रहे हैं। उन्हें हाल ही में बालिका शिक्षा के लिए संघर्ष करने वाली पाकिस्तान की साहसी सामाजिक कार्यकर्ता यूसुफ जई मलाला के साथ संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बाल अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले श्री सत्यार्थी ने कहा कि बाल मजदूरी से मुक्त आंखों में आजादी की खुशी देखकर दिल को तसल्ली होती है। उन्होंने मीडिया और युवाओं को उन बच्चों के लिए कार्य करने का सुझाव दिया जो बच्चे समाज की मुख्यधारा से बाहर हो गये हैं। उन्होंने कहा कि इन बच्चों को मुख्यधारा में लाये बिना बाल अधिकारों की लड़ाई का लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। उन्होंने बच्चों पर बढ़ती आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए कड़े कानून बनाये जाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

# रासायनिक दुष्प्रभाव को दूर करती है जैविक खाद

**कृषि चौपाल**

खाद्यान्न सुरक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये हरितक्रांति के दौरान रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया गया। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के साथ-साथ रासायनिक कीटनाशकों का भी भारी मात्रा में प्रयोग किया गया। अत्यधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के प्रयोग से खाद्यान्नों की पैदावार में तो बढ़ोत्तरी हुई परंतु भूमि की उर्वरा शक्ति पर इसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। मृदा संरचना में भी अनेक ऋणात्मक दुष्प्रभाव दृष्टिगोचर हुए।

हम सबको भलीभांति ज्ञात है कि भूमि यानि मिट्टी, पत्थर आदि प्रकृति का वह महत्वपूर्ण संसाधन हैं जिनका फिलहाल हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। जाहिर है कि इसकी उर्वरता और संरचना को लम्बे समय तक बचाये रखना आज हमारे लिए एक चुनौती है। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य भी है, इसलिये देश के सामने न केवल फसलोत्पादन में वृद्धि की चुनौती है बल्कि खाद्यान्नों और फलों-सब्जियों की गुणवत्ता को बनाये रखना भी जरूरी है।

### जैव उर्वरकों की संरचना

कृषि वैज्ञानिकों ने पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए मिट्टी की संरचना तथा उर्वरकता कायम रखने के लिये ऐसे जीवाणु जनित उर्वरक तैयार किये हैं जो हमारे वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन को एक खास रासायनिक प्रक्रिया के जरिये पौधों तक पहुंचाते हैं। साथ ही यह जीवाणु जनित उर्वरक मिट्टी में पहले से उपस्थित फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि पोषक तत्वों को पानी में घुलनशील बनाकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। क्योंकि यह सभी जीवाणु प्रकृति प्रदत्त हैं इसलिये इनका प्रयोग करने से एक ओर जहां भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है वहीं दूसरी ओर हमारे पर्यारवण तथा भूमि की मृदा संरचना पर भी कोई खराब प्रभाव नहीं पड़ता है। यहां पर यह जानने वाली बात है कि यह जैव उर्वरक रासायनिक खादों के विकल्प नहीं हैं बल्कि उनके पूरक हैं। यानि इन उर्वरकों को रासायनिक

**भूमि यानि मिट्टी, पत्थर आदि प्रकृति का वह महत्वपूर्ण संसाधन हैं जिनका फिलहाल हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। जाहिर है कि इसकी उर्वरता और संरचना को लम्बे समय तक बचाये रखना आज हमारे लिए एक चुनौती है।**

खाद के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है बल्कि रासायनिक खादों के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तभी इनका अधिक लाभ लिया जा सकता है। इनके प्रयोग से एक ओर जहां रासायनिक खादों की उपादयेता में वृद्धि होती है वहीं फसलों की गुणवत्ता और प्रति हेक्टेअर उपज में भी बढ़ोत्तरी होती है।

अनेक उर्वरक बनाने वाली कंपनियों द्वारा राइजोबियम कल्चर, एजेटो वैक्टर, एसीटो वैक्टर और पीएसएम जैसे उपयोगी जैव उर्वरकों का निर्माण किया जाता है। इन जैव उर्वरकों की प्रयोग विधि यहां पर दी जा रही है।

**पीएसएम प्रयोगः** गौरतलब है कि फास्फेटिक रासायनिक खादों पर कृषकों को सबसे ज्यादा खर्च करना पड़ता है। भारत की लगभग 80 से 90 फीसदी कृषिभूमि में फॉस्फोरस की कमी पायी जाती है। दरअसल मिट्टी में फॉस्फोरस तत्व की कमी को पूरा करने के लिये जिन राासायनिक खादों का इस्तेमाल किया जाता है, उनका लगभग 37 प्रतिशत हिस्सा ही फसल उपयोग में ला पाती है। शेष भाग अघुलनशील हालत में भूमि के अंदर बेकार पड़ा रहता है। पीएसएम जैव उर्वरक उपयोग करने से मिट्टी में पहले से ही पड़ा अघुलनशील फॉस्फोरस घुलनशील हालत में परिवर्तित होकर पौधों को मिल जाता है। इस जैव उर्वरक को सभी प्रकार की फसलों में इस्तेमाल किया जाता है।

**एजेटो बैक्टरः** इस जीवाणु जनित खाद द्वारा पौधों की जड़ों के इलाके में स्वतंत्र रूप से मौजूद रहकर वातावरण की नाइट्रोजन को स्थिर करते हुए पौधों को मुहैयया कराया जाता है। इस जैव उर्वरक का इस्तेमाल धान, गेहूं, जौ, जई, ज्वार, बाजारा, मक्का तथा सभी प्रकार की सब्जियों, फूलों और फलों तथा अन्य उत्पादों जैसे कपास, गन्ना, तम्बाकू, जूट पटसन आदि में समान रूप से किया जा सकता है।

**राइजोबियम कल्चरः** इस जीवाणु का कार्य वायुमण्डल की नाइट्रोजन को शोषित कर पौधे को उपलब्ध कराना होता है इसका उपयोग दलहनी फसलों के लिये किया जाता है। इनके प्रयोग में खास सावधानी यह रखनी होती है कि यह फसल विशेष के लिये अलग-अलग इस्तेमाल किये जाते हैं। मसूर, सोयाबीन, अरहर, मूंग, उड़द, चना, मटर आदि सभी दलहनी फसलों के लिये इसे उपयोग किया जा सकता है। जिस भी फसल के लिये इसे इस्तेमाल करना हो उस फसल का नाम पैकेट पर लिखा होता है।

**एसीटो बैक्टरः** इस जैवीय खाद का इस्तेमाल गन्ने के लिये खासतौर से किया जाता है। यह जैव उर्वरक नाइट्रोजन वाली रासायनिक खादों की औसतन 25 से 30 फीसदी बचत कराने में मददगार होता है। इसके उपयोग से जो गन्ना पैदा होता है उससे बनने वाली चीनी के परते में लगभग 2 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी होती देखी गयी है।

**भूमि उपचारः** इस विधि से एजेटो बैक्टर, एसीटो बैक्टर और पीएसएम जैव उर्वरकों का इस्तेमाल सभी खाद्यान्नों की फसलों तथा गन्ना, तिलहन उत्पादों, सब्जियों, फूलों आदि में किया जा सकता है। इस विधि के इस्तेमाल में जैव उर्वरकों की लगभग 5 किग्रा. मात्रा को 100 किग्रा. भली तरह से सड़ी-गली गोबर की खाद या कम्पोस्ट में मिलाकर खेत की तैयारी के मौके पर आखिरी जुताई से पहले खेत में एक साथ छिड़क कर मिट्टी में मिलाकर किया जाता है।

# जैवीय खेती की चुनौतियां

केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने जैवीय खेती को बढ़ावा देने का ऐलान तो कर दिया है, परंतु सिर्फ ऐलान कर देने भर से आज के हालातों में जैवीय खेती संभव नहीं होने वाली है। भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती की मिट्टी की जरूरत जाने बिना रासायनिक खादों का जो अंधाधुंध और असंतुलित प्रयोग किया गया उसके कारण खेतों की उपजाऊ क्षमता लगातार घटती गयी और अब हालात यह हो गये हैं कि खादें खेतों को ही खाने लगी हैं। हरित क्रांति के अगुआ रहे प्रदेशों-पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अनेक फसलों के उत्पादन में पिछले कुछ वर्षों से लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है।

रासायनिक खादों के अवैज्ञानिक इस्तेमाल के कारण ही मिट्टी की अपनी उपजाऊ क्षमता में लगातार कमी आ रही है और जिससे पैदावार भी घटने लगी है। पैदावार घटेगी तो खाद्य सुरक्षा का संकट स्वाभाविक तौर पर बढ़ेगा और यह विशाल जनसंख्या बहुल देश के लिए चिंताजनक होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह के जैवीय खेती को बढ़ावा देने के हालिया ऐलान को इसी चिंता और चिंतन का वक्तव्य माना जाना चाहिए। जैवीय खेती को अपनाने के लिए और इसे बढ़ावा देने के लिए जैविक खादों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना तो आवश्यक है ही इसके साथ ही जो किसान जैविक खेती को अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं उन्हें भी प्रोत्साहन दिया जाना जरूरी होगा। जैविक खेती से अच्छी पैदावार लेने के लिए फसल चक्र को अपनाने तथा रासायनिक खादों के संतुलित और परीक्षित प्रयोग पर भी जोर देना होगा। किसानों को इस बात के लिए जागरूक किया जाना चाहिए कि रासायनिक खादों का प्रयोग करने से पहले खेतों की मिट्टी की जांच करायी जानी चाहिए ताकि खेत की मिट्टी में जिस पोषक तत्व की कमी हो उसी पोषक तत्व को बढ़ाने वाले रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाए। जैवीय खादों के प्रयोग का सबसे आसान और प्रभावी उपाय यह है कि खेतों में ही कंपोस्ट, जैव तथा हरी खाद जैसे पोषक तत्वों के जैविक स्रोतों को खेत में ही कम समय में विकसित किया जा सके

सरकार द्वारा वर्तमान में राष्ट्रीय कृषि मिशन चलाया जा रहा है परंतु इस मिशन की उपलब्धियां क्या रही हैं, यह किसी से छुपा नहीं है। सरकार अब हालांकि यह कह रही है कि देश के लगभग 14 करोड़ किसान परिवारों को खेतों के स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराये जाएंगे तथा जिला स्तर पर स्थापित कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका को बढ़ाते हुए उन्हें मिट्टी की जांच, रासायनिक खादों के संतुलित इस्तेमाल तथा किसानों को जागरूक करने की जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी।

**जड़ उपचार विधि:** जैव उर्वरक उपयोग की यह विधि रोपाई वाली फसलों के लिये ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। इस विधि में 1 से 2 किग्रा. जैवीय उर्वरकों को 10 से 20 लीटर पानी में घोल बनाकर उसमें एक हेक्टेअर क्षेत्रफल के लिये रोपाई हेतु पौधों को रोपाई करने से 15 मिनट पहले केवल जड़ तक डुबोकर रोपाई की जाती है।

**बीज उपचार विधि:** इस प्रयोग विधि में एक पैकेट को घोलकर औसतन 200 से 500 मिली. पानी में तैयार करके 10 किलो बीज के ऊपर एक साथ छिड़काव करके हाथ से भलीभांति मिला लिया जाता है। इससे जैव उर्वरक की एक पतली परत बीज के सभी दानों पर बन जाती है। इन उपचारित बीजों को छाया में सुखाया जाता है। इस विधि से राइजोबियम, एजेटो बैक्टर और पीएसएम जैव खादों का इस्तेमाल सभी दहलन की फसलों गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा, राई, सरसों, तिल, सूरजमुखी आदि की फसलों के लिये किया जाता है।

**कन्द उपचार:** कन्द वाली फसलों के लिये यह उपचार प्रयोग में लाया जाता है। जैसे कि आलू, गन्ना, जिमिकंद आदि फसलों में इसका उपयोग किया जाता है। आलू की फसल में एजेटो बैक्टर तथा पीएसएम का इस्तेमाल करने के लिये प्रति हेक्टेअर 2 किग्रा. जैव उर्वरकों को लगभग 20 से 25 लीटर पानी में घोला जाता है। तथा इस घोल में आलू के बीजों को 5 मिनट तक डुबोया जाता है। तब इन्हें बोया जाता है। इसी प्रकार गन्ने की फसल में भी एसीटो बैक्टर के इस्तेमाल के लिये 5 किग्रा. जैव उर्वरक एक हेक्टेअर के लिये आवश्यक होता है। इसी परिमाण से इसे प्रयुक्त किया जाता है।

**जैव खादों के उपयोग में सावधानियां:** यह ध्यान देने वाली बात है कि जैवीय खादें रासायनिक खादों के विकल्प नहीं हैं। फसलों को पोषण प्रदान करने के लिए जैव खादों को कार्बनिक तथा रासायनिक खादों के साथ मिलाकर प्रयोग करने पर अच्छे परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं। किसी खास फसल के लिये खास जैव उर्वरक ही प्रयोग करें। बोये जाने वाले बीजों के शोधन में यदि रसायनों का इस्तेमाल किया जाना है तो पहले रसायनों का प्रयोग करें और तब जैव उर्वरकों का प्रयोग करें। रसायनों का प्रयोग करने की स्थिति में जैव उर्वरकों की मात्रा को दोगुना कर देना चाहिये। रासायनिक खादों के साथ मिलाकर इनका प्रयोग कभी नहीं करना चाहिये। बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिये जैव खादों को सड़ी-गली गोबर की नम खाद और कम्पोस्ट खाद के साथ मिलाकर प्रयोग करना चाहिये।

गौरतलब है कि जैवीय खाद जीवित जीवाणुओं का सम्मिश्रण है। इसलिये इनको उच्च ताप, दाब और ताप में बदलावों से तथा तेज धूप से बचाना आवश्यक होता है। गर्मियों के मौसम में जैव खादों को भण्डारण के लिये मकान के किसी कोने में बालू या मिट्टी के अंदर मिट्टी का घड़ा रखकर उसमें जैव खादों को संरक्षित किया जाना सही होता है। और बालू को निरंतर भिगाते भी रहना चाहिये। इस विधि से हम जैव खादों को तापक्रम में बदलाव से बचा सकते हैं। जैव खादों को खरीदते समय उनके निर्माण की तारीख जरूर देख लेनी चाहिये और उनका प्रयोग निर्धारित अवधि के अंदर कर लेना चाहिये। यह भी ध्यान रखें कि जैव खादों के पैकटों को खोलने के बाद तुरंत उपयोग में लाना चाहिये। ●

# मानव-वन्यजीव संघर्ष

# समाधान को तरसती समस्या

**गणेश चंद्र पांडे**

सप्रंग सरकार के शासनकाल के दौरान पर्यावरण एवं वन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती जयंती नटराजन ने लोकसभा में मानव-वन्यजीव संघर्ष से संबंधित एक लिखित प्रश्न का जवाब देते हुए यह स्पष्ट किया था कि वन्यजीवों की संख्या का प्रबंधन संबंधित राज्य और केंद्र शासित सरकार द्वारा किया जाता है। हालांकि उन्होंने यह स्वीकार किया कि मानव-पशु संघर्ष की घटनाओं की सूचनाएं मंत्रालय को समय-समय पर प्राप्त हुई हैं। लेकिन उन्होंने इस बात से साफ इनकार किया कि मानव-वन्यजीव संघर्ष या मानव-पशु संघर्ष की घटनाओं में बढ़ोत्तरी हुई हो। श्रीमती नटराजन का कहना था कि उनके मंत्रालय द्व ारा ऐसे संघर्षों का विवरण भी नहीं रखा जाता है। उनका कहना था कि मानव-पशु संघर्ष की घटनाओं में वृद्धि हुई हो, इस प्रकार का कोई तथ्यगत प्रतिवेदन भी उनके पास या उनके मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है।

उनके द्वारा मानव-वन्यजीव संघर्ष की समस्या का जो उत्तर दिया गया है वह इस समस्या की भयावहता के शतांश भी नहीं है। मौजूदा केंद्र सरकार के शासनकाल में भी हिमाचल प्रदेश के भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर संसद में मानव वन्यजीव संघर्ष पर सरकार से उसका पक्ष जानने के लिये सवाल प्रस्तुत कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी हिमाचल में मानव-वन्यजीव संघर्षो को किसानों और फलोत्पादकों के लिये एक बड़ी चुनौती मान चुके हैं। दरअसल समस्या केवल यहीं तक सीमित नहीं है कि मानव समुदायों द्वारा वन्यजीवों को संघर्षों के दौरान हताहत किया जा रहा है या फिर वन्यजीवों द्वारा मानवों तथा मवेशियों पर जानलेवा हमले किये जा रहे हैं। समस्या इससे भी अधिक भयावह रूप धारण कर चुकी है। वास्तविकता यह है कि समूचा हिमालयी क्षेत्र तथा तराई-भाबर क्षेत्र आज मानव-वन्यजीव संघर्षो से जूझ रहा है। इस संघर्ष के कारण एक ओर जहां पहाड़ी राज्यों से मानव समुदाय पलायन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मानव बस्तियों के नजदीकी जंगलों में रहने वाले जंगली हिंसक जीव भोजन की तलाश में शहरों और कस्बों की ओर रुख करने लगे हैं।

भारत के पूर्वोत्तर प्रांत तथा मध्य हिमालयी क्षेत्र में स्थित उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी-जंगली इलाकों में रहने वाले मानव समुदायों की पारंपरिक खेतीबाड़ी और फलोत्पादन तथा पशुपालन को जंगली सूअरों और उत्पाती वानरों-लंगूरों

द्वारा भारी नुकसान पहुंचाया जाता है। वहीं इन क्षेत्रों में गुलदार, तेंदुआ, भालू द्वारा भी मानव और मवेशियों पर जानलेवा हमले बढ़ रहे हैं। हिमालयी क्षेत्र की तलहटी में स्थित तराई-भाबर इलाकों में जंगली सूअरों, उत्पाती वानरों-लंगूरों तथा हाथियों के झुण्ड किसानों को अपने हमलों से आये दिन हतोत्साहित कर रहे हैं। पहाड़ की खेती और फलोत्पादन तो इन वन्यजीवों ने

लगभग नष्ट कर दिया है। इसके अलावा आवारा मवेशियों से भी किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है।

उत्तराखंड में आज मानव-वन्यजीव संघर्ष एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। पहाड़ों में एक ओर जहां गुलदार, बाघ, तेंदुआ और जंगली सूअरों, उत्पाती वानरों-लंगूरों का खौफ है वहीं मैदानी इलाकों में गजराज ने कहर ढा रखा है। हालांकि सूबे की सरकार ने सूअरों का शिकार नहीं खाने की शर्त पर उन्हें मारने की अस्थायी इजाजत दे दी है। लेकिन यह सभी जानते हैं कि हिंसक वन्यजीवों का शिकार करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और यहां पर यह भी गौर करने वाली बात है कि उत्तराखंड में कितने घर हैं जहां जंगली हिंसक जानवरों का शिकार करने के अस्त्र-शस्त्र मौजूद हैं? शहरी क्षेत्रों की बात हालांकि अलग है। मैदानी इलाकों और शहरों में अस्त्र-शस्त्र, खासकर स्वचालित आग्नेयास्त्र रखना जरूरत से ज्यादा आज एक फैशन बन चुका है। जहां एक ओर इन वन्यजीवों के जानलेवा हमलों में किसानों को अकाल काल कवलित होना पड़ रहा है वहीं दूसरी ओर उनकी फसलों को उत्पाती बानरों, लंगूरों तथा जंगली सूअरों व हाथियों द्वारा भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। दरअसल इसके पीछे वन्यजीवों के लिए कम होता भोजन जंगलों में लगने वाली आग और उनके प्राकृतिक पर्यावासों का क्षतिग्रस्त होना प्रमुख कारण है और कुछ हद तक जंगलों के सिमटने को भी इसके लिए जिम्मेदार माना जा सकता है। परंतु यहां यह स्मरण रखना होगा कि इस पहाड़ी राज्य का लगभग 66 प्रतिशत भू-भाग वनक्षेत्र है, इसलिए जंगलों की कमी को

पहाड़ी इलाकों के परिप्रेक्ष्य में मानव-वन्यजीव संघर्ष से जोड़कर देखना एक बड़ी भूल होगी। इसे अन्यथा न लें तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वातानुकूलित अट्टालिकाओं में रहने वाले तथाकथित वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षणवादी यह नहीं जानते हैं कि उत्तराखंड से मानव आबादी के भारी पलायन के कारण और जलाऊ ईधन के लिए लकड़ी पर निर्भरता घटने तथा खेतीबाड़ी व पशुपालन व्यवसाय के न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाने के कारण पहाड़ के गांवों के आसपास जंगली इलाके में बढ़ोतरी हुई है।क्योंकि पहाड़ों में लकड़ी-चारे आदि की खपत भी काफी घट गयी है। पहाड़ों में भवन निर्माण शैली भी अब बदल चुकी है जिसमं पारंपरिक पहाड़ी मकानों की भांति लकड़ी का बहुतायत से इस्तेमाल नहीं किया जाता है। पहाड़ों में अब अधिकतर मकान ईंट, लोहा, सीमेंट आदि से बन रहे हैं। पर्वतीय इलाकों में इस तरह के निर्माण का कितना लाभ और कितना नुकसान हो सकता है यह एक अलग अध्ययन का विषय है। फिर भी यदि प्रबुद्ध जनों को इस तथ्य पर शक हो तो वह स्वयं उत्तराखंड के सुदूर ग्रामीण इलाकों का भ्रमण कर वस्तुस्थिति का आकलन कर सकते हैं।

तराई-भाबर के जिन मैदानी इलाकों में वनराज और गजराज अपने काफिले के साथ मदमस्त होकर गर्दिश करते थे आज वहां छह-छह कतारों वाले राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। हजारों विशालकाय कल-कारखाने और पंचसितारा होटल स्थापित हो चुके हैं। अंधे विकास का यह सिलसिला अभी भी जारी है। इन मैदानी इलाकों में हाथी प्राय: बेकाबू होकर जानमाल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। इतना ही नहीं वह इन राजमार्गों के आसपास के कस्बों और गांवों में घुसकर किसानों की खड़ी फसल को बड़ी बेरहमी से रौंद देते हैं। वनक्षेत्र में बढ़ती मानवीय दखलंदाजी ने परिस्थिति को विकट बना दिया है। इसके अलावा सिक्के का दूसरा पहलू भी है। वह महत्वपूर्ण मामला है पलायन। पहाड़ों से बेतहाशा पलायन के कारण गांव खाली हो चुके हैं। स्थिति यह है कि कई गांवों में इक्का-दुक्का परिवार ही रह गए हैं। जंगल में भोजन की कमी से जूझ रहे गुलदाड़, तेंदुआ, बाघ, भालू आदि हिंसक वन्यजीव पालतू मवेशियों को निवाला बना रहे हैं। इस क्रम में मानव पर हमले होने लाजिमी हैं। इतना ही नहीं, गंभीर होते हालात के दुष्परिणाम वन्यजीवों को भी भुगतने पड़ रहे हैं। लगभग दो वर्ष पूर्व पौड़ी जिले के घामधार गांव में ग्रामीणों ने पिंजरे में फंसे गुलदाड़ पर मिट्टी तेल छिड़ककर आग लगा दी। इसी जिले में गांव के लोगों ने एक गुलदाड़ को लाठी-डंडों से

**पैंसठ फीसद वन भूभाग वाले उत्तराखंड में बढ़ते मानव–वन्यजीव संघर्ष ने अब राज्य सरकार को भी सोचने पर विवश कर दिया है। चिंताजनक ढंग से बढ़ते इस संघर्ष में मनुष्य और वन्यजीव दोनों को ही जान देकर कीमत चुकानी पड़ रही है।**

पीट-पीटकर मार डाला। जौनसार क्षेत्र में एक गुलदार को कुल्हाड़ी से काट डाला गया। इतना ही नहीं, रुद्रप्रयाग में खेत में काम कर रही एक महिला पर गुलदार ने हमला किया तो इस साहसी नारी ने अपनी आत्मरक्षा में गुलदाड़ को मौत की नींद सुला दिया। हालांकि इस संघर्ष में वह बुरी तरह घायल हो गयी। कालसी क्षेत्र में भी इस प्रकार की घटना हुई। मुसीबत यह है कि इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार से लेकर सरकारी महकमे तक कोई भी गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। विगत वर्ष 2012 में गैरसैंण में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने वन्य जीवों से हुए नुकसान के लिए मुआवजा राशि अवश्य बढ़ाई। साथ ही सर्पदंश को भी इसमें शामिल किया गया है। इस सबको देखते हुए राज्य सरकार की इस पहल को सराहनीय तो माना जा सकता है। परंतु वन्यजीवों से होने वाली क्षति का मुआवजा वक्त पर नहीं मिल पाता। सरकार का यह निर्णय जख्मों पर मरहम का काम भले ही करे, लेकिन हालात का स्थायी समाधान नहीं माना जा सकता। सवाल यह है कि जानने-समझने के बावजूद सरकार और संबंधित विभाग खामोशी अख्तियार किए हुए हैं।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राज्य गठन से जनवरी 2014 तक साढ़े तीन सौ से ज्यादा लोग वन्यजीवों के हमले में जान गंवा चुके थे, जबकि लगभग 1200 से ज्यादा घायल हुए। प्रदेश में जिस तेजी से वन्यजीव आबादी वाले इलाकों का रुख कर रहे हैं उसे देखकर लगता नहीं कि इस संघर्ष पर विराम लगेगा। दहशत में जिंदगी जी रहे ग्रामीण लोग पहली बार इस तरह अपना आक्रोश दिखा रहे हों ऐसा नहीं है। अनेक लोग पहाड़ों में सुअरों और बंदरों और सेही से अपनी फसल को बचाने के लिये बिजली के करंट का सहारा लेते हैं। यह तरीका और अधिक जोखिम भरा है जिसमें जरा सी चूक से भारी जनहानि का अंदेशा बना रहता है। दरअसल संघर्ष की मूल वजह तो सर्वविदित है। मैदानी इलाकों में सिमटते जंगल, प्रवास स्थल व भोजन की कमी और जंगलों में बढ़ते मानवीय हस्तक्षेप से यह नौबत आई है। हाथियों के पारंपरिक गलियारे तकरीबन समाप्त हो चुके हैं। जंगल से सटे खेत वन्यजीवों को आकर्षित करते हैं। उससे भी बुरी बात यह है कि जंगल के बीच अक्सर पिकनिक मनाने गए पर्यटक वन्यजीवों की दिनचर्या में खलल डालने से बाज नहीं आते। इससे वन्यजीवों के व्यवहार में भी परिवर्तन आ रहा है। हैरत यह है कि विभाग सब कुछ जानते हुए भी सक्रिय नजर नहीं आता। वन विभाग ने कुछ स्थानों पर आबादी के पास वाले क्षेत्रों में कंटीले तारों की बाड़ कराई, लेकिन देखरेख के अभाव में यह तारबाड़ जगह-जगह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। पहाड़ी क्षेत्रों में तो यह भी संभव नहीं कि तारबाड़ की जाये, जबकि सर्वाधिक प्रभावित इलाके पहाड़ ही हैं।

पैंसठ फीसद वन भूभाग वाले उत्तराखंड में बढ़ते मानव-वन्यजीव संघर्ष ने अब राज्य सरकार को भी सोचने पर विवश कर दिया है। चिंताजनक ढंग से बढ़ते इस संघर्ष में मनुष्य और वन्यजीव दोनों को ही जान देकर कीमत चुकानी पड़ रही है। हालांकि बढ़ते मानव-वन्यजीव संघर्ष को लेकर चिंता तो जताई जाती रही है, लेकिन पहल नहीं हो पाई। यह सच है कि वन्यजीव हमारे पारिस्थितिकीय तंत्र के संरक्षण के लिए काफी जरूरी हैं और इनका बचाव भी मानव समुदाय का ही दायित्व है। इस सबके बावजूद बड़ा सवाल यह है कि जिस घर के चिराग अथवा कमाऊ सदस्य को वन्यजीवों ने निवाला बनाया हो, उसे कैसे वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रेरित किया जाएगा। असल में मानव-वन्यजीव संघर्ष थामने को उन कारणों की पड़ताल कर निदान करना जरूरी है, जिनकी वजह से यह चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है।

यह किसी से छिपा नहीं है कि जैव-विविधता के धनी उत्तराखंड के वन्यजीव उसे दुनियाभर में अलग पहचान दिलाते हैं। ऐसे में वन्यजीवों का संरक्षण भी जरूरी है। इस सबके मद्देनजर ऐसी नीतियां बनाने की जरूरत है, जिससे मनुष्य व वन्यजीव दोनों ही सुरक्षित रहें। विकास और जंगल के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने की ठोस रणनीति बनायी जाये। इस भौगोलिक क्षेत्र में मानव और वन्यजीव सैकड़ों वर्षों से सहचर की भांति एक-दूसरे का संरक्षण करते हुए रहते आये हैं। यह किसी से छिपा नहीं है कि उत्तराखंड में यदि आज जैव-विवधता विद्यमान है तो यह किसी सरकारी संरक्षण से नहीं अपितु वहां निवास करने वाले स्थानीय मानव समुदायों के प्रयासों से है। जैसा कि पूर्व में ही उल्लेख किया जा चुका है कि सरकार के पास तो आज भी मानव-वन्यजीव संघर्ष का आंकड़ा तक उपलब्ध नहीं है। यदि इन पहलुओं पर गौर नहीं किया गया तो सरकार की पहल मात्र एक सरकारी कर्मकाण्ड बनकर रह जायेगी। ●

# चीड़ से पानी होगी निजात

**समय आ गया है कि भविष्य में आने वाले पानी के संकट को देखते हुए अभी से जाग्रत होकर पहाड़ से चीड़ को उखाड़ कर फेंकने की तैयारी की जाए।**

**लक्ष्मण सिंह पटवाल**

मध्य हिमालयी क्षेत्र के निवासी इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि एक समय पहाड़ की जमीन बहुत उपजाऊ होती थी, जंगलों में घास बहुत होती थी, हर गोशाला में पशु होते थे। दूध-दही की कमी नहीं थी, गोशाला की खाद खेतों में डालने से फसल अच्छी होती थी। घरों में सिर्फ गुड़ और नमक के अलावा कोई भी खाने का सामान बाजार से नहीं खरीदा जाता था। हरेक गांव का इक्का-दुक्का आदमी परदेश जाता था। आपस में बहुत भाईचारा था। खान-पान की कमी नहीं थी, घरों में ताले नहीं लगते थे। परंतु आज स्थिति बिल्कुल विपरीत है। उपजाऊ जमीन सूख गई है। जंगलों में घास नहीं हो रही है। गोशाला में पशु नहीं हैं। यहां तक कि गायों को जंगलों में मरने के लिए छोड़ा जा रहा है। घरों में ताले लगे हैं परंतु फिर भी चोरियां हो रही हैं। पानी के स्रोत सूख गए हैं। अब गांव में इक्का-दुक्का आदमी दिखाई देता है। यहां तक कि कई गांवों में अर्थी उठाने के लिए भी चार आदमी इकट्ठा करने में मुश्किल हो रही है। गांव के गांव खाली हो गए हैं। आज हर खाने का सामान बाजार से लाना पड़ता है। पाउडर के दूध की चाय पी जाती है।

यह क्या दशा हो गई है उस पहाड़ की जहां पहले कभी खुशहाली हुआ करती थी, आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? हमारी दृष्टि में हमारी खुशहाली को खत्म करने में सर्वप्रथम पहाड़ में चीड़ के पेड़ जिम्मेदार हैं। इसमें कोई शंका नहीं है कि शुरू में चीड़ के पेड़ों ने किसानों की मदद करी, जहां छिलुकों (केरोसिन का प्रचलन होने से पहले पहाड़ों में चीड़ की लीसायुक्त लकड़ी से उजाला करने का काम लिया जाता था) के रूप में रोशनी तथा चूल्हों में आग जलाने के काम आई, वहीं इसकी मजबूत बल्लियां इत्यादि मकान बनाने के काम आई। परंतु दूसरी तरफ इसने कब किसानों से उनकी खेती तथा घरबार छीन लिया इसका पता किसान को चलने ही नहीं दिया। इसका जिम्मेदार चीड़ का गर्म स्वभाव है जो जमीन से पानी तथा उसकी नमी को खत्म कर देता है। शुरू में वर्षा के समय पर हो जाने से इस बात का पता ही नहीं चला। परंतु धीरे-धीरे वर्षा के कम होने से जंगलों में चारा और घास खत्म हो गई जिससे पशु पालने में कमी आई, इसी वजह से जंगलों से बहुमूल्य जड़ी-बूटियां, कन्द-मूल फल, पानी के स्रोत इत्यादि सब धीरे-धीरे खत्म हो गए। किसान ने अपनी गोशाला में पीरूल (चीड़ की पत्तियां) को बिछाकर उसकी बनी खाद को खेतों में डालकर खुद ही अपनी उपजाऊ भूमि नष्ट कर डाली। साथ ही गधेरों में पानी नहीं होने से घरेलू कुटीर उद्योग भी बंद हो गए। जहां पर भी चीड़ होता है वहां कोई दूसरा पौधा नहीं पनप पाता है। जंगलों में इसकी वजह से आग लगने से पूरे पहाड़ का वातावरण/ पर्यावरण दूषित हो जाता है। परंतु यह समस्या यहीं पर खत्म नहीं हो रही है। क्योंकि अब चीड़ के पेड़ हमारे खेतों में भी दिखाई दे रहे हैं और बहुत तेजी से फैल रहे हैं। अगर वक्त रहते इनको रोका नहीं गया तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे खेत भी चीड़ के जंगलों का रूप ले लेंगे। इस चीड़ ने धीरे-धीरे किसानों की हर जरूरत की चीजों को खत्म कर दिया है। निश्चय ही चीड़ पहाड़ से पलायन का एक कारण रहा है।

अतः समय आ गया है कि भविष्य में आने वाले पानी के संकट को देखते हुए अभी से जाग्रत होकर पहाड़ से चीड़ को उखाड़ कर फेंकने की तैयारी की जाए। सबसे पहले किसान अपने खेतों से उन्हें इस तरह उखाड़ फेंके, जिस तरह से खेत से कांटेदार पौधे उखाड़ते हैं। जहां पेड़ बड़े हों तो जरूरी मंजूरी लेकर इन पेड़ों को कटवा दिया जाए। पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे तथा खेतों में हरियाली बनी रहे इसके लिए हर ग्राम पंचायत मनरेगा के तहत हरेक खेत में निश्चित दूरी पर आंवला, बेल, तेजपत्ता, आम, रीठा, अखरोट आदि के पेड़ लगवाये। जिससे 4-5 सालों में इन पेड़ों के फल, पत्तियां किसान के लिए अतिरिक्त कमाई का साधन बन सकें। ग्राम पंचायत के नाप की जमीन पर चारा घास लगवाई जाए जिससे पशुपालन में वृद्धि हो सके और किसान दूध बेचकर डेयरी उद्योग के तहत अतिरिक्त कमाई कर सके और खुद भी दूध-दही खाकर हृष्ट-पुष्ट बन सके।

इसके अलावा जंगलों में लगे चीड़ के पेड़ों की शाखाओं की छटनी करवा दी जाए जिससे पीरूल के उत्पादन में कमी आएगी तथा आग लगने के खतरे से बचा जा सकेगा। बरसात में बांज और चौड़ी पत्तियों वाले पौधों का रोपण करके कुछ ही सालों में चीड़ के पेड़ों का सफाया करने का रास्ता साफ हो सकेगा। हरेक पहाड़ की चोटी पर एक बांज का घना जंगल पहाड़ को पुर्नजीवित कर देगा। यह सभी कार्य गांवों के किसान मनरेगा के तहत कर सकते हैं सिर्फ लगन चाहिए। इसलिए हमारा सभी ग्राम प्रधानों, ब्लाक प्रमुख, जिलाधिकारी तथा राज्य सरकार के अधिकारियों से अनुरोध है कि समय पर जागरूक होकर इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपने-अपने स्तर पर जरूरी कदम उठायें। हमें पूर्ण विश्वास है कि उपरोक्त सुझावों को ठीक से लागू किया गया तो वह दिन दूर नहीं जब शहरों से लोग अपने गांवों की ओर वापस लौटेंगे और पहाड़ फिर से पहले जैसा खुशहाल हो जाएगा।

-प्रस्तुतिः दलीप जीना

# 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान

**अभियान के मुख्य बिंदु**

- सभी ग्राम पंचायतों में गुड्डा-गुड्डी बोर्ड लगाए जाएंगे। हर महीने इस बोर्ड में संबंधित गांव के बालक-बालिका अनुपात को दर्शाया जाएगा।
- ग्राम पंचायत हर लड़की का जन्म होने पर उसके परिवार को तोहफा भेजेगी।
- ग्राम पंचायत साल में कम-से-कम एक दर्जन लड़कियों का जन्मदिन मनाएगी।
- सभी ग्राम पंचायतों में लोगों को 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' की शपथ दिलाई जाएगी।
- किसी गांव में अगर बालक-बालिका अनुपात बढ़ता है, तो वहां की ग्राम पंचायत को सम्मानित किया जाएगा।
- बाल विवाह के लिए ग्राम प्रधान को जिम्मेदार माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
- कन्या भ्रूण हत्या रोकने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए स्थानीय स्कूलों और कॉलेजों को अभियान में शामिल किया जाएगा।

**100 जिलों के चयन का तरीका**

क) 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 918 के राष्ट्रीय औसत बालक-बालिका अनुपात वाले 87 जिले चुने जाएंगे।

ख) 918 के राष्ट्रीय औसत बालक-बालिका अनुपात से ज्यादा, लेकिन गिरावट का रुझान दर्शा रहे 8 जिले चुने जाएंगे।

ग) इसी तरह 918 के राष्ट्रीय औसत बालक-बालिका अनुपात से ज्यादा, लेकिन इसमें बढ़ोतरी के रुझान वाले 5 जिले चुने जाएंगे। यह माना जा रहा है कि इससे देश के अन्य भागों में स्थित जिले भी इन चुनिंदा जिलों से सीख ले सकेंगे।

**अभियान से सम्बद्ध तीनों मंत्रालयों की भूमिका**

- **महिला एवं बाल विकास मंत्रालयः** आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्भावस्था के पंजीकरण को प्रोत्साहित करना, भागीदारों को प्रशिक्षित करना, सामुदायिक लामबंदी और आपसी संवाद को बढ़ावा देना, बालक-बालिका अनुपात को कम करने के अभियान में जुटे 'चैंपियनों' को शामिल करना, अग्रिम मोर्चे पर काम कर रहे कार्यकर्ताओं एवं संस्थानों को पुरस्कृत देना।
- **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालयः** गर्भधारण पूर्व और जन्म पूर्व जांच तकनीकों पर कड़ी नजर रखना, अस्पतालों में प्रसव को बढ़ावा देना, जन्म पंजीकरण, निगरानी समितियों का गठन करना।
- **मानव संसाधन विकास मंत्रालयः** लड़कियों का पंजीकरण, स्कूलों में लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर में कमी लाना, विद्यालयों में लड़कियों के अनुरूप मानक बनाना, शिक्षा के अधिकार अधिनियम पर सख्ती से अमल करना, स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय बनाने पर विशेष ध्यान देना।


## कृषि चौपाल पत्रिका डाक से मंगाने के लिए सदस्यता फॉर्म

कृपया उचित स्थान पर सही (✓) का निशान लगाएं और अन्य विवरण साफ-साफ अक्षरों में सही-सही भरें।

☐ वार्षिक सदस्य-180/- ☐ द्विवार्षिक सदस्य-350/- ☐ पंचवार्षिक सदस्य-750/-

☐ आजीवन सदस्य-5100/- (डाक खर्च अलग से देय होगा)

मैं अपना चेक/डिमांड ड्राफ्ट संख्या ..... तिथि ..... / ..... / .....

बैंक व ब्रांच ..... पर आदेशित, रुपये .....

मात्र का (**'कृषि चौपाल'**, दिल्ली के पक्ष में) संलग्न कर रहा हूं।

मेरा विवरण इस प्रकार है:-

नाम .....

पता .....

..... पिन .....

फोन/मोबाइल ..... ई-मेल .....

दिनांक .....  हस्ताक्षर .....

कृपया ध्यान दें: सदस्यता-फॉर्म के साथ चेक या डिमांड ड्राफ्ट 'कृषि चौपाल' के नाम से देय होगा। चेक या ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम, पता व फोन नंबर अवश्य लिखें। डिमांड ड्राफ्ट अथवा मनीऑर्डर- संपादक 'कृषि चौपाल' सी-355, तृतीय तल, गली नं.-9, वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली-110092 के पते पर भेंजे। फोन: +91-9266660378, ईमेल: E-mail: krishichaupal@gmail.com

## दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना

# समावेशी विकास के लिए कौशल विकास

**कृषि चौपाल**

वर्तमान में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 35 आयु वर्ग के लगभग पांच करोड़ 50 लाख कामगार हैं। और वर्ष 2020 तक वैश्विक स्तर पर पांच करोड़ 70 लाख कामगारों की कमी का अनुमान लगाया गया है। स्पष्ट है कि हम अपनी मानव श्रमशक्ति को जनसांख्यिक लाभांश के तौर पर बदल सकने के अवसर के मुहाने पर खड़े हैं। इसी अवधारणा को विस्तारित करते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गरीब परिवारों के ग्रामीण युवाओं-युवतियों के कौशल विकास और उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) की शुरुआत की है। इस योजना का मकसद देश का समावेशी विकास करना है।

आधुनिक बाजार में भारत के ग्रामीण निर्धनों को आगे लाने में कई चुनौतियां हैं, जैसे औपचारिक शिक्षा और बाजार के अनुकूल कौशल की कमी होना। विश्वस्तरीय प्रशिक्षण, वित्तपोषण, रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर देने, रोजगार स्थायी बनाने, आजीविका उन्नयन और विदेश में रोजगार प्रदान करने जैसे उपायों के माध्यम से डीडीयू-जीकेवाई इस अंतर को पाटने का काम करती है।

### दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना की विशेषताएं

- लाभकारी योजनाओं तक निर्धनों और सीमांत लोगों को पहुंचने में सक्षम बनाना और ग्रामीण गरीबों के लिए मांग आधारित निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना।
- समावेशी कार्यक्रम तैयार करना- सामाजिक तौर पर वंचित समूहों (अजा/अजजा 50 प्रतिशत, अल्पसंख्यक 15 प्रतिशत, महिला 33 प्रतिशत) को अनिवार्य रूप से शामिल करना।
- प्रशिक्षण से लेकर आजीविका उन्नयन पर जोर देना- रोजगार स्थायी करने, आजीविका उन्नयन और विदेश में रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से पथ-प्रदर्शन के उपाय करना।
- नियोजित उम्मीदवारों के लिए अतिरिक्त सहायता- नियोजन-पश्चात सहायता, प्रवास सहायता और पूर्व-छात्र नेटवर्क तैयार करना।
- रोजगार साझेदारी तैयार करने की दिशा में सकारात्मक पहल- कम से कम 75 प्रतिशत प्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिए रोजगार की गारंटी करना।
- कार्यान्वयन साझेदारों की क्षमता बढ़ाना- प्रशिक्षण सेवा प्रदान करने वाली नई एजेंसियां तैयार करके कौशल विकास करना।
- क्षेत्रीय तौर पर जोर देना- जम्मू-कश्मीर (हिमालय), पूर्वोत्तर क्षेत्र और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 27 जिलों (रोशनी) में निर्धन ग्रामीण युवाओं के लिए परियोजनाओं पर अधिक जोर देना।
- स्तरीय सेवा वितरण- कार्यक्रम से जुडी सभी गतिविधियां स्तरीय संचालन प्रक्रिया पर आधारित होंगी जो स्थानीय निरीक्षकों द्वारा बताए जाने के लिए नहीं हैं। सभी प्रकार के निरीक्षण भू-स्थैतिक प्रमाण, समय के विवरण सहित वीडियो/तस्वीरों द्वारा समर्थित होंगे।

### कार्यान्वयन प्रारूप

डीडीयू-जीकेवाई एक तीन-स्तरीय कार्यान्वयन प्रारूप का अनुसरण करती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की डीडीयू-जीकेवाई राष्ट्रीय इकाई एक नीति निर्माता, तकनीकी सहायक और सुविधा एजेंसी के रूप में काम करती है। डीडीयू-जीकेवाई के राजकीय मिशन कार्यान्वयन सहायता प्रदान करते हैं और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां कौशल प्रदान करने और रोजगार परियोजनाओं के माध्यम से कार्यक्रम का कार्यान्वयन करती हैं।

### परियोजना वित्तपोषण सहायता

डीडीयू-जीकेवाई के माध्यम से कौशल प्रदान करने वाली परियोजनाओं से जुड़े रोजगार के लिए वित्तपोषण सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिससे प्रतिव्यक्ति 25,696 रुपए से लेकर एक लाख रुपए तक वित्तपोषण सहायता के साथ बाजार की मांग का समाधान किया जाता

है, जो परियोजना की अवधि और आवासीय अथवा गैर-आवासीय परियोजना पर आधारित है। डीडीयू-जीकेवाई के माध्यम से 576 घंटे (तीन माह) से लेकर 2304 घंटे (बारह माह) की अवधि वाली प्रशिक्षण परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण किया जाता है। वित्तपोषण संबंधी घटकों में प्रशिक्षण के खर्च, रहने और खाने-पीने, परिवहन खर्च, नियोजन पश्चात सहायता खर्च, आजीविका उन्नयन और स्थाई रोजगार सहायता संबंधी खर्च में सहायता देना शामिल हैं।

**परियोजना वित्तपोषण में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) को प्राथमिकता**

- विदेश में रोजगार
- कैप्टिव रोजगार: ऐसे परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी अथवा संगठन जो मौजूदा मानव संसाधन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।
- औद्योगिक प्रशिक्षण: उद्योगजगत से सह-वित्तपोषण के साथ विभिन्न प्रशिक्षणों के लिए सहायता प्रदान करना।
- अग्रणी नियोक्ता: ऐसी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां जो 2 वर्षों की अवधि में कम से कम 10,000 डीडीयू-जीकेवाई प्रशिक्षुओं के कौशल प्रशिक्षण और नियोजन का आश्वासन देती है।
- उच्च ख्याति वाली शैक्षिक संस्था: ऐसे संस्थान जो राष्ट्रीय मूल्यांकन और मान्यता परिषद (एनएएसी) की न्यूनतम 3.5 ग्रेडिंग वाले हैं अथवा ऐसे सामुदायिक महाविद्यालय जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा वित्तपोषित हों और डीडीयू-जीकेवाई परियोजनाओं को हाथ में लेने के लिए इच्छुक हों।

**प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताएं**

डीडीयू-जीकेवाई के माध्यम से खुदरा, आतिथ्य, स्वास्थ्य, निर्माण, स्वचालित, चमड़ा, बिजली, प्लम्बिंग, रत्न और आभूषण आदि जैसे अनेक 250 से भी अधिक ट्रेडों में अनेक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए वित्तपोषण किया जाता है। केवल मांग-आधारित और कम से कम 75 प्रतिशत प्रशिक्षुओं को रोजगार देने के लिए कौशल प्रशिक्षण देने का शासनादेश है।

**प्रशिक्षण गुणवत्ता आश्वासन**

राष्ट्रीय कौशल विकास नीति, 2009 के माध्यम से भारत को एक ऐसा राष्ट्रीय योग्यता कार्यक्रम तैयार करने की जरूरत पर बल देता है, जो सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा दोनों को प्रशिक्षण से जोड़ता है। तद्नुसार, भारत सरकार ने राष्ट्रीय कौशल योग्यता कार्यक्रम (एनएसक्यूएफ) अधिसूचित किया है ताकि कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रणाली विकसित करने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलनायोग्य योग्यता प्रणाली विकसित की जा सके।

**मापन और प्रभाव**

डीडीयू-जीकेवाई पूरे देश में लागू है। फिलहाल यह योजना 33 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 610 जिलों में कार्यान्वित की गई है। इसमें 50 से अधिक क्षेत्रों से जुड़े 250 से अधिक ट्रेडों को शामिल करते हुए 202 से अधिक परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों की साझेदारी है।

अब तक वर्ष 2004-05 से लेकर 30 नवंबर 2014 तक कुल 10.94 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है और कुल 8.51 लाख उम्मीदवारों को रोजगार प्रदान किया गया है। ●

---

■ कृषि चौपाल

# हरी मटर की कीमतें सौ रुपये प्रति कुंतल बढ़ने के आसार

पंतनगर विश्वविद्यालय के कृषि अर्थशास्त्र विभाग के वैज्ञानिकों ने फरवरी-मार्च-2015 में हरी मटर की थोक कीमतें 850 से 950 रुपये प्रति कुंतल रहने का अनुमान व्यक्त किया है। यह पूर्वानुमान उन्होंने अपने विभाग में चल रही एनपीएमआई शोध परियोजना 'नेटवर्क' प्रोजेक्ट आन मार्केट इंटेलीजेंस' के अंतर्गत लगाया। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य चुनी हुई कृषि जिन्सों की बुआइ से पूर्व एवं फसल कटाई के दौरान कीमतों का पुर्वानुमान लगाना है। पंतनगर की परियोजना टीम के सदस्य डॉ. एएन शुक्ला एवं रोजनी मिश्र ने परियोजनाधिकारी डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में रुद्रपुर नियमित कृषि उत्पादन मण्डी समिति, जो कि उत्तराखण्ड की एक मुख्य मण्डी है, का बाजार सर्वेक्षण एवं पिछले 10 वर्षों की थोक कीमतों का विश्लेषण करने के पश्चात कीमतों का पूर्वानुमान लगाया है।

विश्लेषण द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि हरी मटर की थोक कीमतें फरवरी तथा मार्च 2015 में रुपये 850 से रुपये 950 प्रति कुंतल के मध्य रहने की संभावना है। यह पूर्वानुमान पिछले वर्षों के आंकड़ों तथा मॉडल पर आधारित है, अत: पूर्वानुमानित कीमतें बाजार की कीमतों से कम या ज्यादा भी हो सकती हैं। पिछले वर्ष फरवरी तथा मार्च 2014 में हरी मटर की थोक कीमत रुपये 700 से रुपये 800 प्रति कुंतल के मध्य थीं। वैज्ञानिकों ने सलाह दी है कि जो किसान इस मौसम में हरी मटर की फसल उत्पादित कर रहे हैं, वे हरी मटर की तुड़ाई उपर्युक्त पूर्वानुमानों एवं दूसरे कारकों को ध्यान में रखते हुए करें।

हरी मटर के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है तथा यहां विश्व की हरी मटर उत्पादन का 21.04 प्रतिशत उत्पादित होती है। भारत में हरी मटर 3.7 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में उगायी जाती है। भारत में हरी मटर की उत्पादकता 9.7 टन प्रति हैक्टेयर है एवं अन्य देशों में उत्पादकता 10 से 11 टन प्रति हैक्टेयर है। देश के मुख्य हरी मटर उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखण्ड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखण्ड हैं, जो संयुक्त रूप से देश की 93 प्रतिशत हरी मटर का उत्पादन करते हैं। हरी मटर उत्तराखण्ड की एक मुख्य सब्जी फसल है जिसका राज्य में क्षेत्रफल लगभग 11.2 हजार हैक्टेयर तथा उत्पादन 86.9 हजार टन है। यह पहाड़ी तथा मैदानी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से उगायी जाती है।

# मंडियों ने दगा दिया

-जनकवि बल्ली सिंह चीमा

कभी धान को कभी गेहूं को, तेरी मंडियों ने दगा दिया।
मेरी खेतियों से तुझे बैर है, तेरी नीतियों ने बता दिया।

मैं किसान हूं मेरा हाल क्या, मैं तो आसमां की दया पे हूं।
कभी मौसमों ने हंसा दिया, कभी मौसमों ने रुला दिया।

ये कहानियां, ये लफ्फाजियां, तेरे मुंह से मुझको जंची नहीं।
मेरे गांव में ये रिवाज है, कहा जो भी करके दिखा दिया।

मेरी जिंदगी तुझे क्या कहूं, तू ही धूप है तू ही छांव है।
किसी शाम तूने रुला दिया, किसी शाम तूने हंसा दिया।

मैं गिरा तो गिर के उठा भी हूं, यही फ़ख है कि झुका नहीं।
वो मशाल भी क्या मशाल है, जिसे आंधियों ने बुझा दिया।

कृषि मानव सभ्यता का सबसे प्राचीन उत्पादक कार्य है। आज के युग में कृषिक्षेत्र केवल अनाज उत्पादन तक सीमित नहीं रह गया है। विभिन्न प्रकार की जड़ी–बूटियों, फल प्रसंस्करण, खाद्यान्न प्रसंस्करण, पुष्पोत्पादन, डेयरी, बीज उत्पादन आदि अनेक क्षेत्र कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। इसी अवधारणा के मद्देनजर विगत लगभग एक दशक से कृषि चौपाल का अत्यल्प संसाधनों से प्रकाशन किया जा रहा है, जिसमें कई बार व्यवधान भी आये। हमारी कोशिश है कि कृषि चौपाल को देश के कृषकों तथा नीति–नियंताओं तक अनवरत पहुंचाया जा सके। कृषि चौपाल के प्रकाशन में किसी भी प्रकार के रचनात्मक सहयोग का हम स्वागत करते हैं।

–संपादक

RNI REGD. NO.: DELHIN/2007/20953

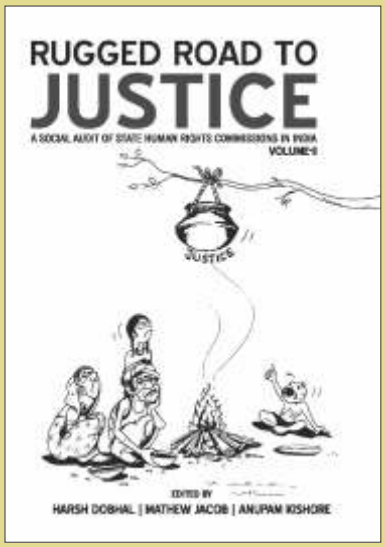

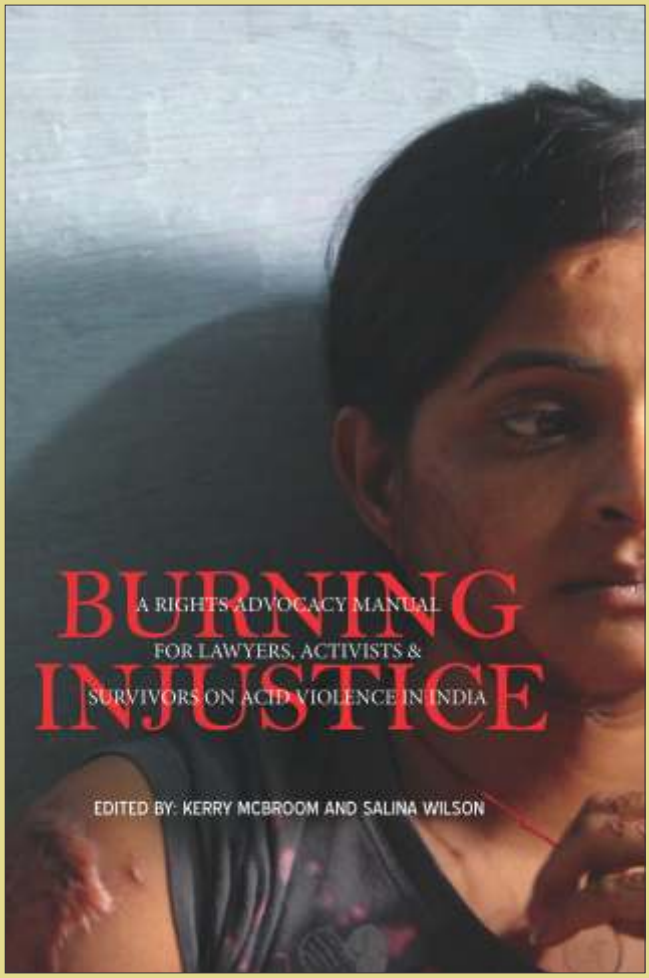


KALPANA

# KALPANA PRINTOGRAPHICS

A House of Quality Designing & Printing

**The products we design and print:**

- Books • Magazines
- Newspapers • Newsletters
- Booklets • Annual Reports
- Posters • Brochures
- Catalogues • Company Profiles
- Presentation Folders
- Business Cards • Office Stationery
- Invitations • Letterheads
- Flex Banners • Hoardings
- Fliers • Envelopes • T-shirt Printing, etc.

Call Us: +91 9910406059
E-mail: kpgdelhi@yahoo.com
Visit us on Facebook: kalpana printographics